निर्वाचन व्यय–अनुवीक्षण

पर

अनुदेश

(सितम्बर–2011)

भारत निर्वाचन आयोग

भाग– I

विषय – सूची

भाग – I

क्रम सं0	नाम	पृष्ट सं0
1.	प्रस्तावना	8
2.	निर्वाचन व्यय के प्रकार	10
3.	निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र	11
4.	व्यय अनुवीक्षण तंत्र में भिन्न टीमों के कार्य	14
5.	अनुवीक्षण की प्रक्रिया	33
6.	अभ्यर्थियों द्वारा लेखे का रख–रखाव	49
7.	निर्वाचन व्यय रजिस्टर का निरीक्षण	53
8.	राजनीतिक दलों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों की तथा अभ्यर्थियों के साथ रिटर्निंग अफसरों की बैठक	55
9.	व्यय अनुवीक्षण पर अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभिकर्ताओं का प्रशिक्षण	56
10.	राजनैतिक पार्टियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यय	56
11.	लेखा विवरण की संवीक्षा तथा आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट	58
12.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट	60
13.	व्यय अनुवीक्षण में रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका	60
14.	जिला निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका	60
15.	आयोग मुख्यालय के स्तर पर कार्रवाई	62
16.	राजनैतिक दलों की भूमिका	63
17.	प्रशिक्षण	64
18.	व्यय विवरण को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वैबसाइट पर डालना	68
19.	सभी जब्ती रिपोर्टों का संकलन	68

भाग – II

संलग्नक सं0	संलग्नक का संक्षिप्त विवरण	पृष्ठ सं0
1.	कानूनी प्रावधान (भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से सुसंगत उद्धरण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961)	71
2.	व्यय का आगम/निर्गम रिपोर्ट	82
3.	व्यय–प्रेक्षक रिपोर्ट–I	83
4.	व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट–2	86
5.	अंतिम व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट–3	90
6.	सहायक व्यय प्रेक्षक की दैनिक रिपोर्ट	92
7.	वीडियो निगरानी दलों के लिए क्यू शीट	93
8.	उड़न दस्ते द्वारा दैनिक गतिविधि रिपोर्ट	94
9.	स्थैतिक निगरानी दलों की गतिविधि रिपोर्ट	96
10.	निर्वाचनों के दौरान आम जनता के द्वारा अपील के लिए फार्मेट	97
11.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के अनुरक्षण के लिए छाया प्रेक्षण	98
12.	विज्ञापनों/प्रिन्ट मीडिया/इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों/पेड न्यूज का विवरण	99
13.	कॉल सेन्टर सूचना पर रिटर्निंग ऑफिसर की दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट	101
14.	दिन–प्रतिदिन के निर्वाचन लेखे के रख–रखाव हेतु रजिस्टर, नकद रजिस्टर और बैंक रजिस्टर	102
15.	निर्वाचन व्ययों का सार विवरण	106
16.	जन सभाओं/रैलियों इत्यादि पर व्यय का विवरण	115
17.	टी0वी0 चैनल तथा केबल नेटवर्को पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के संबंध में आयोग का पत्र सं0 509/75/2004/जे0एस0–I, दिनांक 15.4.2004	117
18.	पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध से संबंधित आयोग का पत्र सं0 3/9 (इ.एस.–008)/94–जे.एस.–II, दिनांक 2 सितम्बर, 1994	129
19.	राजनीतिक दलों के द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे में किए गए व्यय के दावे के विवरण के लिए फार्मेट	136
20.	वह भाषा, जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जा सके (आयोग का पत्र सं0 76/95/जे0एस0–II दिनांक 10.4.1995	137
21.	निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन निर्वाचन व्ययों का	139

	लेखा दाखिल करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अभ्यर्थीवार जॉच रिपोर्ट	
22.	राज्य/जिला स्तर के नोडल ऑफिसर द्वारा आई.एम.एफ.एल/बीयर/देशी शराब की दैनिक रिपोर्ट के लिए फार्मेट	145
23.	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मासिक रिपोर्ट (भाग–क एवं ख)	147
24.	अन्वेषण निदेशालय द्वारा गतिविधि रिपोर्ट का फार्मेट	149
25.	मुख्य प्रचारकों द्वारा यात्रा पर निर्वाचन व्यय – निर्वाचन अभियान आदि के लिए	151
26.	टी0वी चैनलों तथा केबल टीवी नेटवर्को–रेडियों प्रसारण पर राजनीतिक प्रवृति के विज्ञापन से संबंधित सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं0 509/75/2004/जे0एस0–I/वाल्यूम–II/आर सी सी, दिनांक 21.11.2008	153
27.	विज्ञापन के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन	156
28.	प्रसारण के लिए विज्ञापन का प्रमाणीकरण	158
29.	निर्वाचनों के दौरान पेड न्यूज अर्थात मीडिया में समाचार के रूप में विज्ञापन, की जॉच पडताल करने के उपायों के संबंध में आयोग का पत्र सं0 491/मीडिया/2010, दिनांक 8 जून, 2010	159
29. ख	निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज अर्थात मीडिया में समाचार के रूप में विज्ञापन की जॉच–पड़ताल करने के उपायों के संबंध में आयोग का पत्र सं0 491/मीडिया/2011 (विज्ञापन) दिनांक 18 मार्च, 2011	163
29. ग	निर्वाचनों के दौरान राजनीतिक दलों या उनके कार्यकर्ताओं/पदाधिकारियों द्वारा लिए गए टी0वी/केबल–चैनलों पर अभ्यर्थियों के विज्ञापनों से निपटने के लिए दिशा–निर्देशों के संबंध में आयोग का पत्र सं0 491/मीडिया/2011 (विज्ञापन) दिनांक 16 अगस्त, 2011	165
30.	राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन–प्रचार अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के संबंध में (आयोग का पत्र सं0 576/3/2005/जे0एस0–II, दिनांक 29.12.2005	167
31.	लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन/उप निर्वाचन– निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों के दुरूपयोग पर अनुदेशों के संबंध में (आयोग का पत्र सं0 437/6/97–पी एल एन–III, दिनांक 18.3.1997)	169
32.	बेरिकेड तथा मंचो इत्यादि पर उपगत व्यय (विज्ञापनों की दैनिक रिपोर्ट के लिए आयोग का पत्र सं0 76/2004/जे0एस0–II, दिनांक 10–4–2004)	171
33.	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना (आयोग का पत्र सं0 76/81, दिनांक 18.9.1981	173
34.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित रजिस्टर में अनुरक्षित किए जाने वाले निर्वाचन व्ययों का दैनिक लेखा जॉच–अनुपालन के लिए अधिकारियों /व्यय प्रेक्षकों को प्रस्तुत करने के संबंध में (आयोग का पत्र सं0	175

	76/98/जे0एस0–II दिनांक 30.10.1998	
35.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश – अतिरिक्त उपाय के रूप में निर्वाचन व्यय के लेखे की जॉच के संबंध में (आयोग का पत्र सं0 76/2004/जे0एस0–II, दिनांक 12.3.2004)	177
36.	साधारण निर्वाचन/उप निर्वाचन – निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश– अतिरिक्त उपाय के रूप में निर्वाचन व्यय के लेखे की जॉच के संबंध में (आयोग का पत्र सं0 76/2003/जे0एस0–II, दिनांक 29.10.2003)	178
37.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम (आयोग का पत्र सं0 3/1/2004/जे0एस0–II, दिनांक 03.4.204)	181
38.	निर्वाचन–व्ययों का लेखा–स्पष्टीकरण (आयोग का पत्र सं0 76/2004/जे0एस0–II, दिनांक 6.8.2004,)	182
39.	दल के नेताओं द्वारा निर्वाचन प्रचार में उपगत व्यय (आयोग का पत्र सं0 76/ई ई /2005/जे0एस0–III, दिनांक 6.10.2005	183
40.	दल के नेताओं द्वारा निर्वाचन प्रचार में उपगत व्यय, (आयोग का पत्र सं0 76/ई ई /2005/जे0एस0–III, दिनांक 7.10.2005	185
41.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 – अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के संबंध में (आयोग का पत्र सं0 76/2007/जे0एस0–II, दिनांक 29.3.2007	186
42.	अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों का लेखा– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के संबंध में (आयोग का पत्र सं0 76/2007/जे0एस0–II, दिनांक 4.4.2007	188
43.	निर्वाचन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर व्यय (आयोग का पत्र सं0 437/6/ओ आर/95/एम सी एस/1158, दिनांक 29.3.1996)	190
44.	आदर्श आचार संहिता के संबंध में (आयोग का पत्र सं0 437/6/गुज/98–योजना–III, दिनांक 16.1.1998	194
45.	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना – दर चार्ट की तैयारी (आयोग का पत्र सं0 76/2004/जे0एस0–II, दिनांक 17.3.2004	195
46.	पेड न्यूज को रोकने के उपाय के संबंध में आयोग का पत्र सं0 491/मीडिया पॉलिसी/2010, दिनांक 23 सितम्बर, 2010	198
47.	दल के नेताओं द्वारा निर्वाचन प्रचार मे उपगत व्यय के संबंध में आयोग का पत्र सं0 76/2009/एस डी आर, दिनांक 31 मार्च, 2009	200
48.	दल के नेताओं द्वारा हवाई जहाजों/हेलीकाप्टरों द्वारा निर्वाचन प्रचार में उपगत व्यय के संबंध में आयोग का पत्र सं0 76/2009/एस डी आर, दिनांक 20 अगस्त, 2009	201
49.	दल के प्रचारकों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के	202

	अधीन दिए गए स्पष्टीकरण के खण्ड (क) का लाभ प्राप्त करते हुए पार्टी प्रचारकों द्वारा सड़क परिवहन के प्रयोग से संबंधित आयोग का पत्र सं0 437/6/आई एन एस टी/2008–सी सी तथा बी ई, दिनांक 31 अक्तूबर, 2008	
50.	व्यय मामले के अतिरिक्त एजेन्टों की नियुक्ति के लिए फार्मेट	204
51. (क तथा ख)	एफ एस/एस सी टी/आयकर विभाग द्वारा प्रभावित नकद/सामान की जब्ती के संबंध में फार्मेट	205 206
52.	ई एस सी के संदर्भ में पुलिस प्रेक्षक की –I रिपोर्ट	207
53.	ई एस सी के संदर्भ में पुलिस प्रेक्षक की –II रिपोर्ट	208
54.	हवाई अड्डे की सुरक्षा पर सिविल विमानन ब्यूरो सुरक्षा का एस ओ पी	209
55.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के प्रचारक द्वारा उपगत व्ययों को दाखिल करना	212
56.	अभ्यर्थी द्वारा 20,000/– रूपये से अधिक की राशि को चेक द्वारा उपगत व्यय के संबंध में अनुदेश	214

1. <u>प्रस्तावनाः–</u>

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अनुसार लोक सभा या राज्य विधान सभा के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख के मध्य उसके द्वारा या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा प्राधिकृत किए गए सभाी व्ययों का पृथक एवं सही खाता रखना अनिवार्य है । इनका कुल व्यय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951की धारा 77 (3) के अधीन निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए । धारा 77(2) के अधीन लेखें में निर्धारित विवरण निहित होने चाहिए । निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 90, प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रें में संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन व्यय की विभिन्न सीमाएं निर्धारित करता है । वे विवरण जिन्हें लेखों में दिखाया जाना है, इन नियमों के नियम 86 में निर्धारित हैं । व्यय पर निर्धारित सीमाएं अनुलग्नक–1 में संलग्न हैं । लेखे के अनुरक्षण में असफलता भारतीय दंड– संहिता की धारा 171–1 के अधीन एक निर्वाचक अपराध है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(6) के संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (3) के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया जाना एक भ्रष्ट आचरण है । लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्वाचनों में निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना भ्रष्ट आचरण है, इसे उच्चतम न्यायालय ने कंवरलाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला (ए आई आर 1975 ए सी 308) में इस प्रकार स्पष्ट किया है :

''......... सीमित करने के प्रावधान द्वि उद्देशीय हैं । प्रथम स्थाने यह किसी भी व्यक्ति या किसी भी राजनैतिक पार्टी, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, के समक्ष प्रकट रहने चाहिए जिससे कि वे किसी भी अन्य व्यक्ति या राजनैतिक पार्टी, चाहे वह कितनी भी धनी और वित्त पोषित हो, के साथ समानता के आधार पर निर्वाचन लड़ने में सक्षम हो और किसी भी व्यक्ति या राजनैतिक पार्टी को अपनी बेहतर वित्तीय क्षमता के आधार पर अन्य की अपेक्षा कोई लाभ नहीं मिलेगा ।

व्यय सीमित करने का अन्य उद्देश्य, जहां तक संभव हो सके, निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक धन के प्रभाव को दूर करना है । यदि व्यय पर कोई सीमा नहीं होगी तो सभी राजनैतिक पार्टियां चंदा

एकत्रित करने में लगी रहेंगी ....। अधिक धन के हानिकारक प्रभाव देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगें ....''

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है । बिना किसी ठोस कारण या न्यायोचित्य के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अंदर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, सम्बन्धित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के अधीन निरर्हित घोषित किया जा सकता है ।

सर्वोच्च न्यायालय ने एल.आर. शिवराम गोवडे बनाम पी एम चन्द्र शेखर – ए आई आर 1999 एस सी 252 में निर्धारित किया है कि आयोग अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए निर्वाचन व्ययों के लेखे की विशुद्वता में जा सकता है और यदि लेखा अशुद्व या असत्य पाया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धरा 10 क के अधीन उसे निरर्हित किया जा सकता है ।

इस तरह न केवल अभ्यर्थी को विधि द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों को रखना होता है बल्कि उसे निर्धारित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का दिन – प्रतिदिन का सही लेखा रखना होता है और प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण के लिए दिखाना होता है और परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है । निर्धारित सीमा से अधिक व्यय, विजयी अभ्यर्थी के खिलाफ निर्वाचन याचिका के लिए एक आधार बन जाता है । निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में विधिक उपबंध इस सार–संग्रह के अनुलग्नक 1 में उपवर्णित हैं । आयोग द्वारा समय–समय पर निर्वाचन व्ययों के अनुवीक्षण एवं संवीक्षा पर अनुदेश जारी किए गए हैं। निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुवीक्षण एवं इसकी संवीक्षा के लिए यह सार–संग्रह सबंधित विधिक उपबंधों तथा निर्वाचन अधिकारियों, प्रेक्षकों, अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा ईमानदारी से अनुसरण किए जाने वाले अनुदेशों को समेकित करता है ।

2. निर्वाचन व्यय के प्रकारः–

मूल रूप से निर्वाचन व्यय को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है । पहला है निर्वाचन व्यय, जो कि अनुमेय सीमा के अंतर्गत निर्वाचन कार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है । इसमें जन सभाओं, पोस्टरों, बैनरों, वाहनों, प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों जैसै प्रचार संबंधी मदों पर व्यय शामिल होता है । दूसरी श्रेणी में वे व्यय आते हैं जिनको विधि के अधीन अनुमति प्राप्त नहीं होती है । उदाहरण के लिए, निर्वाचकों को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके बीच रूपए, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण करना, रिश्वत देने की परिभाषा के अंतर्गत आता है और यह भारतीय दंड संहिता के अधीन एक अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन एक भ्रष्ट आचरण है । ऐसी मदों पर व्यय करना अवैध है। व्यय का एक और प्रकार, जो हाल ही में सामने आ रहा है, वह है– प्रतिनियुक्त विज्ञापन, पैसा देकर खरीदे गए समाचार (पेड न्यूज) इत्यादि । अतः निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के दो उद्देश्य हैं । व्यय की प्रथम श्रेणी के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय खाते की संवीक्षा करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुमति प्राप्त मदों पर किए गए सभी यथार्थ निर्वाचन व्ययों की रिपोर्ट सच्चाई पूर्वक की गई है तथा इस पर विचार किया गया है । जहॉ तक प्रतिनियुक्त विज्ञापन पेड न्यूज सहित, निर्वाचन व्यय की दूसरी श्रेणी का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों या राजनीतिक दलों द्वारा इसकी रिपोर्ट कभी भी नहीं दी जाएगी । हमारे तंत्र को ऐसे व्ययों को पकड़ने के लिए पर्याप्त रूप से समर्थ होना चाहिए । साथ ही न केवल इसे निर्वाचन व्यय के खातों में प्रविष्ट किया जाना चाहिए, बल्कि, यदि अपेक्षित हो तो, पुलिस / सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायतें दर्ज कराने समेत, विधि के सुसंगत उपबंधों के अधीन इन दोषकर्ताओं के विरूद्व कार्रवाई की जानी चाहिए ।

3. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र

अभ्यर्थी द्वारा किए गए दैनिक निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन व्यय तंत्र होगा । अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखों का दैनिक रख–रखाव अनिवार्य होगा । यद्यपि, निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होता है, फिर भी अनुवीक्षण को उपयोगी बनाने के लिए इसे निर्वाचन अभियान के दौरान ही नियमित आधार पर किया जाना चाहिए। निर्वाचन अभियान समाप्त हो जाने पर निर्वाचन

व्यय का कोई साक्ष्य जुटा पाना कठिन हो जाएगा । चूँकि विधि के अधीन अपेक्षित है कि निर्वाचनों के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को लेखे की संवीक्षा करना तथा आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है । अतः जिला निर्वाचन अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह निर्वाचन अभियान के दौरान उचित साक्ष्य एकत्रित करे, जिसके आधार पर यह सुनिशचित किया जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन – व्यय खाते में कुछ छूट तो नहीं गया है । व्यय अनुवीक्षण तंत्र का ढॉचा इस प्रकार होगा :

3.1 निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र की संरचना

3.1.1 **व्यय प्रेक्षकः–**

अभ्यर्थियों द्वारा किए गए निर्वाचन व्यय के निरीक्षण के लिए आयोग द्वारा भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय उत्पाद एवं केन्द्रीय उत्पाद सेवा से लिए गए व्यय प्रेक्षक विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए जाते हैं । प्रत्येक जिले के लिए कम से कम एक व्यय प्रेक्षक होगा, लेकिन प्रत्येक व्यय प्रेक्षक के निरीक्षण में साधारणतया पॉच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक नहीं होंगे ।

3.1.2 सहायक व्यय प्रेक्षक :

व्यय प्रेक्षक, प्रत्येक निवार्चन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सूची में से सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त करेगा। वे आयकर अधिकारी या अन्य केन्द्र सरकार सेवाओं में समूह (ख) अधिकारी की श्रेणी के होंगे । आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा विभाग, केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र निकायों के वे कर्मचारी, जो लेखा एवं परीक्षण के कार्यों से सम्बद्व हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी । वह प्राथमिक रूप से स्थानीय अधिकारी होने चाहिए, जिसकी उसी जिले या आसपास के जिले मे तैनाती हो, लेकिन उसका कार्यस्थल और गृह–स्थान उसी निर्वाचन क्षेत्र में न हो ।

3.1.3 वीडियो निगरानी टीमें

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / खण्ड के लिए एक या एक से अधिक वीडियो टीम तैनात की जानी चाहिए जिसमें कम से कम एक कर्मचारी और एक वीडियोग्राफर हो । यदि आवश्यक हो तो व्यय प्रेक्षक की सिफारिश से अधिक संख्या में टीमें तैनात की जा सकती है । सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में संवेदनशील घटनाओं और सार्वजनिक रैलियों की वीडियोग्राफी का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया जाना

चाहिए । यदि एक ही दिन में एक से अधिक सार्वजनिक रैलियां संगठित की जाती हैं तो जुलूस और रैलियों की रिकॉर्डिंग के लिए एक से अधिक वीडियो टीमें तैनात की जाएंगी ।

3.1.4 वीडियों अवलोकन टीमें

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/खण्ड के लिए एक वीडियो अवलोकन टीम होगी जिसमें एक अधिकारी तथा दो लिपिक होंगे ।

3.1.5 लेखा टीम

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / खण्ड के लिए कम से कम एक लेखा टीम होनी चाहिए जिसमें एक कर्मचारी और एक सहायक / लिपिक होगा । लेखा टीम के कार्मिक विभिन्न सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखा अनुभागों से लिए जाने चाहिए।

3.1.6 व्यय अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर

निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से ही जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष में चौबीसों घंटे चालू एक कॉल सेन्टर की स्थापना की जाएगी । इस कॉल सेंटर को एक टोल–फ्री दूरभाष संख्या दी जाएगी, जिसकी तीन या चार हंटिंग लाइन होंगी जिसका जनता में व्यापक प्रचार किया जाएगा जिससे निर्वाचनों से संबंधित भ्रष्ट आचरण की सूचना दी जा सके । नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर का उत्तरदायित्व एक वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाएगा जो कि शिकायतें प्राप्त करेगा ओर रिकॉर्ड करेगा तथा उसे संबंधित अधिकारी को पहुँचाएगा जिससे बिना विलम्ब किए कार्रवाई की जा सके । 24 घंटे टेलीफोन पर उपलब्ध रहने के लिए कॉल सेन्टर को पर्याप्त कर्मचारी दिए जाएंगें ।

3.1.7 मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति

प्रत्येक जिले में एक मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति होगी । यह आयोग के 15 अप्रैल, 2004 के पत्र सं. 509/75/2004/जेएसआई(अनुलग्नक –17) द्वारा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर पहले से विद्यमान समिति के विस्तार में होगी । अब से इस समिति में निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य होंगें : –

i. जिला निर्वाचन अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी

ii. डी पी आर ओ

iii. केन्द्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कर्मचारी (यदि जिले में कोई हो)

iv . स्वतंत्र नागरिक/जर्नलिस्ट जैसा कि पी सी आई द्वारा सिफारिश की जाए ।

3.1.8 उड़न दस्ते :–

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / खण्ड में एक या अधिक समर्पित उड़न दस्ते होंगे जो अवैध नकदी का आदान प्रदान, या शराब का वितरण या अन्य कोई संदेहास्पद विषय, जो मतदाताओं को घूस देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उसका पता लगाएंगे । उड़न दस्ते में टीम का प्रमुख एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट होगा, पुलिस स्टेशन का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और 3–4 सशक्त पुलिस कार्मिक होंगे । उनको नकदी या सामान इत्यादि के अधिग्रहण के लिए, पूरी तरह समर्पित एक वाहन, मोबाइल फोन, एक वीडियो कैमरा और अपेक्षित पंचनामा दस्तावेज दिए जाएंगें ।

3.1.9 स्थायी निगरानी टीमः

प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन एक या दो निगरानी टीमें होंगी जिनमें प्रत्येक टीम में एक मजिस्ट्रेट और तीन या चार पुलिस कार्मिक होंगे, जो चैक पोस्ट की निगरानी करेंगे । यह टीम चैक पोस्ट बनाएगी और इस क्षेत्र में भारी मात्रा में लाए जाने वाली नकदी, अवैध शराब, कोई संदेहास्पद वस्तु या शस्त्रों इत्यादि पर निगरानी रखेगी । जॉच की समस्त प्रकिया की वीडियोग्राफी की जाएगी ।

3.1.10 व्यय अनुवीक्षण सेल

जिला निर्वाचन अधिकारी लेखा कार्यो से परिचित वरिष्ठ अधिकरी जो एस डी एम / ए डी एम श्रेणी से कम न हो, को व्यय अनुवीक्षण सेल के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा । ऊपर उल्लिखित सभी टीमें और नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण सेल का गठन करेंगे ।

3.1.11 – आयोग के साथ व्यय अनुवीक्षण में समन्वय हेतु कार्मिकों एवं राजनीतिक दल कार्यकताओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण व्यय, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करेगा जो संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से कम न हो ।

4. व्यय अनुवीक्षण तंत्र में विभिन्न टीमों के कार्य

4.1 व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र :

पिछली घटनाओं, निर्वाचन क्षेत्र के संक्षिप्त विवरण एवं अन्य विकास के आधार पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन निर्वाचन क्षेत्रों का पता लगाएगा जो अत्यधिक व्यय और भ्रष्ट आचरण की ओर प्रवृत हैं । ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को 'व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र' का नाम दिया जाएगा । ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दो सहायक व्यय प्रेक्षक, दो उड़नदस्ते और अधिक संख्या में स्थैतिक निगरानी टीमें और वीडियो निगरानी टीमें होंगी । मुख्य निर्वाचन अधिकारी को व्यय अनुवीक्षण कार्य में लगी टीमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाना होगा । ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की सूची आयोग को पहले, समय रहते ही भेज दी जानी चाहिए ।

4.2 व्यय प्रेक्षक :

4.2.1 व्यय प्रेक्षक का दौरा :

निर्वाचनों की अधिसूचना के दिन ही व्यय प्रेक्षकों को निर्वाचन क्षेत्र पहॅुचना होगा । उसे पूरे अभियान के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में रहना होगा और वह मतदान के बाद ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़ेगा यदि वह साधारण प्रेक्षक का कार्य भी कर रहा है, तो वह फॉर्म 17 –ए की संवीक्षा पूरी करके और पीठासीन अधिकारी की डायरी पूरी करके तथा स्ट्रॉग रूम सील होने के बाद ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़ेगा । मतगणना पूरी होने तक भी उस को वहॉ रहने की आवश्यकता हो सकती है ।

4.2.2 व्यय प्रेक्षक, परिणामों की घोषणा के 30वें दिन एक बार फिर जिले में जाएगा और तब तक वहॉ रहेगा जब तक कि परिणामों की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय के लेखों के विवरण की संवीक्षा में आवश्यक सहायता की आवश्यकता है ।

4.2.3 व्यय प्रेक्षक की भूमिका :

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए व्यय प्रेक्षक आयोग की ऑख और कान होते हैं । व्यय प्रेक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लगे हुए सभी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कार्मिकों का निरीक्षण करेंगे और उन्हें दिशा–निर्देश देंगे । वह सभी व्यय अनुवीक्षण कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी का मार्ग – दर्शन करेगा ।

4.2.4– जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई सूची में से वह सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त करेगा और सहायक व्यय प्रेक्षक के कार्यों का निरीक्षण करेगा । आवश्यकता के अनुसार, एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक सहायक व्यय प्रेक्षक हो सकते हैं। वह सहायक व्यय प्रेक्षक को अंतिम प्रशिक्षण देगा । वह व्यय अनुवीक्षण में लगे हुए टीम के कार्यों का समय–समय पर निरीक्षण करेगा और जहॉ भी किसी भी टीम के कार्यों में कोई कमी या अनियमितता पाई जाएगी तो उसे जिला निर्वाचन अधिकरी के नोटिस में लाएगा । जिला निर्वाचन अधिकारी, व्यय प्रेक्षक की सिफारिश से तुरन्त सुधारात्मक उपाय करेगा ।

4.2.5– वह अभियान के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का कम से कम तीन बार निरीक्षण करेगा और उनकी विसंगतियों पर टिप्पणी करेगा । निरीक्षण की तारीख इस तरह निश्चित की जानी चाहिए कि दो निरीक्षणों के मध्य का अन्तराल तीन दिन से कम न हो और अंतिम निरीक्षण मतदान के दिन से तीन दिन पहले न हो ।

4.2.6 – वह प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए छाया प्रेक्षण रजिस्टर के रख–रखाव का निरीक्षण करेगा ।

4.2.7 – वह आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय, पुलिस के नोडल अधिकारी, राज्य उत्पाद शुल्क के नोडल अधिकारी के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी एजेन्सियों के मध्य स्वतंत्र रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है । किसी भी एजेन्सी से सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विधि प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाएगी । यदि किसी एजेन्सी

द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो उसे तुरन्त आयोग के नोटिस में लाया जाएगा, एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी देनी होगी ।

4.2.8 – यदि निगरानी टीमों, उड़न दस्तों, आयकर के अन्वेषण निदेशालय या पुलिस या राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कुछ जब्त किया जाता है, तो वह उसी दिन आयोग को रिपोर्ट फैक्स करेगा तथा एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देगा ।

4.2.9 – वह पेड न्यूज़ के सभी मामलों को उसी दिन आयोग को रिपोर्ट करेगा जिस दिन उसके नोटिस में लाया गया हो और विज्ञापन / पेड न्यूज़ की फोटो प्रतिलिपि या सी डी / डी वी डी आयोग को अग्रेषित करेगा । उक्त पेड न्यूज़ की प्रति संलग्न करते हुए एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजेगा । उपरोक्त रिपोर्टों के अलावा वह (।) 24 घंटे के अंदर आगमन और प्रस्थान रिपोर्ट (संलग्नक 2), (।।) नामांकनों की संवीक्षा के बाद 24 घंटे के अंदर प्रथम रिपोर्ट (संलग्नक 3), (।।।) मतदान के बाद द्वितीय रिपोर्ट (संलग्नक 4) और । संलग्नक 5 में उल्लिखित प्रोफार्मा के अनुसार उसके द्वितीय दौरे के बाद तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

4.2.10 '– उसे सही संवीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता करनी होगी । यदि वह जिला निर्वाचन अधिकारी से सहमत नही है तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट में उसकी टिप्पणी के लिए दिए गए स्थान में साक्ष्यों का हवाला देते हुए कारणों का उल्लेख करना होगा ।

4.2.11 यदि किसी अभ्यर्थी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से सार्वजनिक रैली या वाहनों के उपयोग इत्यादि के लिए अनुमति प्राप्त की है, फिर भी निरीक्षणों के दौरान सार्वजनिक रैलियों, या पोस्टर / पैम्फलेट या मीडिया व्यय या वाहन व्यय में 'शून्य' व्यय रिपोर्ट किया है तो ऐसे मामलों को प्रत्येक निरीक्षण के बाद तुरन्त ही ऐसे अभ्यर्थी का नाम और 'व्यय का शीर्ष ' जहॉ 'शून्य' दिखाया गया है, का उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस में लाया जाएगा । एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी दी जाएगी ।

4.3.1 सहायक व्यय प्रेक्षक:

अधिसूचना के दिन से ही उसे निर्वाचन क्षेत्र में नियत कर दिया जाएगा और वह व्यय प्रेक्षक की अनुमति के बिना निर्वाचन क्षेत्र से नहीं जाएगा । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र / खण्ड के लिए कम

से कम एक सहायक व्यय प्रेक्षक होगा । लेकिन व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में दो या अधिक सहायक व्यय प्रेक्षक हो सकते हैं – एक घटनाओं की बाहरी रिकॉर्डिंग के लिए और दूसरा टीम के साथ समन्वय के लिए ।

4.3.2 सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो सी डी की रिपोर्ट देखेगा, प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित रिपोर्ट एवं शिकायतें पढ़ेगा , और छाया प्रेक्षण रजिस्टर (छाया प्रेक्षण रजिस्टर के रख–रखाव के सम्बन्ध में अनुच्छेद 5.1 देखें) और अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का अध्ययन करेगा । वह छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्यों के फोल्डर के रख–रखाव का निरीक्षण करेगा । सहायक व्यय प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा ओर उसके निरीक्षण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा । वह सुनिश्चित करेगा कि व्यय अनुवीक्षण में लगी टीमों से प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में व्यय से संबंधित रिपोर्ट / आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय रजिस्टर में उचित रूप से दर्शाए गए हैं । भ्रष्ट आचरण की शिकायत होने पर वह इसे शीघ्र कार्रवाई के लिए उड़न दस्तों को हस्तान्तरित करेगा और व्यय प्रेक्षक को तुरन्त सूचित करेगा । उड़न दस्ते प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देंगे । यदि दस्तों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है या कार्रवाई करने में देरी की जाती है तो वह इसे व्यय प्रेक्षक के नोटिस में लाएगा, जो बदले में आयोग को रिपोर्ट करेगा और एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देगा ।

4.3.3 – वह अपने सभी कार्यों की दैनिक रिपोर्ट संलग्नक 6 के अनुसार व्यय प्रेक्षक को प्रस्तुत करेगा ।
साक्ष्यों के फोल्डर में अभियान के दौरान एकत्रित किए गए सभी साक्ष्यों का रिकॉर्ड होगा । वह इसे अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएगा । निरीक्षण के दौरान अभ्यर्थी के रजिस्टर में किसी भी व्यय को छिपाने या कम करके बताने के साक्ष्य पाए जाने पर, सहायक व्यय प्रेक्षक इसे व्यय प्रेक्षक के नोटिस में लाएगा । उसके द्वारा निरीक्षण के दौरान उचित रीति से अभ्यर्थी के नोटिस में लाया जाएगा । अभ्यर्थी के रजिस्टर में व्यय को कम दिखाए जाने पर, व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के दौरान अभ्यर्थी के रजिस्टर में अपनी टिप्पणी लिखेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा । इसे छाया प्रेक्षण रजिस्टर में नोट किया जाएगा और निर्वाचन एजेन्ट / अभ्यर्थी के हस्ताक्षर इसमें लिए जाएंगे । इन विसंगतियों को उसी दिन रिटर्निंग अधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया जाना चाहिए जो उसी दिन ऐसी विसंगतियों पर अभ्यर्थी को नोटिस

जारी कर देगा । यदि कोई कठिनाई हो तो, व्यय प्रेक्षक इसे आयोग को सूचित करेगा ओर उसका मार्ग–दर्शन लेगा ।

4.3.4 सहायक व्यय प्रेक्षक, आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता करेगा । वह व्यय प्रेक्षक द्वारा जिले के दूसरी बार दौरे के दौरान उपस्थित रहेगा और उसके कार्य में उसकी सहायता करेगा ।

4.3.5 सहायक व्यय प्रेक्षक, जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणीकरण और अनुवीक्षण समिति के कार्यों का निरीक्षण करेंगे और इसके प्रभावी कार्य संचालन के विषय में व्यय प्रेक्षक को रिपोर्ट करेंगे । यदि इस समिति द्वारा सभी केबल / चैनल / समाचार पत्र आदि नहीं देखे गए हैं, तो इसे तुरन्त ही व्यय प्रेक्षक / आयोग के नोटिस में लाया जाना चाहिए । एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी दी जानी चाहिए ।

4.3.6 यदि वीडियोग्राफर की अनुपलब्धता के कारण किसी सार्वजनिक रैली / जुलूस / घटना की वीडियोग्राफी नही की जा सकी है तो सहायक व्यय प्रेक्षक ऐसी घटना का उल्लेख छाया प्रेक्षण रजिस्टर में करेगा । यदि मीडिया समिति द्वारा प्रिन्ट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई विज्ञापन रिपोर्ट नहीं किया गया तो सहायक व्यय प्रेक्षक एक प्रति प्राप्त करेगा और छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उसका उल्लेख करेगा ।

4.4.1 वीडियो निगरानी टीमें

वीडियो निगरानी टीमें उचित रूप से प्रशिक्षित होनी चाहिए और व्यय से संबंधित सभी घटनाओं और साक्ष्यों को पकड़ने में सक्षम होनी चाहिए । वीडियों निगरानी टीमों को शूटिंग के प्रारम्भ में घटना का नाम और प्रकार, तारीख, स्थान और घटना का संचालन करने वाली पार्टी और अभ्यर्थी का नाम स्वर प्रणाली (वॉयस मोड) में रिकॉर्ड करना होगा । यह वीडियो इस तरह लेगा कि प्रत्येक वाहन का साक्ष्य, इसका निर्माण ओर रजिस्ट्रेशन संख्या, फर्नीचर, रोस्ट्रम, बैनर, कट आउट इत्यादि स्पष्ट दिखाई दें जिससे व्यय का अनुमान लगाया जा सके । जहॉ भी सम्भव हो, ड्राइवर एवं पैसेन्जर का बयान भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, जिससे यह सिद्व हो सके कि वाहन का प्रयोग निर्वाचन के लिए ही किया गया था ।

4.4.2 घटना की शूटिंग के दौरान वीडियो टीम को घटना में प्रयोग किए गए वाहनों, कुर्सियों, फर्नीचर / लाइट / लाउडस्पीकर इत्यादि की अनुमानित संख्या और प्रकार, कार्यक्रम में प्रयुक्त रोस्ट्रम / बैनर /

पोस्टर / कटआउट इत्यादि के अनुमानित आकार का विवरण देते हुए आवाज में भी रिकॉर्ड करना होगा । इससे वीडियो निगरानी टीमों को दृश्यों के संदर्भ मे दुतरफा जॉच कर लेने और घटना के व्यय का अनुमान लगाने में आसानी रहेगी । वे भाषण तथा अन्य घटनाओं को भी रिकॉर्ड करेंगे, जिससे पता लगाया जा सके कि कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ है ।

4.4.3 वीडियो निगरानी टीमें रिकॉर्डिंग के समय अनुलग्नक 7 में दिए गए प्रोफार्मा में एक संकेत पत्र तैयार करेंगी । यह संकेत पत्र (क्यू शीट) रिकार्ड की गई सी डी के साथ निगरानी टीमों को दिया जाना चाहिए । वीडियों सी डी में पहचान संख्या, दिनांक, कर्मचारी या अधिकारी का नाम होगा और इसे हमेशा संकेत पत्र के साथ रखा जाएगा । संकेत पत्र के रख–रखाव का उद्‌देश्य है कि सीडी में उपलब्ध साक्ष्यों को सरसरी तौर पर देख लिया जाए और साक्ष्यों के संगत भाग को संक्षिप्त समय में देख लिया जाए ।

4.4.4 एक ही दिन में एक से अधिक सार्वजनिक रैलियॉ, जलूस इत्यादि रहने पर पर्याप्त संख्या में वीडियो टीमें तैनात की जानी चाहिएं और जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा अपेक्षित सभी संभार तंत्र उपलब्ध कराएगा ।

4.5 वीडियो अवलोकन टीम

व्यय से संबंधित मामलों और आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामलों की पहचान के लिए वीडियो अवलोकन टीम द्वारा वीडियो, निगरानी टीम द्वारा ली गई वीडियो सी डी रोज देखी जाएगी । वे उसी दिन या अधिक से अधिक अगले दिन तक व्यय से संबंधित अपनी रिपोर्ट लेखा टीम / सहायक व्यय प्रेक्षक को देंगे । व्यय से संबंधित रिपोर्टों में टीम सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन संख्या और उनका प्रकार, मंच का आकार, कुर्सियों की संख्या पोस्टर / बैनर में उद्वरण का आकार, कट आउट की संख्या और वीडियों में की गई व्यय की अन्य सभी मदों को डालेगी । यह टीम आदर्श आचार संहिता से संबंधित रिपोर्टों / अवलोकन को साधारण प्रेक्षक/ रिटर्निंग अधकारी को प्रस्तुत करेगी । लेखा टीम और सहायक व्यय प्रेक्षक, व्यय की दर प्रस्तुत करेंगे, वीडियो साक्ष्य के आधार पर कुल व्यय की गणना करेंगे ओर संबंधित अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि करेंगे । जब इसे जॉच के लिए व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तब अभ्यर्थी के रजिस्टर के साथ इसकी तुलना की जाएगी । जैसा कि पहले कहा गया है, किसी भी व्यय को न दिखाया जाना, विलोपन इत्यादि को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 24 घंटे के अंदर सुधारात्मक उपाय के लिए निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

4.5.1 पुलिस प्रेक्षकः

व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में, उड़न दस्तों ओर साथ–साथ कुछ जिलों के समावेशन से बने क्षेत्र की स्थैतिक निगरानी टीमों के कार्य के निरीक्षण के लिए बाहरी राज्यों से उप निरीक्षक से ऊपर की श्रेणी के पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं । पुलिस प्रेक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उड़न दस्तों द्वारा सभी शिकायतों पर उचित एवं निष्क्ष रूप से कार्रवाई की गई है और स्थैतिक निगरानी टीमें प्रभावी रूप से कार्य कर रही है । उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी टीमों द्वारा दैनिक क्रिया –कलापों की रिपोर्ट की प्रति उसी दिन उनको अग्रेषित की जाएगी । यदि वह इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो वह टीम में केन्द्रीय पुलिस बल रखने के लिए राज्य के नोडल पुलिस अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से समन्वय स्थापित करेगा । यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह तुरन्त आयोग को रिपोर्ट करेगा ।

4.5.2 अधिसूचना के दिन पुलिस प्रेक्षक, निर्वाचन क्षेत्र में रिपोर्ट करेगा और मतदान समाप्त होने तक रहेगा । पुलिस प्रेक्षक रिपोर्ट – 1 और पुलिस प्रेक्षक रिपोर्ट – 11 के साथ आगमन और निगमन रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी । प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजी जाएगी । (संलग्नक – 52 और 53)

4.5.3 पुलिस प्रेक्षक व्यय मामलों में व्यय प्रेक्षक और आदर्श आचार संहिता के मामले में साधारण प्रेक्षक के साथ भी समन्वय स्थापित करेगा । वह आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के साथ भी समन्वय स्थापित करेगा ।

4.5.4 नकद या उपहार या शराब इत्यादि के वितरण के बारे में भारी संख्या में शिकायतें प्राप्त हाने या कानूनी अवयवस्था की आशंका हाने पर वह स्वयं किए गए उपचारी उपाय की सूचना आयोग को देगा ।

4.6.1 उड़न दस्ते :

यह टीम निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के प्रेस नोट की तारीख से कार्य शुरू करेगी और निर्वाचन समाप्त होने तक कार्य करेगी । व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक ऐसी टीमें हो सकती हैं । इस दौरान उड़नदस्तों को अन्य कोई कार्य नहीं दिया जाएगा । जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि टीमें गठित हो गई हैं और निर्वाचनों की अधिसूचना से पहले प्रशिक्षित हो गई हैं । उड़न दस्तों के प्रधान के रूप में अधिकारियों ओर मजिस्ट्रेट का मोबाइल नंबर शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर, पुलिस प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक और व्यय

प्रेक्षक को दिए जाते हैं और स्थानीय मीडिया में प्रकाशित भी किए जाते हैं । व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में परिस्थिति के अनुसार एक केन्द्रीय पुलिस बल का हिस्सा और जिले के केन्द्रीय सरकारी और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी नियुक्त किए जा सकते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी इस संबंध मे आवश्यक कार्रवाई करेगा । जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमाणित निष्ठा वाले अधिकारियों के साथ एक उड़न दस्ते का गठन करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वे उनको दिए गए कार्य के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं लगे हुए हैं ।

4.6.2 जब भी नकद, शराब या अन्य किसी वस्तु के वितरण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होगी, उड़नदस्ता तुरन्त उस स्थान पर पहुॅच जाएगा । दस्ता आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करेगा । रिश्वत की वस्तुएं जब्त करेगा । व्यक्तियों और गवाहों से साक्ष्य एकत्रित करेगा और बयान रिकॉर्ड करेगा । टीम रिटर्निंग अधिकारी को तुरन्त एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक को भेजी जाएगी (संलग्नक – 8) । समस्त प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा । रिटर्निंग अधिकारी रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों के खिलाफ शिकायत / एफ आई आर दर्ज करेगा । शिकायत / एफ आई आर की प्रति सहायक व्यय प्रेक्षक को भेजी जाएगी जो इसका छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख करेगा ।

4.7.1 स्थैतिक निगरानी टीम

यह टीम भारी मात्रा मे नकद, अवैध शराब, कोई संदेहास्पद वस्तु या शस्त्र इत्यादि उनके क्षेत्र मे लाए जाने पर नजर रखने के लिए जॉच–चौकी (चैक पोस्ट) बनाएगी । इस उद्देश्य के लिए निगरानी टीम द्वारा और अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही मुख्य और बड़ी सड़कों पर चैक पोस्ट लगाकर वाहनों और व्यक्तियों की तलाशी ली जा सकती है यदि बेहिसाब नकद, बिना उचित कागजातों के किसी व्यक्ति के कब्जे में पाया जाता है और यह संदेह है कि ये रिश्वत देने के लिए प्रयोग में लाई गई हैं, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और विधि के संबंधित प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाएगी । यदि निर्वाचन अभियान सामग्री के बिना भारी मात्रा मे ंनकद पाया जाता है और संबंध सिद्व करने के लिए किसी भी दल का कार्यकर्ता या निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी / पार्टी वाहन में उपस्थित नहीं है, तब जिला प्रभारी, आयकर विभाग के सहायक निदेशक को सूचित करना होगा । सहायक निदेशक, निरीक्षक को नियुक्त करेगा या आयकर कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए खुद उस स्थान पर जाएगा । जॉच और जब्त करने की पूरी घटना की वीडियो टीम द्वारा

वीडियोग्राफी की जाएगी, वह वीडियो सी डी की प्रति सहायक व्यय प्रेक्षक को प्रस्तुत करेगी । इन जॉच चौकियों का स्थापन सहायक व्यय प्रेक्षक के परामर्श से होगा और इनके स्थापन में कुछ अप्रत्याशित तत्व होंगे

4.7.2 यदि व्यय प्रेक्षक या पुलिस प्रेक्षक को ऐसी और टीमों की आवश्यकता महसूस होती है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसी टीमों को संभार तन्त्र सहित जनशक्ति देगा । मतदान के दिन के एक सप्ताह पहले निगरानी टीमों को प्रभावी रूप से मजबूत बनाना होगा और आवश्यकतानुसार अधिक संख्या मे ंटीमें बनानी होंगी । संलग्नक – 9 के अनुसार दैनिक कियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ।

4.7.3 उड़नदस्तों या स्थाई निगरानी टीमों द्वारा जिन वयक्तियों से जब्ती की गई है, उनके खिलाफ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एफ आई आर दर्ज की जाएगी । यदि कोई नकद जब्ती की गई है तो उसे 24 घंटे के अंदर राज्य कोषागार में जमा करना होगा। जब्ती के बाद पुलिस मुख्यालय में नोडल अधिकारी केस के बाद की कार्रवाई करेगा और निर्वाचन के बाद कोर्ट में केस की स्थिति के बारे में आयोग को रिपोर्ट देगा, एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी देगा ।

4.7.4 जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन की घोषणा के तुरन्त बाद जनता और राजनीति दलों से निवेदन करने हुए कि निर्वाचनों के दौरान भारी मात्रा में नकद न ले जाएं, मीडिया में एक अपील प्रकाशित करेगा । यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उद्देश्य से भारी मात्रा में नकद ले जाने की आवश्यकता पड़ ही जाती है तो उसके पास ऐसे धन के स्त्रोत ओर उसके प्रयोग का कारण बताने के लिए समुचित कागजात होने चाहिएं । संलग्नक – 10 में नमूने के रूप में अपील पत्र संलग्न हैं ।

4.7.5 उड़न दस्तों / स्थाई टीम द्वारा निर्वाचन प्रकिया के दौरान पता लगाए गए बेहिसाबी नकद, स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य संपति से निपटने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया –

मानक परिचालन प्रक्रिया

उड़न दस्ता और निगरानी टीमों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया और आयकर विभाग का हस्तक्षेप निम्न की भॉति होगा :–

(क) जिला प्राधिकारियों के उड़न दस्तेः–

जिला प्राधिकारियों द्वारा व्यय अनुवीक्षण के उद्देश्य से गठित उड़न दस्ता तहसील में स्थैतिक टीम / चैक पोस्ट द्वारा किए गए समस्त कार्यों की निगरानी करेगा । यदि तहसील में एक या एक से अधिक चैक पोस्ट हैं तो उड़न दस्ता लगातार इन टीमों के कार्यों को देखने के लिए गश्त लगाएगा । उड़न दस्तों के संचालन और इसके संचालन के परिणामस्वरूप होने वाले कानूनी व्यवस्था के मामलों के समस्त निरीक्षण का उत्तरदायित्व पुलिस अधीक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा ।

(ख) उड़न दस्तों को आयकर विभाग द्वारा तैनात कर्मचारियों के निरन्तर सम्पर्क में रहना चाहिए जिससे स्थाई टीम द्वारा जब भी नकद या अन्य उपहार पाए जाएं तो तुरन्त सूचना आयकर टीम को भेज दी जाएं, जो कम से कम सम्भव समय में उस स्थान पर पहुॅच जाएगी ।

भारतीय दंड संहिता / सी आर पी सी के प्रावधानों के अधीन उड़न दस्तों और स्थैतिक टीम को जहॉ भी संदेह हो कि नकद / अन्य वस्तुओं का प्रयोग अन्त में आपराधिक उद्देश्य के लिए हुआ है, वहॉ इनकी जब्ती पर विचार करेगा । स्थैतिक टीम / उड़न दस्ता अपराधिता का कारण निर्धारित करेगी ।

I. यदि उनको पोस्टर / बैनर / वोटर स्लिप या अन्य कोई अभियान सामग्री नकद या उपहार के साथ प्राप्त होती है ।

II. यदि शस्त्र या अन्य अवैध वस्तुएं नकद या उपहार के साथ प्राप्त होती हैं ।

III. यदि किसी राजनीतिक दल के कर्मचारी या अभ्यर्थी या उनके एजेन्टों के पास नकद प्राप्त होता है ।

IV . अन्य कोई कार्य – प्रणाली, जिसमें अपराध का संदेह हो ।

ग. उड़न दस्तों को यह सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखना होगा कि जनता के साथ व्यवहार के समय पूरी नम्रता और शिष्टाचार का कड़ाई से पालन किया जाए ।

घ. उपरोक्त मामलों में अपराधिता का संदेह होने पर जब्ती होगी । जहॉ भी उड़न दस्तों या स्थैतिक निगरानी टीम जब्ती करने का निर्णय लेती है, यह, विधि के अनुसार उस व्यक्ति को, जिसके संरक्षण में नकद या अन्य वस्तुएं जब्त की जा रही हैं समुचित पावती जारी करेगी और उसमें उस संस्था के नाम का भी उल्लेख करेगी जहॉ वह किसी सहायता या निवारण के लिए सम्पर्क कर सकता है। जब्ती के बाद, वे

नकद को कोषागार में या न्यायालय के निदेशानुसार जमा करेंगे । उड़न दस्ते जब्ती के लिए बाध्य करने वाली परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए तुरन्त एक एफ आइ आर दर्ज करेंगे और एफ आई आर की एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड में लगायी जाएगी और जिला निर्वाचन अधिकारी, व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक पुलिस मुख्यालय में नोडल अधिकारी और पुलिस प्रेक्षक (यदि कोई हो) को प्रति अग्रेषित की जाएगी ।

ड़) इस उद्देश्य के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय समय या अवकाश के दिन जब्त नकद को प्राप्त करने के लिए कोषागार यूनिट को आवश्यक अनुदेश जारी करेगा ।

च) यदि कोई व्यक्ति नकद के स्त्रोत और इसके अंतिम प्रयोग से संबंधित दस्तावेजों सहित नकद ले जा रहा है या आकस्मिक उद्देश्य दर्शाते हुए दस्तावेजों सहित नकद ले जा रहा है, तो ऐसे मामलों में उड़न दस्ता, व्यक्ति द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों की जॉच करने के बाद और आयोग को प्रस्तुत करने के लिए उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा (जब आयोग इसे मॉगेगा)

छ. उड़न दस्तों और निगरानी टीमों की समस्त कार्य प्रणाली की वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी । व्यक्ति के द्वारा उसका नाम, पता और ले जाए जाने वाली राशि इत्यादि बताए जाते हुए उसकी आवाज वीडियो ग्राफर द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी । वीडियो संकेत पत्र (क्यू शीट) के साथ इस वीडियो की भी एक प्रति सुरक्षित रखने के लिए लेखा टीम को दी जाएगी । समस्त कार्य प्रणाली की वीडियो की प्रति जनता के किसी भी सदस्य द्वारा 300/– रू जमा करके प्राप्त की जा सकती है ।

ज) यदि कोई आपराधिता का संदेह नहीं होता और ले जाई जाने वाली धनराशि 1,00000/–रू. से अधिक होती है तो जिले में इस कार्य के लिए तैनात आयकर विभाग को तुरन्त सूचित किया जाएगा और आयकर टीम की सहूलियत के लिए नकद ले जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी जिससे आयकर कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके ।

झ) संलग्न संशोधित प्रोफार्मा (संलग्नक 8 और 9) के अनुसार उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी टीमों की दैनिक क्रिया–कलापों की रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी और प्रतिलिपि, पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी । नोडल अधिकारी द्वारा

रिपोर्ट संकलित की जाएगी और प्रतिदिन आयोग को भेजी जाएगी और प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी ।

ञ) जिला प्रभारी, आयकर विभाग का सहायक निदेशक ऐसी कार्रवाई करेगा, जो आयकर कानून के प्रावधानों के अनुसार हो ।

ट) उड़न दस्तों / निगरानी टीमों द्वारा जब्ती किए जाने पर जब्त किए गए नकद / सामग्री को न्यायालय से आदेश प्राप्त करके ही छुड़ाया जा सकेगा । लेकिन व्यक्ति को नकद दिए जाने से पहले जिला प्रभारी, सहायक निदेशक, आयकर को सूचित किया जाना चाहिए और यदि आयकर कानून के अधीन कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो प्राधिकारी जब्त नकद को आयकर विभाग के सहायक निदेशक को सौंपेगा, जो आयकर अधिनियम की धारा 132 क के अधीन समुचित पंचनामा के अधीन पुनः नकद जब्त करेगा, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति को भी दी जाएगी जिससे यह नकद जब्त किया गया था ।

4.7.6 पुलिस मुख्यालय में नोडल अधिकारी : राज्य के पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक के स्तर के एक अधिकारी को पुलिस प्रेक्षक (यदि कोई हो), सभी विधि प्रवर्तन एजेन्सियों और आयोग के साथ समन्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाएगा । निर्वाचनो के दौरान उसके कार्यालय का टेलीफोन / फैक्स नंबर और मोबाइल नंबर निर्वाचन आयोग, व्यय प्रेक्षक, अन्वेषण निदेशालय, उत्पाद शुल्क विभाग व अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियां को सूचित किया जाएगा । जिले के उड़न दस्तों द्वारा जब्ती रिपोर्टों को पुलिस अधीक्षक द्वारा संकलित किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी को फैक्स किया जाएगा । नोडल अधिकारी, राज्य के लिए सूचनाओं को संकलित करेगा और दैनिक रिपार्ट आयोग को भेजेगा, एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा ।

4.7.7 हैलिकोप्टर / निजी विमानों की जॉच के लिए मानक संचालन प्रकिया

अपने दिनांक 8.4.2011 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने निम्नलिखित कार्रवाई की सिफारिश करते हुए अनुदेश जारी किए हैं :–

i. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी प्रचलानात्मक हवाई अड्डों पर व्यापारिक या चार्टर्ड किसी भी विमान / हेलीकॉप्टर पर सवार हाने से पहले यात्रियों (छूट प्राप्त श्रेणी के अलावा) और उनके सामानों की

जॉच व फ्रिस्किंग से संबंधित नियमों व प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना होगा । राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस प्राधिकारी, दूरवर्ती और अनियंत्रित हवाई अड्डों पर सामान की स्क्रीनिंग और प्रत्यक्ष जॉच करेंगे ।

ii. विमान यातायात नियंत्रण, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 24 घंटे पहले यात्रियों के विवरण सहित मतदान संबंधित राज्यों में उतरने वाले सभी निजी हैलीकॉप्टर / विमानों की उड़ान योजना की सूचना देंगें, जो जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी और व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी । मतदान, सम्बद्व राज्य में अप्रचलनात्मक या अनुपयुक्त हवाई अड्डे / हवाई पट्टी / से प्रचालन की अनुमति दिए जाने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है । जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय पुलिस सभी सामानों और यात्रियों की फ्रिस्किंग और जॉच कर लें ।

iii. यदि प्रचलनात्मक हवाई अड्डे में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 10लाख से अधिक नकद या 1 किलोग्राम या उससे अधिक सोना–चॉदी मतदान सम्बद्व राज्यों की ओर या मतदान सम्बद्व राज्यों के हवाई अड्डे की ओर ले जाए जाने का पता लगाता है तो वह तुरन्त इसे हवाई अड्डे में तैनात आयकर विभाग को सूचित करेगा । आयकर विभाग सूचना प्राप्त होते ही आयोग को सूचित करते हुए आयकर कानून के अधीन आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

iv हवाई अड्डे / हवाई पट्टी पर पता लगाने से लेकर जब्ती / मुक्ती तक की समस्त प्रक्रिया को समीपी परिधि टी वी / वीडियो कैमरे में कैद किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए आयकर विभाग के आसूचना विंग के हवाई अड्डे के कार्यालय में भी सी सी टी वी कैमरा लगाने होंगें ।

v ऐसे सी सी टी वी / वीडियो रिकॉर्डिंग, को प्राधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जाना चाहिए और जब भी आवश्यक हो आयोग को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

vi सूचना प्राप्त होने पर यदि आयकर विभाग यह निर्णय लेता है कि नकद या सोना चॉदी को जब्त नहीं करना है तो उसे तुरन्त मतदान सम्बद्व राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विमान के सम्बद्व राज्य में उतरने से पहले सूचित किया जाना चाहिए और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उड़न दस्तों को (आवश्यकता पड़ने पर) कार्रवाई के लिए सावधान करेगा ।

4.8 लेखा टीमें

4.8.1 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/खण्ड के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ' छाया प्रेक्षण रजिस्टर ' और साक्ष्यों के फोल्डर के रख–रखाव में लेखा टीमों को सहायक व्यय प्रेक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा । उनको जैसा रिपोर्ट किया गया वैसे ही वे व्यय की मदों की प्रविष्टि करेंगे और प्रत्येक मद के सम्मुख अधिसूचित दर लिखेंगे, फिर प्रत्येक अभ्यर्थी के कुल व्यय की गणना करेंगे । छाया प्रेक्षण रजिस्टर का प्रोफार्मा अनुलग्नक – ।। में दिया गया है ।

4.8.2 ऐसे मामले हैं, जहॉ निर्वाचन अभियान सामग्री नामांकन दाखिल करने के बाद प्रयोग की गई है, जबकि नामांकन दाखिल करने से पहले इसका भुगतान कर दिया जाना चाहिए था । रिटर्निंग अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नामांकन दाखिल करने के बाद निर्वाचन अभियान सामग्री पर किए गए व्यय को छाया प्रेक्षण रजिस्टर में शामिल करना चाहिए, भले ही इसका भुगतान, नामांकन दाखिल करने से पहले कर दिया गया हो । इसी तरह नामांकन दाखिल करने के संबंध में रैली या जलूस पर व्यय को निर्वाचन व्यय के एक भाग के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।

4.9 व्यय अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर

प्रत्येक जिले में निर्वाचन व्यय में लगे हुए विभिन्न कार्यकर्ताओं के मध्य सम्पर्क के लिए नियंत्रण कक्ष और शिकायतें रजिस्टर करने के लिए एक कॉल सेन्टर होगा । जनता द्वारा की गई सभी मौखिक शिकायतें भी रिकार्ड की जानी चाहिए । व्यय से संबंधित शिकायतें तुरन्त सम्बन्धित अधिकारी को भेज दी जानी चाहिए, एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी और व्यय प्रेक्षक को देनी होगी और यदि आदर्श आचार संहिता से संबधित शिकायत है तो, एक प्रति साधारण प्रेक्षक को भी देनी होगी । शिकायतकर्ता का नाम और पता शिकायत की प्रकृति, शिकायत का समय और नियंत्रण कक्ष द्वारा शिकायत पर की गई कार्रवाई के साथ अनुलग्नक 13 में दिए प्रोफार्मा में एक रजिस्टर का भी रख–रखाव किया जाना चाहिए । नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु शिकायत तुरन्त आगे भेजी जा रही है यह सुनिश्चित करने के लिए व्यय प्रेक्षक और साधारण प्रेक्षक समय–समय पर इस रजिस्टर का निरीक्षण करेंगे ।

4.10.1 मीडिया प्रमाणन एवं व्यय अनुवीक्षण समिति

जैसा कि आयोग के दिनॉक 23 सितम्बर, 2010 के पत्र सं0 491/मीडिया पोलिसी/2010 द्वारा पेड न्यूज को जॉचने के उपायों के सम्बन्ध में (अनुलग्नक–46) निदेश दिया गया है कि जिला स्तर पर विस्तारित और पुनर्गठित समिति पहले से दिए गए विज्ञापनों के प्रमाणीकरण कार्य के अलावा, केबल नेटवर्क सहित प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुवीक्षण करेगा और सी डी या डी वी डी में रिकॉर्ड करेगा, सभी विज्ञापनों/पेड न्यूज, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या राजनीतिक पार्टी के निर्वाचन से सम्बन्धित समाचारों की फोटोकॉपी रखेगा । जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस समिति को उस निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्र, सभी राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार चैनल के केबल कनेक्शन सहित तीन या चार टी वी सेट और एक रिकॉर्डिगं यंत्र और अलग कमरे दिऐ जाएं जिससे वे निर्वाचनों से सम्बन्धित सभी विज्ञापन/विचार विमर्श देख सके और रिकार्ड कर सकें ।

4.10.2 आयोग ने अपने दिनॉक 15 अप्रैल, 2004 के पत्र सं0 509/75/2004/जे.एस.–I (संलग्नक–17) और दिनॉक 21 नवम्बर, 2008 के पत्र सं0 509/75/2004/जे.एस.–I/वोल्यूम–II/आर सी सी (संलग्नक–26) द्वारा निदेश दिया था कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान निजी एफ एम चैनलों सहित सभी टी वी चैनलो, केबल नेटवर्क और रेडियो में राजनीतिक प्रकृति के सभी विज्ञापन इस उददेश्य के लिए संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित संवीक्षा समिति से पूर्व अनुमति मिल जाने के बाद ही बनाए जा सकते हैं । ऐसे प्रस्तावित विज्ञापनों के आवेदन में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए :–

(i) विज्ञापन की उत्पादन लागत

(ii) सन्निवेशनों की संख्या को अलग करके और प्रत्येक सन्निवेशन के लिए प्रभारित प्रस्तावित दर सहित टी वी चैनल या केबल नेटवर्क या रेडियो पर दिए जाने वाले ऐसे विज्ञापनों को प्रसारित करने की अनुमानित लागत ।

(iii) इसमे यह विवरण भी शामिल होना चाहिए कि क्या शामिल किया गया विज्ञापन किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक पार्टी के चुनाव में लाभ की प्रत्याशा से है

(iv) यदि विज्ञापन राजनीतिक पार्टी या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य द्वारा जारी किया गया है तो उस व्यक्ति को शपथ देनी होगी कि यह किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी के लाभ के लिए नहीं है, और

(v) एक बयान देना होगा कि सभी भुगतान चैक या डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा किया गया है ।

4.10.3 जब भी जिला स्तरीय समिति या मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति किसी विज्ञापन के लिए अनुमति देती है तो इसे समस्त व्यय विवरण के साथ अनुमति की एक प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और लेखा टीम को अग्रेषित करनी होगी जो इस व्यय को छाया प्रेक्षण रजिस्टर में शामिल करेगी ।

4.10.4 राजनीतिक पार्टी/अभ्यर्थी को व्यय के विवरण को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण में और विज्ञापन/पेड न्यूज को प्रिन्ट मीडिया में प्रस्तुत करना होगा । यदि मीडिया अनुवीक्षण सेल को लगता है कि कोई विज्ञापन समुचित अनुमति के बिना किसी अभ्यर्थी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है, तो वे तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेंगे और रिटर्निंग अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के अधीन अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेगा । इस विज्ञापन में व्यय का छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख किया जायगा और उसके रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान अभ्यर्थी को सूचित किया जायगा । इस संबंध में आयोग के दिनॉक 21.11.08 के पत्र संख्या 509/75/2004/जे.एस.–I/वोल्यूम–III/आर सी सी (अनुलग्नक 26) में निहित अनुदेशों का भी पालन किया जा सकता है । प्रसारण के लिए विज्ञापन के आवेदन एवं प्रमाणन का प्रोफार्मा अनुलग्नक 27 और 28 में संलग्न है ।

4.10.5 जिला समिति मीडिया क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखेगी और जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगी, एक प्रति साधारण प्रेक्षक को भी भेजेगी।

4.11.1. पेड न्यूज–भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पेड न्यूज को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि 'कोई भी खबर या विश्लेषण जो (प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक) मीडिया में नकद या अन्य किसी मूल्य के लिए प्रतिफल के रूप में प्रकाशित होता है।' आयोग ने इस परिभाषा के साथ जाने का निर्णय ले लिया है। आयोग का दिनांक 8 जून 2010 का परिपत्र सं0 491/मीडिया/2010 पेड न्यूज तक पहुँचना और आवश्यकतानुसार कार्रवाई निर्दिष्ट

करता है। (अनुलग्नक 29) मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति सभी समाचार पत्रों, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क और जन–संचारण की अन्य विधियां जैसे अधिकाधिक संख्या में एस एम एस आदि देखेगा और अभ्यर्थियों और पार्टियों से संबंधित विज्ञापनों, संपादकीय संदेशों, चर्चाओं और साक्षात्कारों का रिकॉर्ड रखेगा। यह समिति अनुलग्नक–12 में दिए प्रोफार्मा में प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित दैनिक रिपोर्ट लेखा टीम को देगी तथा इसके प्रति रिटर्निंग ऑफिसर व व्यय प्रेक्षक को देगी।_यह रिपोर्ट पेड न्यूज के निर्धारित मामलों के समर्थक दस्तावेजों की कटिंग/क्लिपिंग, संबंधित टीवी और रेडियों विज्ञापनों की रिकॉर्डिग सहित अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन विज्ञापन पर किए गए व्यय के संबंध में होगी, जिसे छाया परीक्षण रजिस्टर में भी शामिल किया जाएगा। ऐसे प्रकाशन पर व्यय न दिखाए जाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी पेड न्यूज की घटना के संबंध में व्यय प्रेक्षक की सलाह से अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेगा। व्यय प्रेक्षक 24 घंटे के अंदर एक प्रति निर्वाचन आयोग को देते हुए पेड न्यूज की रिपोर्ट व्यय प्रेक्षक को देगा।

4.11.2. व्यय लेखा टीम डी ए वीपी/डी पी आई आर की दर से जो भी कम हो, गणना करेगी और इसका छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख करेगी। व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के दौरान ऐसी विसंगतियों को अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन एजेन्ट के नोटिस में लाएगा और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में पेड न्यूज पर किए व्यय की विसंगतियों का उल्लेख करेगा।

4.11.3. ऐसे सभी नोटिसों की प्रतिलिपि पेड न्यूज के साथ रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड और जिला निर्वाचन वेबसाइट/मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेबसाइट में प्रदर्शित की जानी चाहिए। इनकी एक प्रति जनता के किसी भी सदस्य को 1 रू0 प्रति पृष्ठ का भुगतान करने पर दी जा सकती है।

4.11.4. अभ्यर्थी द्वारा पेड न्यूज पर किए गए व्यय को स्वीकार करने में विवाद होने पर ऐसे मामलों के संबंध में राज्य स्तरीय समिति द्वारा की गई अपील में विचार किया जा सकता है, जो पहले ही आयोग के दिनांक 8 जून 2010 के परिपत्र में विचाराधीन है और जिसे पुनः विस्तारित एवं पुनर्गठित किया गया है और सदस्यता, आयोग के दिंनाक 18.3.2011 के पत्र सं0 491/मीडिया/2009 के द्वारा पृथक परिपत्र में अधिसूचित है। (अनुलग्नक–29 क) यह समिति, अभ्यर्थी द्वारा लेखों का सार–विवरण प्रस्तुत करने और जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के बाद राज्य स्तर पर समुचित कदम उठाएगी। राज्य स्तरीय समिति को यदि ऐसा लगता है तो अपील के मामलों का समुचित रूप से निपटान कर सकती है या उसे आवश्यक लगे तो आयोग को सौंप सकती है।

4.11.5. आरोपित पेड न्यूज और राजनीतिक पार्टियों/उनके कार्यकर्ताओं/कार्यालय धारकों के स्वामित्व वाली टीवी/केबल चैनलों पर विज्ञापन, के दृष्टान्तों को सुलझाने में एकरूपता लाने के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या 491/मीडिया/2011 (विज्ञापन दिंनाक 16–08–2011 अनुलग्नक 29ख) द्वारा सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी करने का निदेश दिया है –

1. लोक सभा या राज्य/संघ राज्य सभा के समाप्त होने की तारीख से छः महीने पहले, मामला जैसा भी हो, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परिचालित टेलीवीजन चैनलों/रेडियों चैनलों/समाचार पत्र प्रसारणों की सूची और उनके मानक दर कार्ड, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाऐंगे और आयोग को अग्रेषित किए जाएंगें। इस उक्त छः महीने के अन्तर्गत प्रस्तुत किसी भी समाचार चैनल, समाचार पत्र इत्यादि के संबंध में भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी।

2. जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, अभ्यर्थी से संबंधित सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनैतिक विज्ञापनों का अनुवीक्षण करेगी और अभ्यर्थियों को यद्यपि उन्होंने वास्तव में चैनल/समाचार पत्र को धनराशि न भी दी हो, पर यह मामला पेड न्यूज का हो तो उनके निर्वाचन व्यय में

मानक दर कार्ड पर आधारित अनुमानित व्यय को शामिल करने के आशय से नोटिस जारी करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगी। इसमें अभियान में शामिल सितारों या अन्यों द्वारा प्रचार, जो किसी अभ्यर्थी की ओर से उसकी निर्वाचन संभावना को प्रभावित करने के लिए किए जा रहे हों, भी शामिल होंगे। नोटिस की एक प्रति निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को भी चिहिन्त की जाएगी।

3. संसदीय या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप–निर्वाचन के मामले में उप निर्वाचनों की घोषणा होते ही संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी मानक दर कार्ड प्राप्त करेगा और इसके तत्काल बाद मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति आवश्यक कार्रवाई करेगी।

4. निर्वाचन अभियान प्रारम्भ होने से पहले 'पेड न्यूज' के मामले की तरह मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों और मीडिया घरों को उपरोक्त दिशा–निर्देशों के विषय में संक्षिप्त विवरण देंगे।

5. मानक दर चार्ट के प्रयोग की तकनीक से संबंधित संदेह होने पर मामले को डी ए वी पी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को परामर्श के लिए भेजा जाएगा।

4.12. व्यय अनुवीक्षण सेल

1. पर्याप्त जनशक्ति और कार्यालय स्थान और साधन की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालय को व्यय अनुवीक्षण सेल का नोडल अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ सामंजस्य रखेगा, नोडल अधिकारी निर्वाचन की अधिसूचना से पहले ही निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कार्य में लगी टीम की जनशक्ति को प्रशिक्षण देगा। जिला निर्वाचन अधिकारी किसी भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी जिसकी सेवाएं व्यय अनुवीक्षण में अपेक्षित हैं, तैनात कर सकता है।

2. व्यय अनुवीक्षण सेल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा और निर्वाचनों की अधिसूचना के मध्य के समय के दौरान राजनीतिक पार्टियों/संभावित अभ्यर्थियों द्वारा की गई सभी सार्वजनिक बैठकों/रैलियों की वीडियो लेगा। इस सेल द्वारा वीडियो सीडी/डीवीडी के अनुसार राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए सभी ऐसे व्ययों की गणना की जाएगी और इस अवधि के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए व्यय का अनुमान लगाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया जाएगा। यद्यपि इस व्यय को अभ्यर्थी के रजिस्टर में शामिल नहीं करना है, पार्टी को इस व्यय को विधान सभा मतदान के 75 दिन और लोकसभा मतदान के 90 दिन के अंदर आयोग को दिखाना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पार्टी द्वारा इस दौरान और परिणामों की घोषणा तक

किए गए कुल व्यय से संबंधित जिलावार रिपोर्ट एकत्रित करेगा और परिणामों की घोषणा के 45 दिन के अंदर आयोग को अग्रेषित करेगा।

5. व्यय अनुवीक्षण की प्रक्रिया

ऊपर के अनुच्छेद में उल्लिखित टीम के कार्यों के अलावा निम्नलिखित अनुवीक्षण प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा –

5.1. छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्यों का रख–रखाव फोल्डर–

अनुलग्नक 11 में संलग्न प्रोफार्मा में लेखा टीम द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर का रख–रखाव किया जाएगा। इस रजिस्टर का रख–रखाव विभिन्न टीमों द्वारा किए गए व्यय के निरीक्षण/व्यय अनुवीक्षण रिपोर्टों के आधार पर किया जाएगा। इस रजिस्टर का उद्देश्य अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट किए गए बड़े–बड़े व्ययों की मदों की पुनः जांच करना है।

5.1.2

लेखा टीम को, वीडियो निगरानी टीम, वीडियों अवलोकन टीम, मीडिया व्यय अनुवीक्षण टीम, अवैध नकद आदान–प्रदान की जांच के लिए निगरानी टीम और उड़न दस्ते, कॉल सेंटर, नियंत्रण कक्ष से दैनिक आधार पर सूचना प्राप्त होगी। लेखा टीम, व्यय प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक के सम्पूर्ण दिशा–निर्देशों और निरीक्षण के अधीन कार्य करेगी।

5.1.3

सहायक व्यय प्रेक्षक, प्रत्येक अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर का प्रतिदिन निरीक्षण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि व्यय अनुवीक्षण की विभिन्न टीमों द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी व्ययों की इस रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है। कोई विसंगति या कमी पाई जाने पर इसे तुरंत व्यय प्रेक्षक को रिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए।

5.2. साक्ष्यों का फोल्डर–

लेखा टीम द्वारा प्रत्येक छाया प्रेक्षण रजिस्टर के साथ साक्ष्यों के फोल्डर का भी रख–रखाव किया जाएगा। छाया प्रेक्षण रजिस्टर रजिस्टर में किसी भी व्यय के खिलाफ एकत्रित सभी साक्ष्यों को इस फोल्डर में रखना होगा। सभी पृष्ठों में पृष्ठ संख्या डालनी होगी और सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होगी। इस फोल्डर में दृश्य और श्रव्य सीडी, पोस्टर, पुस्तिका, पैम्फलेट की प्रतियां इत्यादि, समाचार पत्रों के विज्ञापन और पेड न्यूज की कटिंग, बिलों और वाउचरों की प्रतियां एवं व्यय के संबंध में विभिन्न अधिकारियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की प्रतियां, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतियां, व्यय से संबंधित शिकायतों की प्रति और इन शिकायतों पर पूछताछ की रिपोर्ट, व्यय अनुवीक्षण से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को जारी किए गए नोटिस और प्राप्त जवाब, अभ्यर्थी के व्यय के संबंध में दर्ज की गई एक एफआईआर इत्यादि को शामिल किया जा सकता है।

5.3. यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा निषिद्ध मदों पर व्यय किया गया है, तो विधि के संगत प्रावधानों के अधीन अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने मतदाता को प्रभावित करने के लिए धन या अन्य कोई ऐसी वस्तु वितरित की है तो उसी दिन उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की घूसखोरी से संबंधित प्रावधानों के अधीन सक्षम न्यायालय में/पुलिस के सामने शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त साक्ष्यों के साथ इस व्यय की सभी प्रविष्टि छाया प्रेक्षण रजिस्टर में की जानी चाहिए ओर दर्ज किए गए एफआईआर के विवरण की भी छाया प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट व्यय प्रेक्षक द्वारा 24 घंटे के अंदर आयोग को दे दी जानी चाहिए।

5.4. अभ्यर्थी द्वारा रख–रखाव किए गए निर्वाचन व्यय रजिस्टर का जिस अवधि तक का निरीक्षण कर लिया गया है उस अवधि तक के छाया प्रेक्षण रजिस्टर को अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि या जनता के किसी सदस्य को दिखाया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा रख–रखाव रजिस्टर में रिपोर्ट किया गया व्यय छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लिखित राशि से कम है तो इसे उसके नोटिस में लाया जाएगा । यदि अभ्यर्थी द्वारा अनुरक्षित निर्वाचन व्यय रजिस्टर में रिपोर्ट किया गया व्यय छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लिखित व्यय, से कम है तो इसे

निरीक्षण के दौरान व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर के अधीन उसके रजिस्टर में से लिखकर अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के नोटिस में लाया जाएगा और छाया प्रेक्षण रजिस्टर में भी इसकी नोटिंग की जाएगी तथा अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर लिए जाऐगें । इस प्रकार की विसंगति के लिए रिटर्निंग अधिकारी, उसी दिन लिखित में अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि को एक नोटिस देगा । आम जनता के सूचनार्थ रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर नोटिस की प्रति प्रदर्शित की जाएगी । आम जनता का कोई भी सदस्य 1 रूपया प्रति पृष्ठ के शुल्क का भुगतान कर नोटिस की प्राप्ति कर सकता है । नोटिस तथा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट से प्राप्त जवाब की प्रति छाया प्रेक्षण रजिस्टर में रखी जाएगी । प्राप्त जवाबों को भी रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा तथा 1/–रू0 प्रति पृष्ठ का भुगतान कर इन्हें आम जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा । इस प्रकार से जारी किए गए नोटिसों तथा प्राप्त जवाबों को, यदि कोई हैं तो, परिणामों की घोषणा के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय के लेखों की सत्यता के बारे में राय बनाने के लिए व्यय प्रेक्षक तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को चिन्हित करने चाहिए ।

5.5.1 जन सभाओं, रैलियों इत्यादि का अनुवीक्षण

कोई भी अभ्यर्थी या उसका प्रतिनिधि , जो जन सभा या रैली के लिए अनुमति हेतु आवेदन करता है, वह अनुमति के लिए आवेदन के साथ संलग्नक–16 में दिए आरूप में योजना व्यय भी प्रस्तुत करेगा ।

5.5.2 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र सहित इस व्यय योजना की प्रति, उस जनसभा या रैली के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु ड्यूटी पर भेजे गए अधिकारी तथा सहायक व्यय प्रेक्षक को भी उस महत्वपूर्ण घटना की वीडियोग्राफी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए दी जाएंगी ।

5.5.3 लेखा टीम प्रत्येक जनसभा या रैली पर हुए व्यय की अधिसूचित दरों के आधार पर अलग से गणना करेगी तथा फोटो, वीडियो रिकार्डिंग तथा विवरणियों इत्यादि के रूप में इकट्ठे किए साक्ष्यों का फोल्डर रखेगी।

5.5.4 नामांकन दाखिल करते हुए रैली या जलूस संगठित करने के संबंध में सभी व्यय अभ्यर्थी के लेखे में शामिल किए जाएंगे ।

5.5.5 आयोग ने अनुदेश सं0 76/अनुदेश/2011/ईईएम, दिनांक 07.04.2011 (संलग्नक–56) जारी किया था जिसके अनुसार जब आम जनता के सदस्य किसी अभ्यर्थी की जनरैली/जुलूस/जनसभा में बिना किसी से

कोई भुगतान या प्रतिपूर्ति लिए अपने निजी वाहन में वहॉ उपस्थित होते हैं तो उसे अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा । तथापि, प्रचार के प्रयोजनार्थ रैली या जनसभा में निजी वाहनों पर झंडे या बैनर लगाकर किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए उनका प्रयोग करना, अभ्यर्थियों के व्यय में जोड़ा जाएगा । यदि किसी अभ्यर्थी (र्थियों) की रैली या जनसभा के लिए वाणिज्यिक पंजीकरण संख्या वाले वाणिज्यिक वाहन प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे वाहनों के व्यय को अभ्यर्थी (र्थियों) के लेखे में शामिल किया जाएगा ।

5.5.6 अभ्यर्थी (र्थियों) द्वारा प्रचार के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होने वाला एक निजी वाहन, प्रचार वाहन के रूप में माना जाएगा तथा ईधंन और ड्राइवर के वेतन के रूप में बाजार दरों पर अनुमानित व्यय को अभ्यर्थी (र्थियों) के खाते में जोड़ा जाएगा । अभ्यर्थी (र्थियों) द्वारा अपने अन्य वाहनों को प्रचार के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाए जाने के मामले में इस प्रकार के वाहनों को किराए पर लेने की अधिसूचित दरों के अनुसार अनुमानित व्यय की अभ्यर्थी (र्थियों) द्वारा गणना की जाएगी ।

5.5.7 पार्टी प्रतीकों के साथ झंडे, टोपी तथा मफलरों के प्रयोग के बारे में आदर्श आचार संहिता में एफ ए क्यू के प्रश्न सं0 72 में स्पष्ट कर दिया गया है । पार्टी प्रतीकों के साथ इस प्रकार की मदों जैसे झंडे, मफलर या टोपियों के व्यय को निर्वाचन व्यय के रूप में संबंधित पार्टी द्वारा उसके खाते में डाला जाएगा । यदि उन पर अभ्यर्थी (र्थियों) का नाम व फोटो छपा है तो इसे अभ्यर्थी के लेखों मे जोड़ा जाएगा । तथापि, पार्टी/अभ्यर्थी द्वारा मुख्य वस्त्र यथा साड़ी, कमीज, टी–शर्ट, धोती इत्यादि की आपूर्ति तथा वितरण वर्जित है क्योंकि इसे मतदाताओं को घूस के रूप में देना, माना जाता है ।

5.5.8 भारत निर्वाचन आयोग की दिनॉक 28 मार्च, 2011 की अनुदेश सं0 464/अनु0/2011/ईपीएस में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन कार्यो के लिए जिले में विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों मे जाने के लिए जिला स्तर पार्टी कार्यालय के पदाधिकारियों/नेताओं (स्टार प्रचारकों को छोड़कर) के वाहन पर व्यय को अभ्यर्थी (र्थियों) के लेखों में नहीं जोड़ा जाएगा । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि जिला पदधारी स्वयं ही अभ्यर्थी है तथा उसी जिले से निर्वाचन लड़ रहा है और जहॉ से वह निर्वाचन लड़ रहा है वहॉ गतिविधि के लिए ऐसा वाहन प्रयोग कर रहा है या किसी विशेष अभ्यर्थी (र्थियों) के प्रचार के लिए ऐसा वाहन प्रयोग कर रहा है तो प्रचार प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन के भाड़े का खर्च अभ्यर्थी (र्थियों) के खाते में डाला जाएगा ।

5.6.1 स्टार प्रचारकों के यात्रा खर्चो पर व्यय :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 7 के अनुसार राजनैतिक पार्टी के नेताओं द्वारा हवाई या अन्य किसी भी तरह की यात्रा के खर्चे को निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत या वहन व्यय नहीं माना जाएगा । धारा का स्पष्टीकरण (2) मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टियों के 40 व्यक्तियों तथा मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टियों के अलावा अन्य किसी पार्टी अर्थात रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त पार्टियों के 20 व्यक्तियों, जिनके नामों की सूचना, अधिसूचना की तारीख से 7 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग को दे दी गई है, को राजनैतिक नेताओं में शामिल करना परिभाषित करता है । मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग को इस प्रकार से संसूचित राजनैतिक नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में जाना जाता है।

5.6.2 स्टार प्रचारक द्वारा जनसभा या बैठक के मामले में यदि अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन एजेंट स्टार प्रचारक/प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ मंच बांटता है तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय को छोड़कर रैली का समस्त व्यय अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जाएगा । यदि अभ्यर्थी मंच पर उपस्थित नहीं है परंतु अभ्यर्थी के नाम या अभ्यर्थी के फोटो वाले बैनर/पोस्टर जन रैली के स्थान पर प्रदर्शित किए गए हैं या प्रतिष्ठित व्यक्ति/स्टार प्रचारक द्वारा अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख किया गया है तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय के अलावा जन रैली का पूरा खर्च अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखों में डाला जाएगा । यदि रैली/सभा में एक से अधिक अभ्यर्थी मंच बांटते है या रैली/सभाओं में उनके नामों के साथ बैनर या पोस्टर प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार की रैली/सभा पर हुए व्यय को ऐसे अभ्यर्थियों के मध्य समान रूप से बॉट दिया जाएगा । रिटर्निंग अधिकारी को रैली मे उपस्थित अन्य अभ्यर्थियों के बारे में सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को दे देनी चाहिए ताकि ऐसे अभ्यर्थियों के व्यय की आवश्यक प्रविष्टि छाया प्रेक्षण रजिस्टर में कर दी जाए ।

5.6.3. हेलीकॉप्टर या विमान खर्चे : निर्वाचन व्यय की एक मुख्य मद हेलीकॉप्टर या विमान किराए पर लेना है। आयोग के अनुदेशों के अनुसार यदि निर्वाचन की अधिसूचना के 7 दिनों के अंदर आयोग/सी ई ओ को स्टार प्रचारक के नाम की सूचना दे दी जाती है तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय को अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा । यदि अभ्यर्थी या उसका कोई प्रतिनिधि, परिवार का सदस्य या राजनैतिक पार्टी का कोई नेता (अधिसूचित स्टार प्रचारक के अलावा) स्टार प्रचारक के साथ वाहन सुविधा बॉट रहा/रही है तो आयोग के

दिनॉक 20 अगस्त, 2009, 31 मार्च 2009 के पत्र सं0 76/2009/एस डी आर तथा दिनांक 31 अक्तूबर, 2008 की सं0 437/6/अनु0/2008–सी सी और बी ई (संलग्नक–47, 48 व 49) में निहित अनुदेशों के अनुसार अभ्यर्थी के व्यय में 50 प्रतिशत व्यय जोड़ दिया जाएगा । यदि एक से अधिक अभ्यर्थी यह सुविधा बांट रहे है तो 50 प्रतिशत यात्रा व्यय उन सभी अभ्यर्थियों के बीच विभाजित कर दिया जाएगा । (संलग्नक 48)

5.6.4 यदि किसी अन्य राजनैतिक पार्टी/पार्टी का स्टार प्रचारक, अभ्यर्थी की सहयोगी पार्टी रैली में हिस्सा लेता है और अभ्यर्थी का नाम लेता है या अभ्यर्थी के साथ मंच बांटता है तो सहयोगी पार्टी के प्रचारक का निर्वाचन क्षेत्र तक का यात्रा व्यय छूट प्राप्त नहीं है इसे अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जाना चाहिए । इस सबंध में आयोग के दिनांक 24.10.08 के पत्र सं0 437/6/2008 के अनुदेश में निहित है जो कि हेलीकॉप्टर के प्रयोग से संबंधित हैं तथा संलग्नक 25 पर दिए गए हैं ।

5.6.5 किसी भी अभ्यर्थी के लिए जिस निर्वाचन क्षेत्र में स्टार प्रचारक प्रचार करते है वहॉ के निवास/भोजनाव्यवस्था सहित सभी व्यय उस विशेष अभ्यर्थी के व्यय लेखों में शामिल किए जाएंगे, बशर्ते :–

(क) स्टार प्रचारक/प्रचारकों ने अभ्यर्थी के लिए वास्तव में प्रचार किया हो, तथा

(ख) स्टार प्रचारक/प्रचारकों ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभियान के उद्देश्य से वाणिज्यिक होटल या लॉज में रहते हुए ऐसी भोजनाव्यवस्था तथा निवास का खर्च इस बात की परवाह किए बिना किया है कि अभ्यर्थी द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा अथवा नहीं ।

इस प्रकार की वाणिज्यिक भोजनाव्यवस्था तथा निवास के बाजार मूल्य की गणना अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में की जाएगी चाहे वह भोजन व्यवस्था/निवास सम्मानसूचक ही उपलब्ध कराए गए हों । यदि स्टार प्रचारक एक निर्वाचन क्षेत्र में भोजन तथा निवास की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किसी अन्य अभ्यर्थी के प्रचार के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है तो भोजन तथा निवास का खर्च उन अभ्यर्थियों के व्यय में यथानुपात बांट दिया जाएगा । इस प्रकार के सभी मामलों में नोटिस जारी किया जाए तथा इस पर तदनुसार कार्रवाई की जाए । (संलग्नक 55)

5.7.1 केबल नेटवर्क सहित इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार का अनुवीक्षण :

जिला निर्वाचन अधिकारी को केबल नेटवर्क , रेडियो सहित इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए । जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों तथा अखबार और टेलीविजन चैनलों के प्रतिनिधियों के साथ एक अलग से बैठक बुलाई जाएगी ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उनके द्वारा जारी/प्रकाशित सभी विज्ञापन उचित स्वामित्व वाले होने चाहिए तथा प्रतिनियुक्त विज्ञापन की किसी भी कार्रवाई पर सख्ती से पेश आना चाहिए । जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक पार्टियों, अभ्यर्थियों तथा मीडिया पर आधारित खबरें, जिसका सामान्यतः खरीदी गई खबरों के रूप में वर्णन किया जाता है, का परिकलन नए प्रमाणित तंत्र द्वारा किया जाएगा तथा उन्हें ऐसी पद्धति से दूर रहना चाहिए । जिला निर्वाचन अधिकारी नए अनुवीक्षण तंत्र तथा संबंधित विधिक प्रावधानों की व्याख्या करेंगे । वह व्यय के मामले में सभी राजनैतिक पार्टियों के आत्मसंयम तथा उनके सभी अभ्यर्थियों को भी उसी प्रकार के संयम का पालन करने का अनुरोध करेगा । राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी वही अभ्यास करेगा ।

5.8.1 पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण का अनुवीक्षण

जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा होने के तीन दिनों के अंदर अपने जिलों के सभी मुद्रणालयों को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क की अपेक्षाओं को इंगित करते हुए लिखेंगे तथा उन्हें यह सूचित करेंगे कि इसका उल्लंघन राज्य के संगत कानूनों के अंतर्गत मुद्रणालयों के लाइसेंस के प्रतिसंहरण सहित बड़ी कार्रवाई को आंमत्रित करेगा। उन्हें उनके द्वारा मुद्रित निर्वाचन पुस्तिकाएं, पोस्टर तथा इसी प्रकार की अन्य मुद्रित सामग्री की प्रिंट लाइन पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम तथा पता की सूचना देने के विशेष रूप से अनुदेश दिए जाएं । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क (2) के अंतर्गत अपेक्षित मुद्रित सामग्री की प्रति तथा प्रकाशकों की घोषणा प्रकाशक द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी तथा यदि यह राज्य की राजधानी में प्रकाशित हुई है तो ऐसे मुद्रण के 3 दिनों के अंदर इसे जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाए । आयोग के दिनांक 02 सितंबर, 1994 (संलग्नक– 18) के पत्र सं0 3/9/ई एस 008/94–जे एस–।। में, इस संबंध में विस्तृत अनुदेश निहित हैं ।

5.8.2 जैसे ही जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रणालय से निर्वाचन पुस्तिकाएं या पोस्टर इत्यादि प्राप्त होते हैं, वह इस बात की जांच करेगा कि क्या प्रकाशक तथा मुद्रक ने आयोग के कानूनों तथा निदेशों की अपेक्षाओं का पालन किया है । वह इसकी एक प्रति सूचना पटल पर भी प्रदर्शित करेगा ताकि सभी राजनैतिक पार्टियां, अभ्यर्थी तथा अन्य इच्छुक व्यक्ति, कानून की अपेक्षाओं के पालन के संबंध में जॉच कर सकें ।

5.8.3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के प्रावधानों के उल्लंघन के सभी मामलों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपराधियों के विरूद्ध शिकायत सक्षम न्यायालय में दर्ज करवाई जा सके, ऐसे मामलों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए तथा संबंधित न्यायालयों से उसकी जानकारी लेते रहनी चाहिए । छाया प्रेक्षण रजिस्टर में शामिल करने के लिए मुद्रण की लागत दर्शाती विवरणी सहित मुद्रित सामग्री की प्रतियां लेखा टीम को दे देनी चाहिए ।

5.9.1 निर्वाचन कार्यो के दौरान वाहनों के प्रयोग का अनुवीक्षण

प्रत्येक अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उसके निर्वाचन प्रचार के लिए उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले

वाहनों का विवरण रखेगा । रिटर्निंग अधिकारी उसे उसी दिन प्रयोग करने के लिए परमिट जारी करेगा । संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त किया गया वाहन परमिट वाहन के आगे वाली स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा । दुपहिया वाहन (मोटरबाइक, स्कूटर, मोपेड), साइकिल रिक्शा इत्यादि भी इन अनुदेशों के प्रयोजनार्थ वाहन माने जाएंगे तथा ऐसे मामले मे परमिट मांगे जाने पर दिखाया जाएगा । छाया प्रेक्षण रजिस्टर में शामिल करने के लिए विवरणों को लेखा टीमों को दिया जाएगा ।

5.9.2 यदि आर ओ की लिखित अनुमति के बिना ही प्रचार के लिए वाहन का प्रयोग किया जाता है तो इसे अभ्यर्थी के लिए अप्राधिकृत प्रचार माना जाएगा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज के दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी । इसलिए इसे तत्काल प्रचार प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, इस वाहन पर व्यय छाया प्रेक्षण रजिस्टर में जोड़ा जाएगा ।

5.9.3 आर ओ द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी यदि अभ्यर्थी निरीक्षण के लिए अपने लेखे प्रस्तुत नहीं करता तो आर ओ, निर्वाचन के दौरान वाहन का प्रयोग करने की अनुमति तत्काल वापस ले लेगा तथा यह अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक अभ्यर्थी द्वारा निरीक्षण के लिए लेखे प्रस्तुत नहीं किए जाते।

आयोग के दिनॉक 29.12.2005 तथा 18.3.1997 के पत्रों में दिए अनुदेश संलग्नक 30 व 31 पर संलग्न है, और मार्गदर्शन के लिए इनका अनुसरण किया जा सकता है ।

5.9.4 यदि किसी विशेष अभ्यर्थी ने किसी वाहन के लिए अनुमति ली है और/या उसका प्रयोग किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा या दूसरे अभ्यर्थी के प्रचार प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा रहा है तब अनुमति वापस ले ली जाएगी तथा उड़न दस्तों द्वारा वाहन का अभिग्रहण कर लिया जाएगा । उड़न दस्तों द्वारा सहायक व्यय प्रेक्षक को रिपोर्ट दी जाएगी ताकि उसके व्यय को उस अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा जो उस वाहन को वास्तव में प्रयोग कर रहे थे ।

5.10 बैरीकेड तथा मंच इत्यादि के निर्माण पर व्यय का अनुवीक्षण

सुरक्षा कारणों की वजह से यदि बैरीकेड/मंच इत्यादि के निर्माण पर व्यय, सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है तो यह उस अभ्यर्थी के व्यय खाते में दर्ज कर लेना चाहिए, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में बैठक होनी है । जब किसी राजनैतिक पार्टी के नेता के साथ मंच पर अभ्यर्थियों का पूरा समूह उपस्थित रहता है तो खर्च को उन सबके मध्य विभाजित कर दिया जाएगा । जिला निर्वाचन अधिकारी महत्वपूर्ण घटना के तीन दिनों के अंदर संबंधित सरकारी एजेंसी से व्यय का ब्यौरा प्राप्त कर अभ्यर्थियों को उनके हिस्से की सूचना देगा तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि करने के लिए इसकी एक प्रति लेखा टीम को चिन्हित करेगा । मंच या बैरीकेड के निर्माण में यदि कोई निजी कंपनी लगी हुई है तो रिटर्निंग अधिकारी तीन दिनों के अंदर ऐसी एजेंसी से व्यय की सूचना मंगवाएगा । यदि कोई ट्रैवल एजेंसी परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाती है तो आर ओ तीन दिन के अंदर ऐसी एजेंसी से व्यय का ब्यौरा मंगवाएगा । यदि ऐसा कोई अभ्यर्थी अन्य किसी जिले से संबंध रखता है तो उस निर्वाचन क्षेत्र/जिले के आर ओ तथा डी ई ओ को भी इस संबंध में सूचना दी जाएगी । आयोग के दिनांक 10.4.2004 के पत्र में निहित अनुदेशों का बैरीकेड तथा मंच इत्यादि पर उपगत व्यय के संबंध में अनुसरण किया जाएगा (संलग्नक 32)

5.11 अन्य अनुवीक्षण तंत्र

5.11.1 स्वंय सेवी समूहों, एन जी ओ इत्यादि के लेखों का अनुवीक्षण

स्वंय सेवी समूहों, एन जी ओ इत्यादि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयोग किए जा रहे धन/सामग्री का राजनैतिक पार्टियों/अभ्यर्थियों द्वारा वितरण के लिए साधन बनाया जा रहा है । चूंकि धन का आवर्तन/आर्थिक सहायता को डी आर डी ए के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, अतः स्वयं सेवी समूहों का निकटता से अनुवीक्षण सम्भव होना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उनका प्रयोग धन/सामग्री के वितरण के लिए नहीं किया जा रहा है जोकि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन अपराध है । जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपने जिले में स्वयं सेवी समूहों/एन जी ओ की एकांतर दिन की रिपोर्ट मंगवाएंगे ।

5.11.2 विवाह/सामुदायिक भवनों में उपहार सामग्री/भोजन वितरण की जांच : विगत में शादी/सामुदायिक भवनों या बड़े हॉलों को उपहार सामग्री (धोती/साड़ी)/ भोजन वितरण के लिए प्रयोग करने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं । निर्वाचन अवधि के दौरान शादी हॉल/सामुदायिक भवनों का प्रयोग, जिला निर्वाचन तंत्र की निगरानी में होना चाहिए । बुकिंग के प्रयोजन से उसके साक्ष्य के रूप में जैसे (शादी का कार्ड) इत्यादि आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेने चाहिए ताकि निर्वाचन के उद्देश्य से कोई छद्म व्यय न हो । जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे आरक्षणों की दैनिक रिपोर्टे एकत्र करेंगे तथा देखेंगे कि मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए कोई नकली पार्टी गठित न कर ले । किसी प्रकार के संदेहास्पद आरक्षण की रिपोर्ट आयकर विभाग के सहायक/उप निदेशक जिला प्रभारी, को दी जानी चाहिए जो कि आयकर दृष्टिकोण से व्यय की जांच करेंगे । पूजा स्थानों के बाहर 'अन्नदानम' की आड़ में बड़े पैमाने पर भोजन वितरित करने से इस बात का भ्रम होता है कि निर्वाचन के पूर्वदिन भोजन, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बॉटा गया है, जो कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 तथा भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9–क के प्रावधानों के संदर्भ में भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन अपराध है । मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि बड़े पैमाने पर भोजन खिलाने पर कोई संदेह होने पर इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं।

5.11.3 विभिन्न साधनों द्वारा उपहारों के बदले दिए जाने वाले टोकनों के वितरण या धन वितरण की जॉच

मतदाताओं को पार्टियों/अभ्यर्थियों द्वारा टोकनों का वितरण भ्रष्ट आचरण का दूसरा ऐसा रूप है जिसके बारे में पूर्व में शिकायतें मिली हैं । यह भी बताया गया है कि टोकन का वितरण आरती देने के समय या बैठक/समारोह में किया जाता है तथा आधि–व्यवसायी को मतदाताओं को रिश्वत देने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है । निर्वाचन प्रचार तथा सामाजिक सभाओं के लिए की गई बैठकों/समारोहों सहित किसी भी विधि से टोकन वितरण की रोकथाम उचित रूप से साक्ष्यों को एकत्रित करके और पुलिस को शिकायत करके की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके दुरूपयोग की कोई गुंजाइश नहीं है । जिला निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार की गतिविधियों के बारे में सही समय पर उपयुक्त सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक, स्वयं सेवकों, नेहरू युवक केंद्रों तथा अन्य एन जी ओ के साथ बैठक की व्यवस्था करेगा । जिला निर्वाचन अधिकारी, आयकर अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई के लिए सहायक निदेशक/उप निदेशक, प्रभारी आयकर सहित अधि–व्यवसायियों की सूची एकत्र कर उस पर कड़ी दृष्टि रखेंगे ।

5.11.4 अभ्यर्थियों/राजनैतिक पार्टियों द्वारा किसी सरकारी योजना के अंतर्गत वेतन संवितरण सहित नकद के वितरण पर रोकथाम :–

मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ग्रामीण रोजगार योजना जैसी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत वेतन के अतिरिक्त कार्यकर्ताओं को राजनैतिक पार्टियों/अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन की पूर्वसंध्या पर पैसे दिए जाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग को अभ्यावेदन दिए गए । यह नोट किया जाए कि जबकि आदर्श आचार संहिता के कारण गरीब लोगों को विपत्ति में नहीं डाला जाता, योजना के अंतर्गत कार्यकर्ता को वेतन, जिसके लिए वह अधिकृत है, के अतिरिक्त राजनैतिक पार्टियों/अभ्यर्थियों द्वारा उनको नकद भुगतान की अनुमति नहीं है । यह भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन अपराध है । जिला निर्वाचन अधिकारी वेतन के संवितरण का अनुवीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी अभ्यर्थी/राजनैतिक पार्टी द्वारा योजना के अंतर्गत वेतन के साथ कोई नकद भुगतान या उपहार सामग्री नहीं दी गई है ।

5.11.5 निर्वाचन के दौरान मदिरा के उत्पादन, भंडारण तथा वितरण का अनुवीक्षण :

निर्वाचनों की अधिसूचना की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक (मदिरा उन्माद को नियंत्रण में रखने के लिए) निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी :–

1. मदिरा का उत्पादन, कुल खरीद, अनुज्ञप्त स्टॉकिस्ट की स्टॉक सीमा, आई एम एफ एल/बियर/कंट्री लिकर के खुदरा विक्रेता की दैनिक प्राप्ति तथा कुल खरीद तथा मदिरा बिक्री दुकानों के बंद होने के समय का पिछले वर्ष के उत्पादन आंकड़ों के संदर्भ में बारीकी से अनुवीक्षण किया जाएगा ।

2. अधिसूचना की तारीख से मतदान पूर्ण होने/दोबारा मतदान होने तक राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अंतर्गत चौबीसों घंटे प्रतिनियुक्त विशेष प्रवर्तन स्टाफ द्वारा आर टी ओ चेक पोस्ट तथा बॉर्डर चेक पोस्ट पर वाहनों की अंतर–राज्यीय गतिविधियों पर उत्पाद शुल्क विभाग के स्टॉफ द्वारा गहन निगरानी रखी जानी चाहिए ।

3. आई एम एफ एल, बियर तथा कंट्री लिकर के अंतर–राज्यीय संचलन के अनुवीक्षण के लिए सीमावर्ती राज्यों के साथ उत्पाद शुल्क आयुक्तों के बीच अंतर–राज्यीय समन्वय होना चाहिए ।

4. उत्पाद शुल्क विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों तथा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए ताकि उपर्युक्त पहलुओं का अनुवीक्षण किया जा सके तथा छापे मारकर अवैध शराब पकड़ी जा सके।

5. जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, आई एम एफ एल, बियर तथा कंट्री लिकर के लिए अलग फार्मो में इस सार संग्रह के संलग्नक–22 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार एकांतर दिवसों पर राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी और व्यय प्रेक्षक को भी भेजेंगे । इसके पश्चात उत्पाद शुल्क विभाग के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, संपूर्ण राज्य की उत्पाद शुल्क गतिविधियों पर उसी प्रपत्र में एकांतर दिवस रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी एक प्रति आयोग को भेजेंगे ।

5.11.6 बैकों से नकद निकासी का अनुवीक्षण :–

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से 1,00,000/–रू0 से अधिक नकद की प्रतिदिन संदेहास्पद निकासी पर जिला निर्वाचन अधिकारी, सभी बैंकों से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहेगा । यदि नकदी की बड़ी राशि की संदेहास्पद प्रकार की निकासी का कोई मामला सामने आता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाए और उस बड़ी राशि, जो कि दस लाख रूपये से अधिक होगी, के बारे मे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक/उप निदेशक, जिला प्रभारी आयकर, को आयकर नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना दे दी जाएगी ।

5.12.1 आयकर विभाग द्वारा अनुवीक्षण :–

राज्य में सभी हवाई अड्डे, मुख्य रेलवे स्टेशन, होटल, फार्म हाउस, हवाला एजेंट, वित्तीय ब्रोकर, कैश कोरियर्स, अधि–व्यवसायी तथा अन्य संदेहास्पद एजेंसियों/व्यक्तियों, जिनका गुप्त नकदी के संचलन के लिए प्रयोग किया जाता है, को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा तथा आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । इस प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा राज्य के महानिदेशक (आयकर) की देखरेख में अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाए ली जांएगी ताकि आंडबरपूर्ण व्यय तथा गुप्त नकदी और अन्य वस्तुओं के संचलन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके । अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों की तैनाती इस प्रकार से की जानी चाहिए कि निर्वाचनों की प्रेस घोषणा के तुरंत बाद राज्य में निर्वाचन के दौरान सभी जिलों को शामिल किया जा सके ।

5.12.2 आयकर के महानिदेशक (अन्वे) 24 X 7 कॉल सेंटर सुविधा तथा टाल फ्री नं0 सहित, विशेषतः राज्य की राजधानी में, एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष खोलना सुनिश्चित करेंगे जिससे मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए नकद या अन्य मदों के संचलन का संशय होने पर शिकायत या सूचना प्राप्त की जा सके । यदि प्राप्त सूचना या शिकायत के आधार पर अन्वेषण निदेशालय, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नकद की बड़ी राशि का संशय होने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध स्वतंत्र छानबीन/जॉच करने का निर्णय करता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी तत्काल कार्रवाई के लिए सुरक्षाकर्मी तथा मजिस्ट्रेट उपलब्ध करवाएगा । उस स्थान पर प्रहार करने

के पश्चात, जिला निर्वाचन अधिकारी को अन्वेषण निदेशालय इत्यादि द्वारा व्यक्तियों/खोजे गए स्थानों के ब्यौरों के बारे में सूचित किया जाएगा ।

5.12.3 संदेहास्पद लेने–देन रिपोर्टो पर सूचना भेजने तथा मतदान होने वाले संबंधित राज्यों के किसी चालू बैंक लेखों से निर्धारित सीमा से अधिक नकद के आहरण के विशेष मामलों में भारत का वित्तीय आसूचना एकक, आयकर विभाग को आवश्यक सहयोग देगा । पुलिस के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी भी नियमित रूप से सूचना उपलब्ध करवाएंगे ।

5.12.4 उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार का अन्वेषण निदेशालय तथा वित्तीय आसूचना एकक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से शपथपत्र की प्रतियां डाउनलोड कर अभ्यर्थियों द्वारा उनकी परिसंपत्ति तथा देयता घोषित करेंगे । वित्तीय आसूचना एकक, अभ्यर्थियों से संबंधित उपलब्ध सूचना का सत्यापन करेगा तथा सी बी डी टी के माध्यम से राज्य के महानिदेशक, आयकर (अन्वे) को भेजेगा । अन्वेषण निदेशालय, आयकर विभाग के पास उपलब्ध सूचना का सत्यापन करेगा तथा जहां परिसंपत्ति या देयता या लंबित देय संबंधी सूचना छिपायी जाती है तत्संबंधी रिपोर्ट आयोग को भेजेगा । किसी भी मामले में, परिसंपत्तियों से संबंधित जॉच रिपोर्ट निर्वाचन की तारीख से 6 माह पहले ही भेज दी जानी चाहिए ।

5.12.5 निर्वाचन व्यय से संबंधित यदि कोई सूचना अन्वेषण निदेशालय द्वारा निर्वाचन प्रचार के दौरान या निर्वाचन से पहले या निर्वाचन के बाद उनके द्वारा किसी व्यक्ति, जिसमें अभ्यर्थियों के मामले शामिल हैं, की स्वतंत्र जांच के दौरान एकत्र की जाती है तो उसकी सूचना आयोग को दी जाएगी ।

5.12.6 उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयकर विभाग, आयोग को उन राजनैतिक पार्टियों के बारे में सूचना देगा जो कि मतदान वाले राज्यों में, निर्वाचनों की प्रेस घोषणा होने के 2 सप्ताह के अंदर सांविधिक विवरणी फाइल किए बिना ही चंदा तथा कर छूट का मजा ले रहे हैं ।

5.12.7 आयकर अधिकारियों की तैनाती :

क. अन्वेषण निदेशालय, नकद के संचलन पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक सहायक निदेशक तथा दो आयकर अधिकारी/इंस्पेक्टर तैनात करेगा । बड़ी संख्या वाले व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में एक सहायक निदेशक/उप निदेशक होगा जिन्हें 4 से 5 आयकर अधिकारियों/इंस्पेक्टरों की

सहायता प्राप्त होगी । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के तुरंत पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तैनात आयकर अधिकारी/कर्मचारी, उनके नोडल अधिकारी, उनके मोबाइल नं0, टेलीफोन नं0 और फैक्स नं0 की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी ।

ख. सहायक निदेशक, आयकर को निर्वाचनों की प्रेस घोषणा की तारीख से मतदान समाप्त होने की अवधि तक जिले में ही रखा जाएगा । अतः जिला प्राधिकारी उन सभी जगहों पर रहने तथा वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे जहां आयकर विभाग के पास यह सुविधा नहीं है । जहां तक आयकर विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रश्न है, कर्तव्यों के निष्पादन में जब कभी भी सहायक निदेशक ने इस तरह की मांग की है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक उड़न दस्ता उपलब्ध करवाया जाएगा ।

ग. आयकर कर्मचारियों की टीम जिले में स्वयं से सूचना एकत्र करने के अतिरिक्त ऐसे स्थान पर ठिकाना बनाएगी जहां से वह नकदी रखने संबंधी सूचना की प्राप्ति पर चेक पोस्ट के स्थानों पर अविलंब पहुॅच सकें ।

घ. उड़न दस्ते या स्थैतिक निगरानी टीम से सूचना प्राप्त होने पर जिले में तैनात आयकर टीम तुरंत ही स्थल पर पहुंचेगी तथा व्यक्ति की दर देयता, यदि कोई है, तो उसके निर्धारण के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी । यदि आवश्यक हो तो उड़न दस्ते जिले के निर्दिष्ट बैंक तक नकदी ले जाने के लिए आयकर टीम को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे तथा आयकर अधिकारी चलान कटवाकर राशि जमा करवा देंगे और चलान की प्रति संबंधित व्यक्ति को सौंप देंगे ।

ड. मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी जिले के किसी एक बैंक में राशि जमा करवाने के लिए कार्यालय समय के पश्चात तथा छुट्टी वाले दिन भी बात करेंगे । जब कभी किन्ही अपरिहार्य कारणों से उसी दिन बैंक में राशि जमा करवाना संभव न हो पाए तो बैंक में राशि के जमा होने तक उस राशि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए राज्यीय राजकोष यह सुविधा उपलब्ध करवाएगा । राजकोष मुहरबंद रूप में राशि की अभिरक्षा करेंगे तथा इस पर संबंधित व्यक्ति तथा आयकर अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर रहेंगे ।

च. आसूचना के आधार पर जहां कहीं भी बड़ी मात्रा में नकदी का संदेह होता है और जांच करते समय उड़न दस्तों तथा स्थैतिक निगरानी टीम को संबंधित व्यक्ति उस नकदी/अन्य मदों के स्वामित्व के संबंध में

संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते तो आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम के छानबीन तथा अभिग्रहण प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के कार्यालय तथा गृह स्थानों की तलाशी ली जाएगी ।

छ. इसके अतिरिक्त आयकर विभाग मतदान वाले राज्यों के सभी हवाई अड्डों में वायु आसूचना एकक खोलेंगे तथा मतदान वाले राज्यों की ओर जाने वाले या उड़ान भरने वाले वायुयानों के माध्यम से नकदी के संचलन पर कड़ी निगरानी रखेंगे । यदि किसी हवाई अड्डे में 10 लाख रूपये से अधिक नकद राशि पायी जाती है तो आयकर विभाग, आयकर नियमों के अंतर्गत उसको जब्त कर लेगा । यदि आयकर अधिनियम के अंतर्गत उसको जब्त करना संभव नहीं होगा तो आयकर विभाग राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह सूचना देगा जो इसकी जॉच करेगा और तब तक वह नकदी हवाई अड्डे पर रोक ली जाएगी । इस संबंध में सी आई एस एफ प्राधिकारी अपेक्षित सहयोग देंगे ।

ज. आयकर विभाग सभी होटलों तथा फार्म हाउसों पर निगरानी रखेंगे और होटल प्रबंधन/स्वामी से नकदी/उपहार के संदेहास्पद संचलन के संबंध में दैनिक सूचना एकत्र करेंगे । यदि नकदी की बड़ी राशि के संचलन का संदेह हो तो आयकर विभाग आयकर नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

झ. आयकर विभाग, मतदान वाले राज्यों में वितीय ब्रोकरों, अधि–व्यवसायी, हवाला एजेंटों पर भी नजर रखेगा । यदि नकदी की बड़ी राशि पायी जाती है तो आयकर नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

ञ. यदि आयकर विभाग द्वारा नकदी या उपहार के वितरण की सूचना प्राप्त होती है तो वह तत्काल उड़न दस्तों को यह सूचना देगा तथा सहायक निदेशक उसे जब्त करने के लिए उड़न दस्ते को सभी संभव मदद देगा । यदि किसी व्यवसायिक स्थल या घर में बड़ी राशि की उपलब्धता के बारे में शिकायत मिलती है तो आयकर नियमों के अंतर्गत पुलिस तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सहायता से सहायक निदेशक आवश्यक कार्रवाई करेंगे । जिला निर्वाचन अधिकारी इस प्रयोजनार्थ सभी सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे । छापा मारने से उसके आधे घंटे तक स्थल की गोपनीयता रखी जाएगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को इस कार्रवाई के परिणामों की सूचना दी जाएगी ।

त. यदि बैंक को किसी व्यक्ति के जरिए से बैंक खाते से बड़ी राशि के नकद आहरण की सूचना मिलती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी यह सूचना सहायक निदेशक, आयकर को उपलब्ध करवाएगा जो कि आयकर नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

1. कार्रवाई रिपोर्ट

संशोधित आरूप (संलग्नक 24) के अनुसार आयकर विभाग के सहायक/उप निदेशक कार्रवाई रिपोर्ट डी जी आई टी (अन्वे)/डी आई टी (अन्वे) को भेजेंगे जो रिपोर्ट समेकित करके एकान्तर दिवसों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट की प्रति भेजते हुए भारत निर्वाचन आयोग को भेजेगा ।

6. अभ्यर्थियों द्वारा लेखों का रख–रखाव

6.1 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखों के रख–रखाव की प्रकिया :

6.1.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार नाम निर्देशन की तारीख से परिणाम घोषित होने तक, दोनों तारीखों को सम्मिलित करते हुए निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा निर्वाचन के संबंध में सभी व्ययों, चाहे वह उसके द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए हों या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा, अलग एवं सही लेखा रखेगा ।

6.1.2 लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 उपबंधित करती है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास (लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अंतर्गत) अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना होता है । इस तीस दिन की अवधि की गणना में परिणाम घोषित करने की तारीख शामिल नहीं है । आयोग का दिनांक 10.4.1995 का पत्र सं0 76/95/जे0एस0–।। (संलग्नक 20 पर प्रति संलग्न) स्पष्ट करता हे कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के हित में उन्हें जिस भाषा में निर्वाचक नामावली मुद्रित की गई है उसी भाषा यथा हिंदी, अंग्रेजी या अन्य किसी स्थानीय भाषा (ओं) में, निर्वाचन व्यय दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी । इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन नामावली के लिए अनुमोदित प्रादेशिक भाषा में उनके निर्वाचन व्यय के लेखों की विवरणियां दाखिल करने के संबंध में फार्म/रजिस्टर/नियमों के उद्धरण प्राप्त हों ताकि कोई भी अभ्यर्थी यह शिकायत न कर सके कि वह निर्वाचन

व्यय की विवरणियां दाखिल करने के संबंध में सांविधिक अपेक्षाओं से अनभिज्ञ था, इसलिए वह प्रतिदिन के लेखों का उचित रूप से तद्नुसार लेखा नहीं रख पाया ।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए समय–समय पर जारी आयोग के विभिन्न अनुदेश संलग्नक 36 से 44 पर दिए गए हैं ।

6.2.1 निर्वाचन व्यय के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अलग से बैंक खाते खोले जाएं ।

केवल निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण को सरल बनाने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से अलग से बैंक खाता खोलने की अपेक्षा की जाती है । यह खाता अभ्यर्थी द्वारा नाम–निर्देशन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले खोला जाएगा । नाम–निर्देशन दाखिल करते समय अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में इस बैक खाते के खाता संख्या की सूचना दी जाएगी । अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इसी बैंक खाते से किए जाएंगे । निर्वाचन कार्यों पर व्यय किया जाने वाला सारा पैसा, अभ्यर्थी की स्वयं की निधि सहित किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त निधि का ध्यान किए बिना, इसी बैंक एकाउंट में जमा करवाया जाएगा । परिणामों की घोषणा के पश्चात सार विवरण दाखिल करते समय व्यय के लेखा के विवरण के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को अभ्यर्थी द्वारा इस बैंक खाते के लेखा विवरण की प्रमाणित प्रति दी जाएगी ।

6.2.2 निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं के नाम से या उसके निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाता खोल सकते हैं । यह बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति, जो कि अभ्यर्थी का निर्वाचन एजेंट नहीं है, के संयुक्त नाम से नहीं खोला जाना चाहिए ।

6.2.3 बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है । ये खाते को–ऑपरेटिव बैंकों या डाक घरों सहित किसी भी बैंक में खोले जा सकते हैं । अभ्यर्थियों के विद्यमान बैंक खाते इस प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं करने चाहिए क्योंकि निर्वाचन प्रयोजनार्थ अलग बैंक खाता होना चाहिए ।

6.2.4 जिला निर्वाचन अधिकारी सभी बैंकों, डाक घरों को उचित अनुदेश जारी करेंगे ताकि अभ्यर्थियों को बैंक खाते खोलने में अविलंब सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्वाचन उद्देश्य से समर्पित काउंटर खोलना सुनिश्चित

किया जा सके । निर्वाचन अवधि के दौरान उन्हें प्राथमिकता पर कथित खातों से आहरण एवं जमा की अनुमति भी दी जानी चाहिए ।

6.2.5 आयोग ने दिनॉक 7.4.2011 को अनुदेश सं0 76/अनुदेश/2011/इइएम इस आशय से जारी किया है कि निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खातों से अभ्यर्थी 'क्रास एकाउंट पेई चेक' द्वारा सभी निर्वाचन व्यय उपगत करेगा । तथापि, यदि अभ्यर्थी (र्थियों) द्वारा व्यय की किसी भी मद के लिए किसी व्यक्ति/हस्ती को राशि देय है तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यह राशि 20,000/– रू0 से अधिक नहीं है तो निर्वाचन प्रयोजनार्थ खोले गए बैंक खाते से इस राशि का आहरण कर यह व्यय नकद रूप में उपगत किया जा सकता है । अन्य सभी भुगतान कथित बैंक खाते से 'एकाउंट पेई चेक' द्वारा किए जा सकते हैं ।

6.3.1 अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के रजिस्टर का रख–रखाव :

प्रत्येक अभ्यर्थी नाम–निर्देशन के समय आर ओ द्वारा उसे दिए गए संलग्नक 14 के अनुसार, रजिस्टर में उसके निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा बनाएगा । रजिस्टर के तीन हिस्से होंगे (I) सफेद पन्नों में पार्ट 'क' में दैनिक लेखे का रजिस्टर (II) गुलाबी पन्नों में पार्ट 'ख' के अनुसार नकद रजिस्टर तथा (III) पीले पन्नों में पार्ट 'ग' के अनुसार बैंक रजिस्टर । अभ्यर्थी को उपर्युक्त तीन भागों में यह रजिस्टर प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार रिटर्निंग अधिकारी या निर्वाचन प्रेक्षक को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा ।

6.3.2 रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ क्रमांकित होना चाहिए तथा रजिस्टर में पृष्ठों की कुल संख्या के बारे में रजिस्टर के प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए । रजिस्टर में संपूर्ण निर्वाचन अवधि के लिए पर्याप्त पृष्ठ होने चाहिए । तथापि, यदि रजिस्टर जल्दी भर जाता है तो अभ्यर्थी अनुपूरक रजिस्टर मांग सकता है और रिटर्निंग अधिकारी उसी फार्मेट में उसे अनुपूरक रजिस्टर जारी करेगा । अभ्यर्थी, इन रजिस्टरों को प्राप्त करने की पावती देगा । जिला निर्वाचन अधिकारी को इस प्रकार की रसीद की प्रति रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त करनी चाहिए ।

6.3.3 निर्वाचन व्ययों के दैनिक लेखे के रजिस्टर, कैश तथा बैंक रजिस्टर भरने की प्रक्रिया

(क) दैनिक लेखे का रजिस्टर :

यह रजिस्टर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिए है जिसमें 9 स्तंभ हैं, इसे दैनिक आधार पर तिथिनुसार भरना होता है । जब कभी किसी विशेष दिवस को कोई व्यय नहीं होता, उस तारीख के सामने 'शून्य' लिखना चाहिए । सभी स्तंभों को भली प्रकार से भरने के साथ–साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक तारीख को उपगत/प्राधिकृत व्ययों (प्रदत्त/बकाया दोनो) की कुल राशि भी लिखनी चाहिए । अभ्यर्थी के निर्वाचन कार्यो के लिए प्रयुक्त किसी भी स्त्रोत से प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य का भी उल्लेख किया जाएगा । वास्तव में इस रजिस्टर में अभ्यर्थी/निर्वाचन एजेंट/पार्टी/अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्ययों का समावेशन है । ऐसे व्ययों के स्रोत के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की निजी निधि में उपगत/प्राधिकृत राशि का संगत स्तंभ में उल्लेख किया जाना चाहिए । चाहे राशि राजनैतिक पार्टी से प्राप्त की गई हो या राजनैतिक पार्टी द्वारा प्राधिकृत की गई हो, चाहे नकद हो या किसी वस्तु के रूप में, उन सबका उल्लेख संबंधित कॉलम में किया जाना चाहिए । यदि राशि के स्त्रोत में राजनैतिक पार्टी के अलावा किसी व्यक्ति या हस्ती से नकदी या वस्तु प्राप्त होती है तो उसका उल्लेख इस संबंध में बनाए गए स्तंभ में किया जाना चाहिए ।

ख कैश रजिस्टर :

किसी भी स्त्रोत से नकदी में प्राप्त धनराााशि ,जिसमें अभ्यर्थी के बैंक खाते से निकासी भी शमिल है , को नाम निर्देशन की तारीख से परिणामों की घोषणा तक तिथिनुसार कैश रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा । उस व्यक्ति या हस्ती का नाम तथा पता, जिससे धनराशि नकद के रूप में प्राप्त हुई है, की प्रविष्टि भी कैश रजिस्टर के आवती कॉलम में की जाएगी । यदि निर्वाचन प्रयोजनार्थ खोले गए बैंक खाते से नकदी का आहरण किया जाता है तो उसे उचित विवरण के साथ आवती कॉलम में दिखाया जाना चाहिए । नकदी में उपगत सभी खर्चों को 'भुगतान' स्तंभ में दिखाया जाना चाहिए । जब नकदी की कोई राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है तो उसे भी 'भुगतान' स्तंभ में दर्ज किया जाएगा । जहां प्राप्ति या अदायगी नहीं की गई है उस तारीख के सामने 'शून्य' लिखा जाएगा । तिथीवार नकद शेष भी आहरित किया जाए । यदि अभ्यर्थी के किसी शाखा कार्यालय या किसी व्यक्ति को नकदी दी गई तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए । जहां तक संभव हो सभी भुगतान चैक से किए जाने के प्रयास करने चाहिए तथा निर्वाचन अभियान के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में धनराशि ले जाने से बचना चाहिए।

(ग) बैंक रजिस्टर :

निर्वाचन के प्रयोजनार्थ खोले गए बैंक खाते में किसी भी स्त्रोत से प्राप्त धनराशि जिसमें निजी निधि भी शमिल है, निर्वाचन व्ययों के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण राशि को अभ्यर्थी जमा करवाएगा । सभी निर्वाचन व्ययों को इस बैंक खाते से केवल चेक जारी करके ही उपगत किया जाएगा । तथापि, लघु खर्चों के मामले में, जहां चैक जारी करना संभव नही है, रकम का नकदी में आहरण कर उचित वाउचरों के साथ भुगतान किया जाएगा । निक्षेपों, आहरण तथा दैनिक शेष का ब्यौरा बैंक रजिस्टर के संबंधित स्तंभ में दर्ज किया जाएगा। जहां कहीं कोई निक्षेप या आहरण नहीं किए गए, उन तारीखों के सामने 'शून्य' लिखा जाना चाहिए।

6.3.4 अभ्यर्थी की ओर से अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट की नियुक्तिः

आयोग के विद्यमान अनुदेशों के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों को यह अनुमति दी जाती है कि विभिन्न व्यय संबंधी मामलों में अभ्यर्थी की सहायता करने के लिए निधारित फार्मेट (संलग्नक 50) में अतिरिक्त एजेंट की नियुक्ति कर सकता है । यदि किसी व्यक्ति को नियम के अंतर्गत संसद का या विधान मण्डल का सदस्य होने या चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तथा जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 40 के अंतर्गत निर्वाचन एजेंट कें रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसे ऐसा अतिरिक्त एजेंट नियुक्त नहीं करना चाहिए। । मंत्री/संसद सदस्य/विधायक/पार्षद/मेयर या कार्पोरेशन/सभापति या नगर पालिका/जिला परिषद को अभ्यर्थी के एजेंट के रूप में नियुक्त करने के विरूद्ध सामान्य निषेध है, इसी प्रकार अतिरिक्त एजेंट की नियुक्ति के लिए भी यही नियम लागू होगा। यह नोट किया जाए कि अतिरिक्त एजेंट असांविधिक कार्यों के निष्पादन के लिए होते हैं न कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1960 के नियम 12 के साथ पठित धारा 40 के अंतर्गत नियुक्त निर्वाचन एजेंट के अभ्यर्थी की ओर से कर्तव्य निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत होते हैं ।

7.1 निर्वाचन व्यय रजिस्टर का निरीक्षण :

रिटर्निंग अधिकारी, प्रतीकों के आवंटन के तत्काल पश्चात सभी अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक रखेगा जिसमें निर्वाचन व्यय से संबंधित विधिक प्रावधानों तथा विधि संबंधी प्रावधानों के अनुपालन मे असफल होने के परिणामों को लिखित में सूचित करने के अतिरिक्त, उन्हें भली प्रकार स्पष्ट भी करेगा । इस बैठक में सहायक

व्यय प्रक्षेक/ व्यय प्रक्षेक भी उपस्थित होंगे। रिटर्निंग अधिकारी, व्यय अनुवीक्षण के संबंध में अंग्रेजी तथा देशी भाषाओं में इन अनुदेशों की प्रति सभी अभ्यर्थियों को देगा ।

7.2 रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन प्रेक्षक या इस प्रयोजनार्थ व्यय प्रेक्षक के परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पदाभिहित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर के निरीक्षण का कार्यक्रम तैयार करेगा । अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निजी रूप से या उसके निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या उसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक/निरीक्षक के लिए नामित अधिकारी के सामने रजिस्टर प्रस्तुत करे। दो निरीक्षणों के बीच कम से कम 3 दिनों का अंतराल होना चाहिए । प्रेस के माध्यम से इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए । प्रत्येक अभ्यर्थी की सुविधा के लिए निरीक्षण का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे रखा जाना चाहिए । समय इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए कि काम शाम 07:00 बजे तक समाप्त हो जाए । निरीक्षण रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय कक्ष के अलावा किसी अन्य सभा कक्ष/कार्यालय चेंबर मे किया जा सकता है। अंतिम निरीक्षण मतदान के तीन दिन पहले ही नियत करना चाहिए ।

7.3 अभ्यर्थियों के रजिस्टर के निरीक्षण के लिए निर्धारित दिनों मे उस निर्वाचन क्षेत्र में व्यय पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त सहायक व्यय प्रक्षेक को छाया प्रक्षेण रजिस्टर तथा साक्ष्यों के फोल्डर के साथ उपस्थित रहना चाहिए ।

7.4 यदि अभ्यर्थी या उसका एजेंट अपना निर्वाचन व्यय रजिस्टर उस प्रयोजनार्थ निर्धारित दिन निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करता, तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे लिखित में नोटिस जारी किया जाएगा कि यदि वह नोटिस में विर्निदिष्ट तारीख को फिर से निरीक्षण के लिए रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल होते हैं तो यह माना जाएगा कि वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन व्यय के लेखे रखने मे असफल रहा है । इस नोटिस का यथा संभव अधिकाधिक प्रचार किया जाएगा तथा इसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पटल पर लगाई जाएगी। यदि नोटिस भेजे जाने के बावजूद अभ्यर्थी जॉच के लिए निर्वाचन व्यय रजिस्टर को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171–झ के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, यदि अभ्यर्थी नोटिस दिए जाने के तीन दिनों के बाद भी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता है, तो निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी को वाहन प्रयोग करने के लिए

दी गई अनुमति वापस ले ली जानी चाहिए। वाहनों के प्रयोग की अनुमति वापस लेने के मामले की सूचना सभी निगरानी दलों तथा उड़न दस्तों को दी जाएगी तथा नोटिस बोर्ड पर लगायी जाएगी।

7.5 इस बात का भी प्रचार किया जाना चाहिए कि व्यय रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के सदस्य भी उपस्थित रह सकते हैं तथा कोई भी व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी से 1/–रू प्रति पृष्ठ का भुगतान कर किसी भी अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर की प्रति प्राप्त कर सकता है । जहॉ तक हो सके रजिस्टर का निरीक्षण केवल व्यय प्रेक्षक द्वारा किया जाना चाहिए । जहॉ रजिस्टर का निरीक्षण किन्ही अपरिहार्य कारणों से व्यय प्रेक्षक के अलावा किसी पदाभिहित अधिकारी द्वारा किया जाता हैं वहां व्यय प्रेक्षक को ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के परिणामों तथा किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए।

8.1 जिला निर्वाचन अधिकारी की राजनैतिक पार्टियों के साथ तथा रिटर्निंग अधिकारियों की अभ्यर्थियों के साथ बैठकः

आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के 3 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय राजनैतिक पार्टियों के साथ बैठक करेगा। इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन व्यय के संबंध में आयोग के सभी विधिक प्रावधानों तथा अनुदेशों को स्पष्ट करने के साथ–साथ अनुवीक्षा और इनके अनुपालन में असफल रहने के परिणामों की भी व्याख्या करेगा । जिला निर्वाचन अधिकारी, अनुदेशों के सार–संग्रह की प्रति, परिसंपत्ति तथा देयता की घोषणा के लिए शपथपत्र का संशोधित फार्मेट तथा निर्वाचन व्यय की मदों की दरों की अधिसूचना की प्रति मन्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय राजनैतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को देगा ।

8.2 प्रतीकों के आवंटन के तत्काल पश्चात रिटर्निंग अधिकारी, सभी अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक करेगा । इस बैठक में रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन व्यय के संबंध में आयोग के सभी विधिक प्रावधानों तथा अनुदेशों को स्पष्ट करने के साथ–साथ अनुवीक्षण और इनके अनुपालन में असफल रहने के परिणामों की व्याख्या भी करेगा। रिटर्निंग अधिकारी इसके सार–संग्रह तथा निर्वाचन व्यय की मदों की दरों की अधिसूचना की प्रति प्रत्येक अभ्यर्थी को देगा। स्थानीय या राष्ट्रीय समाचारपत्रों / पत्रिकाओं (अंग्रजी/प्रादेशिक)में विज्ञापन के प्रकाशन के

लिए डी ए वी पी/डी पी आई आर की दरों के बारे में अभ्यर्थी को सूचित किया जाएगा । सहायक व्यय प्रेक्षक या व्यय प्रेक्षक रिटर्निंग अधिकारी के साथ इस बैठक मे हिस्सा लेंगे।

9.1 व्यय अनुवीक्षण पर अभ्यर्थियों के निर्वाचन एजेंटों का प्रशिक्षण :

विभिन्न व्ययों पर रजिस्टरों को बनाने की संशोधित प्रक्रिया तथा निरीक्षण की तारीख की व्याख्या करने के लिए या तो अभ्यर्थियों के साथ बैठक वाले दिन अन्यथा उसके एक दिन बाद रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा अभ्यर्थियों के सभी निर्वाचन एजेंटों को प्रशिक्षण देने के लिए एक दिन का सरलीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

10.1 राजनैतिक पार्टियों तथा अन्य व्यक्तियो द्वारा व्यय

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी उपने या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या प्राधिकृत सभी निर्वाचन व्ययों का सही लेखा रखेगा । धारा 77(1) के स्पष्टीकरण –2 के अंतर्गत यथा अपेक्षित यदि निर्वाचन की अधिसूचना के जारी होने की तारीख के सात दिनों के अंदर आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राजनैतिक पार्टी के उस नेता के नाम की सूचना दे दी जाती है जिसने यात्रा व्यय उपगत किया है, तो यह व्यय उक्त धारा के प्रयोजनार्थ राजनैतिक पार्टी के अभ्यर्थी द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय नही माना जाएगा। यदि निर्धारित समयावधि में पार्टी से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे नेता की यात्रा पर व्यय को अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जाएगा ।

10.2 सुप्रीम कोर्ट ने कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (ए. आई. आर. 1975 एस. सी 308) दिनांक 10.4.74 मामले मे इसके निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत व्यय, जिसे बताए गए अभ्यर्थी के निर्वाचन के साथ परिलक्षित किया जा सकता है तथा जो साधारण पार्टी प्रचार पर किया गए व्यय से भिन्न है, को अभ्यर्थी द्वारा विवक्षित रुप से प्राधिकृत किए जाने के कारण यह व्यय अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ने का दायी होगा।किसी निर्वाचन के संबंध में राजनैतिक पार्टी द्वारा विज्ञापनों पर उपगत व्यय को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

(i) साधारण पार्टी प्रचार पर व्यय जिसमें किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों का किसी विशेष वर्ग/समूह का संदर्भ दिए बिना सामान्य रूप से पार्टी तथा उसके अभ्यर्थी के लिए समर्थन मांगा जाए ।

(ii) विज्ञापन इत्यादि पर पार्टी द्वारा उपगत व्यय, जिसमें किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के लिए प्रत्यक्ष रूप से समर्थन तथा वोट मॉगे जाएं ।

(iii) दल द्वारा उपगत व्यय जो किसी विशेष अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थियों के समूह के अवसरों को बढ़ावा देने से लिए व्यय से संबंधित हो सकता है ।

10.3. कंवर लाल गुप्ता के मामले में निर्णय के अनुपात का संदर्भ लेते हुए यह स्पष्ट किया गया कि राजनीतिक दलों द्वारा किसी विज्ञापन के मामले में, चाहे प्रिंट अथवा इलेक्ट्रानिक या किसी अन्य मीडिया में उपर्युक्त श्रेणी (I) में आता हो, जो किसी विशेष अभ्यर्थी या दिए गए अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन से संबंधित नहीं है, ऐसा व्यय राजनैतिक दल का साधारण मत प्रचार पर किया गया व्यय समझा जाएगा । उपर श्रेणी (II) तथा (III) में आने वाले व्यय के मामले में जो विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह से संबंधित है, व्यय को संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत व्यय समझा जाएगा तथा इस प्रकार के व्यय को उक्त अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन व्यय के हिसाब में लेना होगा ।

10.4. धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण–2 के अधीन आने वाले राजनीतिक दल के नेता का यात्रा व्यय भी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा, यदि ऐसा नेता स्वयं एक अभ्यर्थी है । जब वह स्टार प्रचारक के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में जाता है, या दूसरे निर्वाचनों क्षेत्रों से अपने निर्वाचन क्षेत्र वापस आता है, तो उसके निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में जाने तथा वापस आने की यात्रा पर व्यय छूट–प्राप्त श्रेणी में आयेगा । एक बार वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुॅच जाता है, तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही यात्रा करता है, तो इस प्रकार की यात्रा पर व्यय अपने निर्वाचन व्यय में उसके द्वारा हिसाब में लिया जाएगा ।

10.5 राजनीतिक दल द्वारा नकद या किसी प्रकार से दी गई एकमुश्त राशि दल तथा अभ्यर्थी द्वारा अपने दिन–प्रतिदिन के लेखे में दर्ज की जाएगी तथा निर्वाचन व्ययों का सार विवरण परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर दाखिल करना अपेक्षित होगा ।

10.6 अभ्यर्थी के नाम या फोटो के बिना दल के पोस्टरों या बैनरों या विज्ञापन इत्यादि पर व्यय राजनीतिक दलों द्वारा, दल के व्यय के रूप में दर्शाया जाएगा । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के पश्चात तथा निर्वाचन की अधिसूचना से पहले की अवधि में पार्टी द्वारा किये गए व्यय भी, राजनीतिक दल द्वारा निर्वाचन व्यय के रूप में दर्शाए जाने चाहिंए । राजनीतिक दल, स्कैन की गई साफ्ट प्रति के साथ विहित

फार्मेट में निर्वाचन व्यय को विधानसभा मतदान के मामले में 75 दिनों के भीतर या लोकसभा मतदान के मामले में 90 दिनों के भीतर आयोग को भेजेगा ।

11.1. लेखा विवरणी की संवीक्षा तथा आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट :–

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी, आयोग को यह रिपोर्ट देगा कि क्या अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया है, तथा क्या उनके विचार में इस प्रकार का लेखा, अधिनियम तथा नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से समय के अंदर दाखिल किया गया है । जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अनुलग्नक–21 के रूप में संलग्न फार्मेट के अनुसार सभी अभ्यर्थियों की अभ्यर्थी वार जॉच रिपोर्ट तथा सार रिपोर्ट परिणामों की घोषणा होने के 45 दिनों के अन्दर भेजेगा । जहॉ जिला निर्वाचन अधिकारी का यह मत हो कि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियमों तथा इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया है तथा उसके पास विश्वास करने का कारण है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया व्यय विवरण, उसके व्यय का सही लेखा नहीं है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी को इसका कारण रिकार्ड करना चाहिए तथा आयोग को यह सूचित करना चाहिए कि लेखा विवरणी निर्धारित रीति के अनुसार नहीं है । वह इस प्रकार की प्रत्येक रिपोर्ट के साथ लेखे की छायाप्रति रखेगा तथा उक्त लेखे में गलतियों को दर्शाते हुए वाउचर तथा उनकी टिप्पणियॉ सहित व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, तथा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन–व्ययों का मूल लेखा, निर्वाचन आयोग को भेजेगा ।

11.2 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह पता लगाने के लिए कि क्या अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया लेखा उसके निर्वाचन व्यय का सही लेखा है या अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्यय का कुछ हिस्सा छुपाया है या कम आंका है, लेखे की संवीक्षा की जाएगी । व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक तथा व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की लेखे की जॉच करने तथा आयोग को संशोधित रूप में रिपोर्ट भेजने की तैयारी करने में मदद करेगा । लेखे की जॉच करने तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट को आयोग को भेजते वक्त छाया प्रेक्षण रजिस्टर तथा साक्ष्य फोल्डर का हिसाब रखा जाएगा । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय के लेखे की छाया प्रेक्षण रजिस्टर से तुलना की जानी चाहिए । अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट को पूर्व में जारी किए गए सभी नोटिस तथा प्राप्त किए गए जवाब, यदि कोई हो, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लेखे की जॉच के दौरान साक्ष्य के रूप में माना जाएगा । प्रेक्षकों या किसी अन्य अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर या किसी अन्य प्राधिकृत दस्तावेज में सभी प्रकार की टिप्पणी पर अभ्यर्थियों

द्वारा दाखिल निर्वाचन व्यय के लेखे की सत्यता की जॉच करते समय विचार किया जाना चाहिए । व्यय प्रेक्षक जॉच रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी देगा । यदि वह जिला निर्वाचन अधिकारी से सहमत नहीं है, तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी की जॉच रिपोर्ट में निर्धारित स्थान में साक्ष्य को दर्शाते हुए तथ्यों को उल्लेख करेगा ।

11.3 जॉच के दौरान यदि जिला निर्वाचन अधिकारी यह पाता है कि छाया प्रेक्षण रजिस्टर के अनुसार कोई मद या घटना के संबंध में व्यय अभ्यर्थी द्वारा दिए गए ऑकड़ों से अधिक है तथा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पहले नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो वह रिटर्निंग ऑफिसर को निर्वाचन अवधि के दौरान एकत्रित ऐसी विसंगति तथा साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए ऐसे अभ्यर्थी को नोटिस जारी करने का निदेश देगा । जिला निर्वाचन अधिकारी इन अभ्यर्थियों से प्राप्त जवाबों पर विचार करने के पश्चात अपनी टिप्पणियों के साथ अपनी जॉच रिपोर्ट भेजेगा । यह सुनिश्चित किया जाए कि नोटिस सही ढंग से जारी हों तथा पावती सम्यक् रूप से प्राप्त हो । यदि अभ्यर्थी इस उद्देश्य से नियत समय के भीतर उन्हें वैध रूप से दिए गए नोटिस का जवाब देने में असफल रहता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी उचित टिप्पणियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजेगा । जॉच के दौरान निर्वाचन–व्यय संबंधित शिकायत तथा इन शिकायतों पर जांच रिपोर्टों पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

11.4 व्यय प्रेक्षक अपने दूसरे दौरे पर अपनी तीसरी तथा अंतिम रिपोर्ट (संलग्नक–5) आयोग को प्रस्तुत करेंगे तथा साथ–साथ उसे विहित पैरा में अपनी टिप्पणी तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर तथा 'साक्ष्य फोल्डर' में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट देनी होगी । उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे जिला निर्वाचन अधिकारी की जॉच रिपोर्ट (संलग्नक–21) में सम्मिलित किया गया है । किसी व्यय की मद को जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किए जाने की स्थिति में, वह जिला निर्वाचन अधिकारी को आयोग को भेजे जाने वाली अपनी रिपोर्ट में इसे शामिल करने के लिए कहते हुए इसे उनके ध्यान में लाएगा और जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट पर उचित टिप्पणी करेगा ।

अतः जिला निर्वाचन अधिकारियों को सभी अभ्यर्थियों के संबंध में छाया प्रेक्षण रजिस्टर, साक्ष्य फोल्डर तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित इनकी जॉच रिपोर्टो को व्यय प्रेक्षक द्वारा उस पर टिप्पणी करने के लिए उनके दूसरे दौरे से पहले तैयार करने की सलाह दी जाती है ।

12. मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की जॉच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट में विहित पैरा में अपनी टिप्पणी/सिफारिशों सहित संक्षिप्त टिप्पणी के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर आयोग को भेजेगा ।

13. व्यय अनुवीक्षण में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका

रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय व्यय रजिस्टर प्रदान करेंगे । वह व्यय अनुवीक्षण की प्रक्रिया, निर्वाचन से संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा इन प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामों की व्याख्या करने के लिए प्रतीकों के आवंटन के तुरंत पश्चात सभी अभ्यर्थियों की एक सभा आयोजित करेगें । वह अभ्यर्थियों को विधि तथा नियमों के अधीन यथापेक्षित अनुमति पत्र भी शीघ्र जारी करेगा ।

13.1 वह व्यय प्रेक्षक के साथ प्रचार अवधि के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर की कम से कम तीन बार जॉच करने की व्यवस्था करेंगे तथा वह अभ्यर्थियों के व्यय रजिस्टर तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर के बीच किसी विसंगति को स्पष्ट करने के लिए अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करेगें । वह शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली का पर्यवेक्षण भी करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक शिकायत की जॉच उसकी प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर हो जाए ।

13.2 वह यह सुनिश्चित करेगा कि इन अनुदेशों व कोई अन्य अनुदेशों या विधि या नियमों के अधीन अपेक्षित रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाये जाने वाले सभी दस्तावेजों को, रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए । वह सुनिश्चित करेगा कि जब कभी दस्तावेजों की प्रति लोक सभा के सदस्यों द्वारा मॉगी जाये, सदस्यों को विहित शुल्क के भुगतान पर तत्काल प्रदान की जाए ।

13.3. आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा परिसंपत्तियों तथा देयताओं की घोषणा पर शपथ पत्रों को उसी दिन वेबसाइट पर डाल दिया जाए । अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में शपथ पत्रों को नामांकनों की जॉच के पश्चात एक दिन के भीतर डाला जाए ।

14. जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका

14.1 जिला निर्वाचन अधिकारी का यह दायित्व है कि समस्त व्यय अनुवीक्षण तंत्र जिला में सही प्रकार काम करें । जिला निर्वाचन अधिकारी को व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के विभिन्न दलों द्वारा सहयोग दिया जाएगा ।

जिला निर्वाचन अधिकारी, व्यय प्रेक्षक तथा सहायक व्यय प्रेक्षकों को लॉजिस्टिक सहित उनके कार्यो को पूरा करने में सभी प्रकार से सहयोग देंगे । चूँकि धन का प्रयोग निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करता है तथा हिंसा, अन्य निर्वाचन अपराध तथा भ्रष्टाचार फैलाता है, उन्हें इस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । वस्तुतः निर्वाचन व्ययों पर प्रभावी नियंत्रण निर्वाचनों के सफल निर्वाचन संचालन में कारगर सिद्ध होगा ।

14.2 जिला निर्वाचन अधिकारी सक्षम केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों की सूची तैयार करेगा तथा इसे व्यय प्रेक्षकों को, सहायक व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति के लिए देगा । जिला निर्वाचन अधिकारी सभी व्यय अनुवीक्षण दलों को लॉजिस्टिक मदद प्रदान करेगा ।

14.3 जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन व्यय के मदों की दरों तथा डी ए वी पी/डी पी आई आर के विज्ञापन दरों को स्थानीय/राष्ट्रीय दैनिक/पत्रिकाओं (अंग्रेजी/क्षेत्रीय) में अधिसूचित करेगा जिस पर निर्वाचन व्यय का निर्धारण आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के तीन दिनों के भीतर तथा नामांकन पत्रों को दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले निश्चित रूप से किया जाएगा । इस संबंध में आगे संदर्भ के लिए आयोग के पत्र सं0 76/2004/जे0एस–II, दिनांक 17.3.2004 (संलग्नक–45) में दिए गए अनुदेशों का भी अनुसरण किया जाए ।

14.4 वह आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 3 दिनों के भीतर सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मीटिंग आयोजित करेगा जिसमें व्यय अनुवीक्षण की प्रक्रिया, निर्वाचन व्यय से संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा इन प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के परिणामों की व्याख्या की जाएगी । वह निर्वाचन अनुवीक्षण अनुदेशों पर सार संग्रह की एक प्रति, शपथपत्रों के संशोधित फार्मेट तथा अन्य अनुदेशों की प्रति सौंपेगा ।

14.5 वह कॉल सेन्टर तथा जिला में शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली के सही ढंग से कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

14.6 वह आयकर निदेशालय के अन्वेषण अधिकारियों तथा अन्य विधि प्रवर्तन एजेन्सियों को लॉजिस्टिक मद्द प्रदान करेगा । वह व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ट में संलग्न सभी अधिकारियों के लिए रहने, खाने, परिवहन तथा सुरक्षा की व्यवस्था करेगा ।

14.7 वह व्यय प्रेक्षक के सहयोग तथा समर्थन से व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की मदद से परिणामों की घोषणा के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्वाचन व्यय के लेखा विवरण की जॉच करेगा तथा संलग्नक–21 के अनुसार विहित फार्मेट में परिणामों की घोषणा के 45 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

14.8 जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन व्यय के मामलों के अनुवीक्षण के लिए अनुलग्नक–23 में दिए गए फार्मेट में प्रत्येक महीने के दूसरे दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लम्बित मामले, जहॉ लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है या त्रुटिपूर्ण है, की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन करेंगे तथा आयोग को प्रत्येक महीने के पॉचवे दिन एक समेकित रिपोर्ट भेजेंगे ।

14.9 वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से तथा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि तथा परिणाम की घोषणा की तिथि से अधिसूचना के बाद की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक सभा, रैलियों, होर्डिगों, विज्ञापनों, बैनरों, पोस्टरों, यात्रा व्ययों इत्यादि पर उपगत निर्वाचन व्यय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को परिणाम की घोषणा के 35 दिनों के भीतर रिपोर्ट भेजेगा ।

15 आयोग मुख्यालय के स्तर पर कार्रवाई :

15.1 मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्राप्त रिपोर्टो के पश्चात आयोग प्रत्येक रिपोर्ट की जांच करेगा तथा निर्णय करेगा कि प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है । यह कार्रवाई निम्नलिखित में से कोई एक हो सकती है ।

(क) यदि आयोग सही मानता है, तो वह अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लेखे को अधिनियम तथा नियमों द्वारा अपेक्षित समय एवं रीति के भीतर होने पर स्वीकार कर सकता है ।

(ख) यदि आयोग यह विचार करता है कि अभ्यर्थी अधिनियम तथा नियमों द्वारा अपेक्षित समय या रीति के भीतर अपने लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहा है तो आयोग अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन निरर्हित कर दिया जाए ।

15.2 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया जाएगा तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने का साक्ष्य आयोग को भेजा जाएगा । आयोग द्वारा कोई जवाब, अभ्यर्थी से प्राप्त हुआ हो तो उस पर विचार करने के पश्चात समुचित आदेश जारी करेगा ।

16. राजनीतिक दलों की भूमिका :

16.1 राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को निर्वाचन की अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची भेजनी चाहिए । उन्हें अनुदेश सं0 576/3/2005/जे0एस0–।। दिनांक 29.12.2005 (संलग्नक–30) के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहले से ही स्टार प्रचारकों द्वारा हेलीकॉप्टर/हवाई जहाज में यात्रा की योजना प्रस्तुत करनी चाहिए । वे यात्रा के तीन दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष कंपनी का विवरण, जिससे हेलीकॉप्टर/हवाई जहाज को किराए पर लिया गया, रकम का भुगतान किया गया/किया जाना है, जिन क्षेत्रों में यात्रा की गई, उड़ानों की संख्या तथा यात्री सूची भी प्रस्तुत करेंगे ।

16.2 राजनीतिक दलों को विधानसभा निर्वाचन के 75 दिनों के भीतर या लोक सभा के निर्वाचन में 90 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को अपने निर्वाचन व्ययों का ब्यौरा दाखिल करना अपेक्षित है । निर्वाचन व्यय के ब्यौरे में निर्दलीय अभ्यर्थियों को दी गई एकमुश्त रकम, स्टार प्रचारकों तथा अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की यात्रा पर व्यय, बैनरों, पोस्टरों, मंचों, कटआउट, तोरणों तथा होर्डिंग पर व्ययों पर ब्यौरा, साधारण दलों के प्रचार तथा निर्दलीय अभ्यर्थियों दोनों के लिए प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया इत्यादि में विज्ञापन का ब्यौरा शामिल होना चाहिए ।

16.3 स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान के संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों को नकद लेन–देन नहीं करना चाहिए । सभी दल कार्यकर्ताओं को निर्वाचन प्रचार के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में नकद राशि नहीं ले जाने के लिए परामर्श देना चाहिए । दलों को निर्वाचन व्ययों में स्वतः संयम बरतने तथा उनके अभ्यर्थियों को इस प्रकार करने की सलाह दी जाती है ।

16.4 दलों को सुसंगत फार्मो में तथा नियत समय पर चंदे की सूची मुख्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करनी चाहिए । उन्हें अपने लेखे की लेखा–परीक्षा भी करनी चाहिए तथा अपनी आयकर विवरणी को इसकी प्राप्ति एवं व्यय के ब्यौरों का उल्लेख करते हुए निर्धारित समय पर दाखिल करना चाहिए ।

17. प्रशिक्षण :

17.1 व्यय अनुवीक्षण की प्रक्रिया में संलग्न सभी अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है । मुख्य निर्वाचन अधिकारी अंग्रेजी, हिंदी (हिंदी भाषी राज्यों में) तथा प्रादेशिक भाषा में राजकीय विशिष्ट प्रशिक्षण सामग्री तैयार करेंगे तथा अंग्रेजी रूपांतर को आयोग के पास अनुमोदन के लिए भेजेंगे । एक बार अनुमोदित हो जाने पर, इसे प्रत्येक जिले में प्रशिक्षकों को सौंप दिया जाएगा ।

17.2 मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक संयुक्त/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ तथा व्यय पर प्रशिक्षण का प्रभारी होगा । वह मास्टर प्रशिक्षक होगा जिसे आयोग द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा । जिला निर्वाचन अधिकारी एक ए.डी. एम./एस.डी. एम. स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो जिले के व्यय अनुवीक्षण का नोडल ऑफिसर होगा । संयुक्त/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा । प्रत्येक जिले के व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल ऑफिसर विभिन्न दलों जैसे–नियंत्रण कक्ष/ कॉल सेन्टर, लेखा दल, वीडियो अवलोकन दल, वीडियो निगरानी दल, मीडिया अनुवीक्षण दल, में तैनात सभी अधिकारियों, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन निगरानी दल के पुलिस कर्मी तथा सहायक व्यय प्रेक्षक के प्रशिक्षण का प्रभारी होगा ।

17.3 व्यय अनुवीक्षण पर अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा करने के तुरंत पश्चात आरंभ होगा । व्यय अनुवीक्षण से जुड़े दल के सभी सदस्यों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा । व्यय अनुवीक्षण में शामिल प्रत्येक अधिकारी को कम से कम दो प्रशिक्षण दिए जाएंगे । प्रथम प्रशिक्षण, जिला निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी द्वारा दिया जाएगा तथा द्वितीय प्रशिक्षण नोडल अधिकारी तथा सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा दिया जाएगा । प्रशिक्षण में विधिक प्रावधानों के स्पष्टीकरण, फार्मो को भरने तथा व्यय अनुवीक्षण के प्रक्रिया संबंधी पहलुओं को समान महत्व दिया जाना चाहिए ।

17.4 नामांकनों की जॉच के पश्चात, सहायक व्यय प्रेक्षक के साथ नोडल अधिकारी नई प्रक्रिया के बारे में अभ्यर्थियों के सभी निर्वाचन एजेन्टों को प्रशिक्षण देंगे । वे दिन–प्रतिदिन के लेखे, नकद रजिस्टर तथा बैंक रजिस्टर का हिसाब रखना तथा परिणामों की घोषणा के पश्चात अंतिम लेखे को दाखिल करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे ।

17.5 जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन व्ययों का लेखा जमा करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर सभी निर्वाचन एजेन्टों/अभ्यर्थियों तथा लेखा प्राप्ति से जुड़े कार्मिकों के लिए एक दिवसीय सरलीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा । व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी तथा सहायक व्यय प्रेक्षक को प्रक्रिया, दाखिल किए जाने वाले फार्म तथा शपथ पत्रों एवं अधिकतर पायी जाने वाली गलतियों की व्याख्या करने के लिए प्रशिक्षण से जुड़े होना चाहिए ।

विहित रीति से फार्म नहीं भरने या अधूरा फार्म भरने या सही लेखा नहीं दिखाने के परिणाम से भी अभ्यर्थियों/एजेन्टों को अवगत कराया जाएगा ।

17.6 जिला निर्वाचन अधिकारी परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर लेखा दाखिल करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को परिणामों की घोषणा के तुरन्त बाद एक पत्र जारी करेगा तथा उस नोटिस में सरलीकरण प्रशिक्षण की तिथि का उल्लेख करेगा ।

17.7 अधिकारियों की पर्याप्त संख्या जिन्हें लेखों के रख–रखाव का अनुभव है, उन्हें लेखा विवरणी प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जाएगा । व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी इन अधिकारियों को इस प्रकार प्रशिक्षण देंगे कि वे अभ्यर्थी/उनके एजेन्टों को प्रक्रिया संबंधी सभी आवश्यकताओं सहित सही विवरण दाखिल करने में सुविधा हो ।

17.7 प्रशिक्षण का विस्तार इस प्रकार होगा :–

क. लेखा दाखिल करने के लिए प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएं :–

(I) अभ्यर्थी को दिन–प्रतिदिन के रजिस्टर, बिलों, वाउचर तथा समर्थक शपथपत्र सहित संलग्नक–15 के अनुसार संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना होगा । अभ्यर्थियों के कुल निर्वाचन व्यय जैसा कि उनके द्वारा उपगत या प्राधिकृत है, उसका सार विवरण के भाग–III के स्तम्भ–2 में उल्लेख किया जाना चाहिए । राजनीतिक दल का नाम तथा उनके द्वारा व्यय की गई राशि, का सार विवरणी के भाग–III के स्तम्भ–3 में उल्लेख किया जाना चाहिए । अन्य व्यक्ति/संख्या/या व्यक्तियों का निकाय, जिन्होंने अभ्यर्थी की ओर से विभिन्न मदों के संदर्भ में व्यय उपगत किए है, का सार विवरणी के भाग–III के स्तम्भ–4 में उल्लेख किया जाना चाहिए ।

प्रयोग किए गए वाहनों पर व्यय का विवरण सार विवरणी के भाग–IV में दाखिल किया जाना चाहिए । सभी स्तम्भों (1–9) को सही प्रकार से भरा जाना चाहिए ।

जन सभाओं/रैलियों इत्यादि पर व्यय का विवरण सार विवरण के भाग–V में भरा जाना चाहिए । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अधीन स्पष्टीकरण (2) के निबंधनों के अनुसार नामांकित राजनीतिक दल के नेता (नेताओं) (स्टार प्रचारकों) की यात्रा पर व्यय का विवरण सार विवरणी के भाग–vi के स्तम्भ 1–12 में भरा जाना चाहिए ।

(ख) सार विवरणी सहित दस्तावेजों की आवश्यकता :–

दिन–प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखा के लिए रजिस्टर जिसकी प्रेक्षक द्वारा जॉच की गयी हो, वाउचर के साथ मूल रूप से प्रस्तुत किया जाएगा । यदि किसी मद के लिए वाउचर संलग्न नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा यह स्पष्टीकरण देना आवश्यक होगा कि अपेक्षित वाउचर प्राप्त करना व्यावहारिक क्यों नही था । सभी बिलों तथा वाउचरों पर या तो अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए ।

(i) सार विवरणी के भाग–I से vi, स्वयं अभ्यर्थी द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।

(ii) अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा प्रमाणित बैंक विवरणी की प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए ।

(iii) स्वंय अभ्यर्थी द्वारा फार्मेट के अनुसार शपथ पत्र में हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए तथा सार विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(iv) निर्वाचन व्ययों के लेखे की प्राप्ति की तिथि एवं समय को दर्शाते हुए आयोग द्वारा यथा निर्धारित पावती इस उदेश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैनात किये गए अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए ।

(v) व्यय के किसी मद पर विसंगतियों की स्थिति में, जो रजिस्टर की जॉच के समय व्यय प्रेक्षक या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इंगित किया गया था, ऐसी मदों पर विसंगतियों के कारण सहित अलग से स्पष्टीकरण संलग्न किया जाना चाहिए ।

(vi) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किए गए नोटिसों, तथा निर्वाचन व्यय के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण की प्रतियॉ संलग्न की जानी चाहिए ।

(vii) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेन्ट को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि कानूनी प्रावधानों के अधीन यहॉ तक कि अभ्यर्थी जो निर्वाचन हार गए हैं, को नियत समय के भीतर यथा निर्धारित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना होगा अन्यथा उन्हें निरर्हित किया जा सकता है ।

(ग) दोषपूर्ण विवरणियों का परिणाम :–

दोषपूर्ण विवरणियॉ जो सही तथा सत्य नहीं है, को दाखिल करने के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा चूक के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है, जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन या तो संसद के किसी भी सदन, लोक सभा या राज्य विधान मण्डलों के सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए 3 वर्षो के लिए निरर्हित किया जा सकता है ।

17.8 काउन्टर पर लेखे की प्राप्ति के लिए उपस्थित अधिकारी इसकी जॉच करेंगे कि अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया लेखा सभी प्रकार से सही और पूर्ण है, तथा अभ्यर्थी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किया गया है । निर्वाचन एजेन्ट द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं है । यह भी जॉच की जाए कि वे सभी दस्तावेज जो लेखा विवरणी जैसे रजिस्टर, सार विवरणियों, शपथपत्र, बिल तथा वाउचर सहित प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है, लेखा सहित संलग्न हैं । बिल और वाउचर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए यदि अपूर्ण लेखा दाखिल किया जाता है, तो पावती रसीद मे दोषों का उल्लेख किया जाए तथा अभ्यर्थी तथा उनके निर्वाचन एजेन्ट को उसी समय विधि द्वारा निर्धारित समय के भीतर सही तथा पूर्ण लेखा दाखिल करने के अनुदेशों के साथ इंगित किया जाना चाहिए ।

17.9 निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 87 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस तिथि, जिस पर अभ्यर्थी अपने नाम तथा लेखा दाखिल करने की तिथि का उल्लेख करते हुए अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करता है, से दो दिनों के भीतर नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाना अपेक्षित है । अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए निर्वाचन व्यय के लेखे की सार विवरणी तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम उप विजेता की प्रति इसके दाखिल किए जाने के दो दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर लगायी जानी चाहिए । लेखे की प्रतियॉ किसी भी सदस्य द्वारा 1 रूपये प्रति पृष्ठ का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती हैं ।

18. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय विवरणी को डालना :

निर्वाचन के दौरान, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रति, यदि कोई हो, सहित सभी अभ्यर्थियों के सार विवरण (भाग–। से भाग–V।) तथा उसके जवाबों की स्कैन की गई प्रति सभी लोगों में सूचना के व्यापक प्रसार के लिए अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों के लेखे के दाखिल करने के तीन दिनों के भीतर जनता में सूचना के अत्यधिक प्रचार के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अवश्य डाल दिया जाना चाहिए । इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक अनुदेश जारी किया जा सकता है कि निर्वाचन व्ययों के लेखे का सार (संक्षिप्त विवरण) एक शीर्षक नामशः – 'विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2011 (राज्य का नाम)– अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय' के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों के लेखे की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर डाला जा सकता है । इस संबंध में किसी प्रकार का विलम्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए । प्रारंभिक क्रियाकलाप जैसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को लिंक प्रदान करने का कार्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए नियत तारीख से काफी पहले पूरा किया जा सकता है ।

19. जब्त रिपोर्टो का संकलन :–

मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू पी सं0 –2011 की 8022 में न्यायिक आदेश दिनांक 28.3.2011 में अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ यह माना है कि '................ जब भी जब्ती होती है, यह बताया जाना चाहिए कि नागरिक किसके पास जाएगा तथा क्या–क्या विवरण देगा होगा.................. उक्त आदेश में निर्वाचन अधिकारी की ओर से अगली कार्रवाई के विषय में सूचित करना उनकी डयूटी बनती है अर्थात् उन्हें किस प्राधिकारी के पास जाना है तथा इसी प्रकार .... '

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचन के दौरान जब्ती से संबंधित सभी रिकार्ड उचित प्रकार से एवं सही तरीके से रखे गए हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पुलिस के नोडल अधिकारी, आई जी पी, जिला निर्वाचन अधिकारियों इत्यादि तथा डी.जी. आयकर (अन्वे) से आवश्यक विषय सामग्री प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित फॉर्मेट (अनुलग्नक–51 'क' तथा 'ख') में जब्ती के विवरण का संकलन करना होगा तथा इसे मतदान की समाप्ति के 2 दिनो के भीतर आयोग को प्रस्तुत करना होगा ।

जिले की प्रत्येक श्रेणी की जब्ती, व्यक्ति जिनसे जब्ती की गई है तथा प्राधिकारी जिसे जब्ती सौंपी गयी है, (प्रत्येक जब्ती को अलग से दर्शाए) के तिथिवार उपयोग का रख–रखाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा किया जाएगा तथा केवल समेकित कुल आंकड़े भारत निर्वाचन आयोग को संलग्न फार्म में भेजे जाएगें ।

20. मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रचार के दौरान जब्त की गई वस्तुओं/राशि की मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्वाचन अभियान के दौरान दर्ज की गई प्राथमिकी की स्थिति को अगले महीने के सातवें दिन तक आयोग को भेजेगा ।

21. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन की घोषणा से, निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की अवधि के दौरान तथा परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर अधिसूचना के बाद की अवधि से परिणाम की घोषणा के दौरान भी राजनीतिक दलों द्वारा जन रैलियों/जनसभाओं/होर्डिगों/बैनरों, यात्रा व्ययो–विज्ञापनों, मीडिया व्ययों मे उपगत व्ययों को भी भेजेगा । आयोग इसे प्राप्त करने के पश्चात यह जॉच करेगा कि राजनीतिक दलों द्वारा आयोग को भेजी गयी रिपोर्ट में उनके द्वारा उपगत सभी व्यय सही प्रकार से दर्शाया गया है ।

22. अनुदेशों को सभी संबंधित व्यक्तियों के नोटिस में लाया जाए ।

भाग– II

विधिक उपबंध

भारतीय दंड संहिता 1860

171 ख. रिश्वत :– (1) जो कोई ....

(I) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोष देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, अथवा

(II) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहीत करता है ,

वह रिश्वत का अपराध करता है :

(2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाय करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है ।

(3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का आशय नहीं है, हेतु स्वरूप या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया है ।

17.1 च. निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंडः जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनो से, दंडित किया जाएगा ।

171.ज. निर्वाचनों के सिलसिले में अवैध संदायः–

जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर, या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, अंकित किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, जो कुल मिलाकर दस रूपये से अधिक न हों, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों उस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं ।

171.झ निर्वाचन लेखा रखने में असफलता :–

जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा या इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखें, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकता है, दंडित किया जाएगा ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

77. ''निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम सीमा– (1) निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उस सब व्यय का जो, {उस तारीख के, जिसको यह नामनिर्दिष्ट किया गया है} और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा, की तारीख के, जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आतीं है, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा ।

{**स्पष्टीकरण 1.**– शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है किः–

(क) किसी राजनैतिक दल के नेताओं द्वारा, राजनैतिक दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए वायुयान द्वारा या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा की गई यात्रा के कारण उपगत व्यय इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उस राजनैतिक दल के अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा ।

(ख) सरकार की सेवा में और धारा 123 के खंड (7) में वर्णित वर्गों में से किसी से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा, उस खंड के उपबंध में यथावर्णित अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में की गई किन्हीं व्यवस्थाओं, प्रदान की गई सुविधाओं या किए गए किसी अन्य कार्य या बात के संबंध में उपगत कोई व्यय, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2. स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्वाचन के संबंध में , ''राजनैतिक दल के नेताओं'' पद से तात्पर्य :

(i) जहां ऐसा राजनैतिक दल मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है, वहां संख्या में चालीस से अधिक ऐसे व्यक्ति, और

(ii) जहां ऐसा राजनैतिक दल किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से भिन्न है, वहां संख्या में बीस से अनधिक ऐसे व्यक्ति,

अभिप्रेत हैं, जिनके नाम राजनैतिक दल द्वारा ऐसे निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए नेताओं के रूप में ऐसे निर्वाचन के लिए, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या उस राज्य के राजपत्र में इस अधिनियम के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संसूचित कर दिए गए हैं;

परन्तु कोई राजनैतिक दल, उस दशा में जहां, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है या वह उस राजनैतिक दल का सदस्य नहीं रहता है, निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को और संसूचना द्वारा, ऐसे निर्वाचन के लिए अंतिम मतदान पूरा होने के लिए नियत समय समाप्त होने के ठीक अड़तालीस घंटे पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, इस प्रकार मृत व्यक्ति या सदस्य न रहे व्यक्ति के नाम के स्थान पर नए नेता को पदाभिहित करने के प्रयोजनों के लिए नया नाम प्रतिस्थापित कर सकेगी ।}

(1) राशि में ऐसे समस्त विवरण होंगे, जो यथा निर्धारित किया जाए ।

(2) उक्त का योग ।

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित स्पष्टीकरण 1 (क) के अनुसार किसी राजनैतिक दल के नेताओं द्वारा दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए की गई यात्रा के कारण उपगत व्यय को अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा ।)

78. **जिला निर्वाचन अधिकारी के पास लेखा दाखिल करना :–** {(1)} निर्वाचन में हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित अभ्यर्थी हैं, और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं, तो उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 77 के अधीन रखा है {जिला निर्वाचन अधिकारी के पास} दाखिल करेगा ।

10.ए निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल होने पर निरर्हता :– यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके द्वारा अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहता है : एवं

(ख) असफलता का कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है, भारत निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इसे निरर्हित घोषित करेगा एवं ऐसे किसी व्यक्ति को आदेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाएगा ।

(सर्वोच्च न्यायालय में एल0आर0 शिवरामगौड़े बनाम पी0एम0 चन्द्रशेखर – ए.आई.आर0 1999 एस सी 252 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि आयोग अभ्यर्थी द्वारा दाखिल निर्वाचन व्ययों के लेखे की शुद्धता की जॉच कर सकता है एवं लेखा के गलत अथवा असत्य पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 (क) के अधीन अभ्यर्थी को निरर्हित किया जाएगा ।)

127.क पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध :– कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एंव पता ना हो, का मुद्रण अथवा प्रकाशन न तो करेगा या मुद्रित अथवा प्रकाशित करवाएगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा अथवा ना ही करवायेगा –

(क) जब तक कि इसके प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं व्यक्ति जो उन्हें व्यक्गित रूप से जानते हो, द्वारा अनुप्रमाणित न हो एवं उनके द्वारा मुद्रक को दो प्रतियों में भेजा न गया हो : एवं

(ख) जब तक कि युक्तियुक्त समय के भीतर दस्तावेज के मुद्रण के बाद मुद्रक द्वारा घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के साथ भेजा न गया हो :–

(1) राज्य की राजधानी में, जहां मुद्रित हुआ है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को : एवं

(।।) किसी अन्य मामले में, जिला, जहॉ यह मुद्रित हुआ है के, जिला मजिस्ट्रेट को ।

(3) इस धारा के उद्देश्य से :–

(क) हाथ से प्रतिलिपि बनाने की अपेक्षा दस्तावेजों की प्रतियों को बढ़ाने की किसी भी प्रक्रिया को मुद्रण माना जाएगा एवं शब्द 'मुद्रक' को तद्नुसार समझा जाएगा ।

(ख) 'निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर' का अर्थ है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थियों के समूह का निर्वाचन प्रगति अथवा प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से वितरित कोई मुद्रित पैम्फलेट, हैण्डबिल अथवा दस्तावेज या निर्वाचन से संदर्भित कोई प्लेकार्ड अथवा पोस्टर है, परन्तु इनमें वह कोई हेण्डबिल प्लेकार्ड या पोस्टर शामिल नहीं है जो केवल निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान, व निर्वाचन बैठक के अन्य विवरण अथवा निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं के लिए नेमी अनुदेश की घोषणा करते हों।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उप–नियम (1) अथवा उप नियम (2) के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह उस अवधि जिसे छः महीने तक बढ़ाया जा सकता है के लिए कारावास की सजा या जुर्माना, जो कि दो हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है, सहित या दोनों ही सजा का भागी होगा ।

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961

86. निर्वाचन व्ययों के लेखा का विवरण :–

(i) धारा 77 के अधीन अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए निर्वाचन व्ययों के लेखे में दिन प्रतिदिन की प्रत्येक मद के व्यय के संबंध में निम्नलिखित विवरण होना चहिए :–

(क) वह तिथि जिस दिन व्यय उपगत अथवा प्राधिकृत किया गया ।

(ख) व्यय की प्रकृति (उदाहरणार्थ यात्रा, डाक व्यय, अथवा मुद्रण एवं अन्य)

(ग) व्यय की राशि

(i) भुगतान की गई राशि

(ii) बकाया राशि

(घ) भुगतान की तिथि

(ड़) पाने वाले का नाम एवं पता

(च) यदि राशि का भुगतान किया गया हो तो वाउचर की क्रम संख्या

(छ) यदि राशि बकाया हो तो बिल की क्रम संख्या, यदि कोई हो ,

(ज) उस व्यक्ति का नाम एवं पता जिन पर बकाया राशि देय हो ।

(2) प्रत्येक मद के व्यय के लिए वाउचर प्राप्त किया जाना चहिए जब तक कि मामले जैसे डाक व्यय, रेल यात्रा एवं सभी प्रकार जिनमें वाउचर प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं है ˙

(3) अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन व्ययों के लेखा सहित सभी वाउचर भुगतान की तारीख के अनुसार व्यवस्थित एंव क्रमांकित होना चाहिए एवं इस प्रकार के क्रमांक की प्रविष्टि उपनियम (1) की मद (च) के अंतर्गत खाते में की जानी चाहिए ।

(4) व्यय की उन मदों के संबंध में जिनके लिए उपनियम (2) के अधीन वाउचर प्राप्त किए गए है, में उल्लिखित विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा ˙

87. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लेखा निरीक्षण के लिए सूचनाः– धारा 78 के अधीन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किए जाने की तिथि से दो दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए अपने सूचना पट्ट में नोटिस लगवाएगा :–

(क) वह तिथि जिस दिन लेखा दाखिल किया गया है

(ख) अभ्यर्थी का नाम; एवं

(ग) समय एवं स्थान जहॉं ऐसे लेखों की जॉच की जा सके ।

88. लेखा जांच एवं इनकी प्रतियों की प्राप्तिः–

कोई भी व्यक्ति एक रूपये का शुल्क अदा कर ऐसे किसी लेखे की जॉच का हकदार होगा एवं ऐसा शुल्क जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जाए, अदा कर ऐसे लेखे अथवा इसके किसी भाग की अनुप्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का हकदार होगा ।

89. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना एवं उस पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय के संबंध में रिपोर्ट :–

(1) किसी भी निर्वाचन में लेखा दाखिल करने के लिए धारा 78 में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति होने के तुरंत बाद आयोग को रिपोर्ट करनी चाहिए:–

(क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम

(ख) क्या उस अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है

तथा यदि ऐसा है, तो वह तिथि जिस दिन लेखा दाखिल किया गया है, एवं

(ग) क्या उनके विचार में इस प्रकार का लेखा अधिनियम एवं नियम के द्वारा अपेक्षित रीति एंव समय के भीतर दाखिल किया गया है ।

(2) जहॉ जिला निर्वाचन अधिकारी का यह मत है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम एवं नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया है, रिपोर्ट के साथ अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा एवं इसके साथ दाखिल किये गये वाउचर को भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजना चाहिए ।

(3) उप नियम (।) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के तुरंत बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने सूचना पट्ट में इसे लगाते हुए इसकी एक प्रति प्रकाशित करनी चाहिए ।

(4) उप नियम (।) में संदर्भित रिपोर्ट की प्राप्ति के तत्काल पश्चात् निर्वाचन आयोग इस पर विचार कर यह निर्णय करेगा कि क्या कोई अभ्यर्थी अधिनियम एंव नियमों द्वारा अपेक्षित रीति एंव समय के भीतर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ।

(5) जहॉ निर्वाचन आयोग यह निर्णय करता है कि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी अधिनियम एवं उन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति एवं समय के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल हुआ है तो अभ्यर्थी से लिखित नोटिस द्वारा इस आशय का कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि उसकी असफलता के लिए उसे धारा 10क के अधीन निरर्हित क्यों न कर दिया जाए ।

(6) कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी जिससे उप नियम 89 (5) के अधीन कारण बताने की अपेक्षा की गई है, ऐसे नोटिस की प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर मामले के संबंध में निर्वाचन आयोग को लिखित में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है एवं उसी समय–अपने निर्वाचन व्ययों के पूर्ण ब्यौरे सहित अभ्यावेदन की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा यदि उसने ऐसा ही लेखा पहले प्रस्तुत नहीं किया था ।

(7) जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी प्राप्ति के 5 दिनों के भीतर अभ्यावेदन एंव लेखा (यदि कोई हो) की प्रति के साथ ऐसी टिप्पणी जिसे वे उन पर करना चाहे, को निर्वाचन आयोग को अग्रेषित करेगा ।

(8) यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी पर विचार करने के पश्चात एवं ऐसी जॉच के पश्चात, जिसे वह ठीक समझे, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपना लेखा दाखिल करने में असफल होने का कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है , तो उसे धारा 10क के अधीन आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित कर दिया जाएगा एवं आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

8. अधिकतम निर्वाचन व्यय :– कुल व्यय जिसका लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन रखा गया है एवं जो नीचे की तालिका के स्तम्भ–। में उल्लिखित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में निर्वाचन के संबंध में उपगत अथवा प्राधिकृत है, निम्न से अधिक नहीं होगा :–

(क) संघ राज्य क्षेत्र अथवा उस राज्य के किसी एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त तालिका के तदनुरूपी स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशिः एवं

(ख) संघ राज्य क्षेत्र अथवा राज्य के किसी एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, यदि कोई हो, में उक्त तालिका से संबंधित तदनुरूपी स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट राशि :–

सारणी

क्रम सं0	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्न किसी एक में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा	
		संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
1.	2.	3.	4.
1.	आंध्र प्रदेश	40,00,000	16,00,000
2.	अरूणाचल प्रदेश	27,00,000	10,00,000
3.	असम	40,00,000	16,00,000
4.	बिहार	40,00,000	16,00,000
5.	गोआ	22,00,000	8,00,000
6.	गुजरात	40,00,000	16,00,000
7.	हरियाणा	40,00,000	16,00,000
8.	हिमाचल प्रदेश	40,00,000	11,00,000
9.	जम्मू व कश्मीर	40,00,000	....
10.	कर्नाटक	40,00,000	16,00,000
11.	केरल	40,00,000	16,00,000
12.	मध्य प्रदेश	40,00,000	16,00,000
13.	महाराष्ट्र	40,00,000	16,00,000
14.	मणिपुर	35,00,000	8,00,000
15.	मेघालय	35,00,000	8,00,000
16.	मिजोरम	32,00,000	8,00,000
17.	नागालैंड	40,00,000	8,00,000
18.	उड़ीसा	40,00,000	16,00,000
19.	पंजाब	40,00,000	16,00,000
20.	राजस्थान	40,00,000	16,00,000
21.	सिक्किम	27,00,000	8,00,000
22.	तमिलनाडु	40,00,000	16,00,000
23.	त्रिपुरा	40,00,000	8,00,000
24.	उत्तर प्रदेश	40,00,000	16,00,000
25.	पश्चिम बंगाल	40,00,000	16,00,000
26.	छत्तीसगढ़	40,00,000	16,00,000
27.	उत्तराखण्ड	40,00,000	11,00,000
28.	झारखण्ड	40,00,000	16,00,000

2. संघ राज्य क्षेत्र

1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	27,00,000	.....
2.	चंडीगढ़	22,00,000	.....
3.	दादर एंव नागर हवेली	16,00,000	......
4.	दमन एवं दीव	16,00,000	....
5.	दिल्ली	40,00,000	14,00,000
6.	लक्षद्वीव	16,00,000	......
7.	पुडुचेरी	32,00,000	8,00,000

(विधि मंत्रालय की दिनांक 23 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं0 11019 (1) 2011–एल ई जी.II)

संलग्नक–2

व्यय प्रेक्षक का आगमन/प्रस्थान रिपोर्ट

(आगमन/प्रस्थान के तुरन्त बाद प्रस्तुत की जाए)

रिपोर्ट करने की तारीख :	
प्रेक्षक का नाम	
प्रेक्षक कोड	
निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों की संख्या तथा नाम	
राज्य का नाम	
निर्वाचन–क्षेत्र की फैक्स संख्या	कार्यालय फैक्स संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की दूरभाष संख्या	दूरभाष संख्या
निर्वाचन क्षेत्र का मोबाईल संख्या	मोबाईल संख्या
ई. मेल आई डी	

1.	प्रेक्षक के आगमन/प्रस्थान की तिथि (कृप्या उस भाग को हटा दें जो लागू न हो)	
2.	क्या प्रेक्षक द्वारा ड्यूटी से कोई अवकाश लिया गया था	
3.	यदि हॉ, विवरण दें	
4.	क्या ड्यूटी पर देर से आए थे	
5.	यदि हॉ, तो कितनी देर से	

स्थान :

दिनांक :

प्रेक्षक का हस्ताक्षर

संलग्नक–3

व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट–1

व्यय अनुवीक्षण के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट (नामांकन की जांच के बाद 24 घंटे के अन्दर प्रत्येक विधान सभा खण्ड के लिए अलग से प्रस्तुत की जाए)

रिपोर्ट करने की तारीख	
प्रेक्षक का नाम	
प्रेक्षक का कोड	
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	
राज्य का नाम	
निर्वाचन क्षेत्र की फैक्स संख्या	कार्यालय फैक्स संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की दूरभाष संख्या	दूरभाष संख्या
निर्वाचन क्षेत्र का मोबाइल संख्या	मोबाईल संख्या
ई. मेल आई. डी	

क्र0सं0	विवरण	हॉ	नहीं
(क)	क्या निर्वाचन तंत्र को व्ययों की अधिकतम सीमा से संबंधित निर्वाचनों का संचालन नियम के नियम 90 की जानकारी है		
(ख)	क्या सभी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित सामग्री दी गई है (I) नए फार्मेट के अनुसार – निर्वाचन व्यय के दिन प्रतिदिन के लेखे के अनुरक्षण के लिए निर्धारित रजिस्टर		
	(ii) निर्वाचन व्ययों का सार विवरण तथा शपथपत्र का फार्मेट		
	(iii) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थियों के नामांकन के तुरन्त प्श्चात् निर्वाचन व्यय के लेखे के रख–रखाव के उपबंधों का विवरण देते हुए लिखित प्त्र–व्यवहार		
(ग)	क्या ऐसे रजिस्टरों में सम्यक रूप से पृष्ठ अंकित किए गए थे तथा जारी		

	करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए गए थे ।		
(घ)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी राजनीतिक दलों तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की बैठक बुलायी गई थी तथा इसमें निर्वाचन व्ययों के मामले में चर्चा की गई थी ।		
(ड.)	क्या व्यय प्रेक्षक ने अभ्यर्थियों द्वारा रख–रखाव किए जाने वाले दिन–प्रतिदिन के व्यय लेखे की जांच करने के लिए पदाभिहित अधिकारी के रूप में सहायक व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति की है ।		
(च)	क्या व्यय रजिस्टर/वाउचरों की जॉच अनुसूची निर्धारित थी ।		
(छ)	यदि हॉ, जॉच के लिए निर्धारित तिथि का उल्लेख करें		
(ज)	क्या प्रेक्षक द्वारा पूरे व्यय अनुवीक्षण दलों तथा सहायक व्यय प्रेक्षकों को व्यय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में बताया गया है		
(झ)	क्या व्यय प्रेक्षक ने नकद, शराब तथा अन्य सामग्रियों के वितरण पर निगरानी रखने के लिए पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, तथा अन्वेषण महानिदेशालय, आयकर के अधिकारियों से बातचीत की है ।		
(ञ)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में पोस्टरों के मुद्रण करने, वाहनों, लाउडस्पीकरों को किराए पर लेने, पंडालों को लगाने की कीमत तथा फर्नीचर एवं फिक्सचरों (जुड़नार) को किराए पर लेने की वर्तमान दरें उपलब्ध कराए गयी थी ।		
(ट)	क्या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, सहायक व्यय प्रेक्षकों तथा व्यय अनुवीक्षण दलों के सदस्यों को इस संबंध में सूचित किया गया था ।		
(ठ)	क्या नेताओं के नाम (अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के मामले में अधिकतम 20 तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए 40) (जो विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर हवाई जहाज द्वारा या परिवहन के किसी अन्य साधनों द्वारा यात्रा करेंगे) मुख्य निर्वाचन		

	अधिकारी/भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई है ।		
(ड)	यदि नहीं, तो क्या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यह सूचित किया गया है कि दल के नेताओं द्वारा उनकी यात्रा व्ययों सहित दौरे के संबंध में उपगत सभी व्ययों को उन निर्वाचन के संबंध में जिनके लिए यात्रा की गई है, से संबंधित अभ्यर्थी के खाते में निर्वाचन–व्ययों का लेखा आवश्यक रूप से दर्शाया जाना अपेक्षित है । (यदि अभ्यर्थियों के समूह का निर्वाचन से जुड़े दौरे साधारण प्रकार की है, तो व्यय को ऐसे सभी अभ्यर्थियों के मध्य समान रूप से विभाजित किया जाएगा)		
(ढ)	क्या सहायक व्यय प्रेक्षकों ने सभी अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने के संबंध में व्ययों की छाया रजिस्टर में प्रविष्टि की है ।		
(ण)	क्या लेखा दल, वीडियो अवलोकन दल, वीडियो निगरानी दल, मीडिया अनुवीक्षण दल तथा प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन निगरानी दल निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए तैयार हैं तथा उन्हें सुसंगत रजिस्टर/फार्मेट जैसे–वीडियों क्यू शीट, छाया रजिस्टर, मीडिया व्यय अनुवीक्षण रिपोर्ट इत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं ।		
(त)	क्या सहायक व्यय प्रेक्षक तथा लेखा दल के सदस्यों, वीडियो अवलोकन दल, वीडियो निगरानी दल, मीडिया रिपोर्ट तथा अनुवीक्षण दल को प्रशिक्षण दिया गया है :–		
	(क) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा		
	(ख) प्रेक्षक द्वारा		
(थ)	क्या जन सभाओं, रैलियों तथा जुलूसों की व्यवस्था करने के लिए तैनात किए जाने वाले वाहनों की अनुमति देने वाले प्राधिकारी ऐसी अनुमति की प्रतियॉ वीडियो अवलोकन दल, लेखा दल तथा मीडिया अनुवीक्षण दल को भेज रहे हैं ।		

(द)	अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक खाता संख्या नहीं दिए है ।		
(ध)	व्यय अनुवीक्षण दल की तैयारी पर समग्र प्रेक्षण तथा किसी प्रकार के सुधार के लिए सुझाव (प्राथमिकता के क्रम में संबंधित क्षेत्रों को दर्शायें)		

यदि उपर्युक्त में से किसी का उत्तर **न** है, तो इसे भारत निर्वाचन आयोग को सूचित करते हुए तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ध्यान में लाया जाए ।

स्थान :

दिनांक :

व्यय प्रेक्षक का हस्ताक्षर

सलंग्नक – 4

व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट–2

मतदान के पूरा होने के बाद व्यय रिपोर्ट

(मतदान/पुनर्मतदान यदि कोई हो, के पूरे होने के 24 घंटे के भीतर ई. मेल तथा फैक्स द्वारा प्रस्तुत की जाएगी)

रिपोर्ट करने की तारीख	
प्रेक्षक का नाम	
प्रेक्षक का कोड	
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	
राज्य का नाम	कार्यालय फैक्स संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की फैक्स सं0	दूरभाष संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की दूरभाष संख्या	मोबाईल संख्या
निर्वाचन क्षेत्र का मोबाइल संख्या	
ई. मेल आई. डी	

क0सं0	विवरण	
(क)	व्यय से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या	
(ख)	जॉच की गई संख्या तथा की गई कार्रवाई	
(ग)	लम्बित मामलों की संख्या, जॉच तथा सुधार हेतु कार्रवाई	
(घ)	लम्बित रहने का कारण	
(ड.)	(i) अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने जॉच के लिए रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए हैं ।	
	(ii) अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें जॉच के लिए रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने के कारण नोटिस जारी किए गए हैं ।	

	(iii) अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने नोटिस दिए जाने के बावजूद रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए ।		
	(iv) नामों का उल्लेख करें, जिन्होंने नोटिस दिए जाने के बावजूद रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए ।		
(च)	अभ्यर्थी जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया था ।	संख्या	नाम
	(i) दिन–प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर/नकद रजिस्टर/बैंक रजिस्टर के फार्मेट में विसंगति के लिए		
	(ii) वे सभी जो छाया रजिस्टर में दर्शाये गए हैं, के साथ सही व्यय लेखा नहीं दिखाए जाने के लिए		
	(iii) अलग से बैंक खाता नहीं खोलने के लिए		
(छ)	क्या सहायक व्यय प्रेक्षक ने रिटर्निंग ऑफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला मुख्यालय में अभ्यर्थियों के बीच छाया प्रेक्षण रजिस्टर, साक्ष्य फोल्डर तथा अन्य रिपोर्ट/प्त्र–व्यवहार का रख–रखाव किया है ।		
(ज)	नमांकन दाखिल करने के बाद की अवधि के दौरान जब्त की गई नकद, शराब तथा अन्य वस्तुएँ ।		
(झ)	यदि ऐसा है, तो उसका विवरण दें तथा स्थान एवं प्राधिकारी का नाम बताएँ, जिनके द्वारा जब्ती की गई ।		
(ञ)	क्या जब्त नकद राशि/सामग्रियों को किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय से जोड़ा जा सकता है		
(ट)	यदि ऐसा है, तो विवरण दें		
(ठ)	क्या किसी पेड न्यूज का पता चला था।		
(ड)	यदि ऐसा है, तो अभ्यर्थी का नाम, मीडिया का नाम तथा अन्य		

	विवरणों सहित, विवरण दें । (इस प्रकार के सभी मामलों की प्रति संलग्न करें)		
(ढ)	क्या सभी जन सभाओं/रैलियों/जुलूसों में उपगत व्यय की अभ्यर्थी के प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी ।		
(ण)	क्या ऐसे सभी व्ययों को अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दिन–प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर में दर्शाया गया था ।		
(त)	यदि ऐसा है, तो विवरण दें		
(थ)	क्या इस अवधि के दौरान शराब के उत्पादन/वितरण पर नियंत्रण किया गया था ।		
(द)	क्या आडम्बरपूर्ण व्यय जैसे – मुंडन समारोह, जन्मदिन समारोह, विवाह/समूह विवाह समारोह के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी/आयकर के अन्वेषण महानिदेशालय को बताया गया था ।		
(ध)	यदि ऐसा है, तो निदेशालय/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण दें ।		
(न)	ऐसे व्यय की राशि का उल्लेख करे तथा क्या इसे किसी अभ्यर्थी से जोड़ा जा सकता है । (अभ्यर्थी का नाम बताएं)		
(प)	नकद या किसी वस्तु के रूप में प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा उनके अभ्यर्थियों की ओर से निर्वाचन क्षेत्र में उपगत व्यय (दल का नाम तथा राशि का उल्लेख करें)		
(फ)	निर्वाचन व्यय को छुपाने के कोई अन्य तरीके का पता चला था (कृप्या विवरण दें)		
(ब)	कोई अन्य टिप्पणी/सुझाव (कृप्या प्राथमिकता के क्रम में उल्लेख करें)		

स्थान :

हस्ताक्षर

व्यय प्रेक्षक

दिनांक :

संलग्नक – 5

अंतिम व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट – 3

(प्रत्येक विधान सभा खंड के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाए)

रिपोर्ट करने की तारीख :
प्रेक्षक का नाम :
प्रेक्षक का कोड : ई. मेल–आई डी :
निर्वाचन क्षेत्र : राज्य :
जिला :
परिणामों की घोषणा की तारीख :
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख :
विजयी अभ्यर्थी का नाम/पार्टी संबद्धता, यदि कोई है :

प्रेक्षण का सार

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम तथा पार्टी संबद्धता	अभ्यर्थी द्वारा सार विवरण तथा लेखा दाखिल करने की तारीख (कृप्या नीचे का नोट 1 देखें)	क्या अभ्यर्थी ने बैंक विवरण की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की हैं	क्या समय पर दाखिल की हैं (हां/नहीं)	अभ्यर्थी के लेखे में उल्लिखित व्यय की राशि	क्या प्रेक्षक एकत्रित साक्ष्यों की तुलना में अभ्यर्थी के प्रस्तुतीकरण से सहमत हैं (हां/नहीं) यदि नही तो नीचे दिए नोट 2 के अनुसार संलग्न करें)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रचार के दौरान एकत्रित सभी सुचनाओं सहित अभ्यर्थी के निवेदन की दुतरफा पड़ताल की है (हां/नहीं), यदि हां तो कृप्या नीचे दिए नोट 3 के अनुसार संलग्न करें ।	क्या अभ्यर्थी द्वारा उपगत अनुमानित व्यय निर्धारित सीमा से अधिक था (हां/नहीं), यदि हां, तो कृप्या नीचे दिए नोट 4 के अनुसार संलग्न करें ।	अभ्यर्थी की तरफ से राजनैतिक पार्टी, यदि कोई हैं, द्वारा उपगत व्यय की राशि/नीचे दिए नोट 5 के अनुसार पार्टी का नाम बताएं	अभ्यर्थी की ओर से अन्य हस्तियों/व्यक्तियों द्वारा उपगत व्यय की राशि	अभ्युक्तियां
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**

स्थान :

तारीख : हस्ताक्षर
व्यय

प्रेक्षक नोट :

1. स्तंभ 3 में, जहॉं अभ्यर्थी ने सार विवरण प्रस्तुत नहीं किया है वहां **प्रस्तुत नहीं किया** का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
2. स्तंभ 7 में यदि **नहीं** है तो प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए प्रेक्षक द्वारा साक्ष्य/संदर्भ संख्या सहित एक अलग शीट दी जाएगी जिसमें वह उन सबका उल्लेख करेगा जिनसे वह सहमत नहीं है ।
3. स्तंभ 8 में यदि प्रेक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी से सहमत नहीं है तो वह उस असहमति के कारण का अलग से उल्लेख करेगा ।
4. स्तंभ 9 में, व्यय प्रेक्षक द्वारा उन अभ्यर्थियों, जिन्होंने सीमा से अधिक व्यय किया है, के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा तथा कुल व्यय की अनुमानित राशि का उल्लेख किया जाएगा ।
5. स्तंभ 10 में, यदि अभ्यर्थी के लिए एक से अधिक राजनैतिक पार्टियॉं व्यय उपगत करती है, तो प्रत्येक पार्टी का नाम तथा राशि अलग से दी जाएगी । यदि प्रेक्षक दिखाए गए आंकड़ों से सहमत नहीं है तो वह इकट्ठे किए गए साक्ष्यों सहित अनुमानित आंकड़े अलग से संलग्न करेगा ।
6. स्तंभ 11 में, अभ्यर्थियों की ओर से अन्य हस्तियों/व्यक्तियों द्वारा उपगत कुल राशि को इस स्तंभ में उल्लिखित की जाएगी तथा यदि प्रेक्षक दिखाए गए आंकड़ों से सहमत नहीं है, तो वह हस्तियों/व्यक्तियों के नामों के साथ एकत्रित साक्ष्यों सहित अनुमानित आंकड़े अलग से संलग्न करेगा ।

   (प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/खंड के लिए प्रस्तुत किया जाए)

सलंग्नक 6

सहायक व्यय प्रेक्षक की दैनिक रिपोर्ट

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम तारीख :	
(क) वीडियो टीमें 8. उन सीनों की सूची जहॉ वीडियो टीमें तैनात की गई और अभ्यर्थियों के नाम	
(ii) क्या वीडियो निगरानी टीम संकेत पत्र के साथ सी डी प्रस्तुत करती हैं ।	
(iii) क्या वीडियो निरीक्षण टीम ने व्यय के मद, जैसे– वाहनों की संख्या/मंच/कटआउट का आकार इत्यादि की प्रविष्टि कर दी है ?	
(ख) लेखा टीम (i) क्या प्रत्येक द्वारा अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर में सभी व्ययों की प्रविष्टि कर दी गई है ? (ii) क्या प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए साक्ष्यों के फोल्डर का रख–रखाव किया जा रहा है ?	
(ग) मीडिया अनुवीक्षण टीम (i) क्या टीम, प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी विज्ञापनों को देख और रिकॉर्ड कर रही है ? (ii) क्या टीम, लेखा टीम को रिपोर्ट भेज रही है ? (iii) क्या कोई पेड–न्यूज का पता चला है ?	
(घ) नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर (i) प्राप्त शिकायतों की संख्या (ii) क्या तुरन्त ही सम्बन्धित अधिकारी को शिकायत अग्रेषित की गई है ? (iii) क्या कोई कार्रवाई की गई है ? यदि की गई है, तो कार्रवाई के तरीके और उपलब्धि का उल्लेख करें ।	
(ड) उड़न दस्ते और निगरानी टीमें (i) उड़न दस्ते को रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या (ii) उड़न दस्ते द्वारा की गई कार्रवाई (iii) डाले गए (बनाए गए) चेक पोस्टों की संख्या (iv) जब्ती , यदि कोई हो	

दिनांक   हस्ताक्षर

सहायक व्यय प्रेक्षक का नाम

संलग्नक–7

वीडियो–निगरानी टीमों के लिए क्यू–शीट

(वीडियो रिकार्डिंग के समय भरा जाए)

जिले का नाम :

वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी अधिकारी का नाम :

वीडियोग्राफर का नाम :

दिनांक :

सी डी संख्या :

क्रम सं0	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तथा नाम	अभ्यर्थी का नाम	स्थिति	घटना	दिन में किस समय रिकार्डिंग शुरू हुई	सी डी पर समय जब रिकार्डिंग शुरू हुई	सी डी पर समय जब रिकार्डिग खत्म हुई	रिकार्डिंग की अवधि	रिकार्ड किए गए साक्ष्यों के विवरण का ब्योरा

वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

संलग्नक 8

शिकायतों पर उड़न दस्तों द्वारा दैनिक क्रियाकलाप रिपोर्ट

दिनांक.........................
संदर्भ सं0 ....

दिनांक.........................
उप–प्रभाग (मंडल) का नाम ....निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम ....
जिला..   राज्य...

क.सं0	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है	प्राप्त की गई शिकायत की प्रकृति	शिकायतकर्ता का नाम	की गई कार्रवाई की प्रकृति	क्या पार्टी या अभ्यर्थी के साथ कोई सम्बन्ध पाया गया	जब्ती (यदि कोई हो)	दर्ज की गई एफ आई आर की संख्या	टिप्पणी (कृपया व्यक्ति का किसी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल या निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्ध का उल्लेख करें)
1.								
2.								
3.								
मतदान की घोषणा के दिन से अंतिम दिन तक कुल प्रगामी योग								
1. प्राप्त की गई शिकायतों की कुल संख्या : 2. जांच की गई शिकायतों की कुल संख्या								
3. लम्बित शिकायतों की संख्या								
4. शिकायतों के आधार पर उड़न दस्तों द्वारा की गई जब्ती की कुल राशि								
5. अंतिम दिन तक दर्ज की गई एफ आई आर की कुल संख्या								

हस्ताक्षर
उड़न दस्तों/राज्य पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम

टिप्पणी :

1. इस प्रोफार्मा में उड़न दस्ते का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक उड़न दस्ते की रिपोर्ट एस पी को प्रस्तुत करेगा । साथ ही प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक व्यय प्रेक्षक को देगा ।

2. एस पी समस्त जिले के ऑकड़ों को संकलित करके राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट भेजेगा ।

   राज्य पुलिस मुख्यालय का नोडल अधिकारी पूरे राज्य के ऑकड़े एकत्रित करेगा और आयोग को रिपोर्ट भेजेगा, प्रतिलिपि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजेगा ।

संलग्नक 9

स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा दैनिक क्रियाकलाप रिपोर्ट

दिनांक ....

(जॉच चौकी) चैक पोस्ट का सीन ....निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम ....पुलिस स्टेशन का नाम ....

जिला..

राज्य..

क्र.सं0	चैक पोस्ट पर जॉच किए गए व्यक्ति का नाम और पता	व्यक्ति का व्यवसाय	पाई गई नकदी	जब्त की गई नकदी	अन्य पाई गई वस्तुएं	अन्य जब्त की गई वस्तुऍं	दर्ज किए गए एफ आई आर की संख्या	टिप्पणी (कृप्या व्यक्ति का किसी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल या निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्ध का उल्लेख करें)
1.								
2.								
3.								
4. मतदान की घोषणा से अंतिम दिन तक कुल प्रगामी योग								
5. उस दिन की सकल नकद जब्ती का योग 6. अन्य वस्तुओं की सकल जब्ती का योग								
7. दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफ आइ आर) का प्रगामी योग								

हस्ताक्षर

स्थैतिक/राज्य पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम

टिप्पणी :

1. इस प्रोफार्मा में उड़न दस्ते का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक स्थैतिक निगरानी टीम की रिपोर्ट एस पी को प्रस्तुत करेगा । एक प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक व्यय प्रेक्षक को देगा ।
2. एस पी समस्त जिले के ऑकड़ों को संकलित करके राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट भेजेगा ।
   राज्य पुलिस मुख्यालय का नोडल अधिकारी पूरे राज्य के ऑकड़े एकत्रित करेगा और आयोग को रिपोर्ट भेजेगा, प्रतिलिपि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजेगा ।

संलग्नक–10

निर्वाचनों के दौरान सामान्य जनता के लिए अपील

मतदाता की संतुष्टि के लिए नकदी, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण रिश्वत है और यह एक दण्डनीय अपराध है । निर्वाचनों के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़न दस्ते बनाए गए हैं ।

सभी से यह अपील की जाती है कि उड़न दस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचनों के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में नकदी ले जा रहा है, तो उस धन के स्रोत और उसके अंतिम प्रयोग को दर्शाने वाले समुचित दस्तावेज साथ रखने चाहिए ।

जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला :

दिनांक :

संलग्नक–11

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के दैनिक लेखा के रख–रखाव के लिए छाया प्रेक्षण रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम :

जहॉ से निर्वाचन लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम :

परिणाम की घोषणा की तारीख :

निर्वाचन एजेन्ट का नाम और पता :

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :

(नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख ,दोनों तारीख सम्मिलित)

1.	2.	3.	4.	5.					7.	8.
व्यय / घटना की तारीख	वीडियो संकेत पत्र की क्रम संख्या और सी डी संख्या	मीडिया व्यय अनुवीक्षण टीम की संदर्भ संख्या (व्यय पर अनुदेशों के संलग्नक–2 के अनुसार	निगरानी टीमों और अन्य द्वारा की गई जब्ती की संदर्भ संख्या	व्यय की अन्य मदों की सदर्भ संख्या	व्यय की प्रकृति				व्यय प्रेक्षक / अभ्यर्थी / उसके एजेन्ट / किसी जनता द्वारा प्रेक्षण व्यय रजिस्टर की निरीक्षण की तारीख	टिप्पणी, यदि कोई हो, और प्रेक्षक / अभ्यर्थी / उसके निर्वाचन एजेन्ट के हस्ताक्षर
					वितरण	मात्रा	दर / यूनिट	कुल राशि		

दिनांक :

लेखा टीम में अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम...............................

पदनाम...

संलग्नक –12

प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों/पेड न्यूज का विवरण

राज्य का नाम –

जिला का नाम –

निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या –

अभ्यर्थी का नाम –

राजनैतिक दल –

1. प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों का विवरण :–

क्रम सं0	समाचार पत्र/पत्रिका का नाम	विज्ञापन का आकार (स्तम्भ X से.मी में)	अनुमानित परिचालन (डी.पी.आई. आर.से सूचना प्राप्त की जाए)	विज्ञापन की कीमत

2. प्रिन्ट मीडिया में पेड न्यूज का विवरण :–

क्रम सं0	समाचार पत्र/पत्रिका का नाम	पेड न्यूज का आकार (स्तम्भ X से.मी में)	अनुमानित परिचालन (डी.पी. आर से सूचना प्राप्त की जाए)	पेड न्यूज की कीमत

3. केबल टेलीविजन सहित टेलीविजन में विज्ञापनों का विवरण :–

क्रम सं0	चैनल का नाम	दिनांक व समय	विज्ञापन की अवधि (मिनटों में)	अनुमानित दर्शक (डी.पी.आर से सूचना प्राप्त की जाए)	विज्ञापन की कीमत

4. केबल टी वी सहित टेलीविजन में पेड न्यूज का विवरण :–

क्रम सं0	चैनल का नाम	दिनांक व समय	पेड न्यूज की अवधि (मिनटों में)	अनुमानित दर्शक (डी.पी.आर से सूचना प्राप्त की जाए)	विज्ञापन की कीमत

5. रेडियो पर विज्ञापनों का विवरण :–

क्रम सं0	चैनल का नाम	दिनांक व समय	विज्ञापन की अवधि (मिनटो में)	अनुमानित श्रोता (डी.पी.आर से सूचना प्राप्त की जाए)	विज्ञापन की कीमत

6. रेडियो पर विज्ञापनों का विवरण :–

क्रम सं0	चैनल का नाम	दिनांक व समय	पेड न्यूज की अवधि (मिनटों में)	अनुमानित श्रोता (डी.पी.आर से सूचना प्राप्त की जाए)	पेड न्यूज की कीमत

दिनांक :

मीडिया व्यय अनुवीक्षण टीम
के अधिकारी के हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम :————————
पदनाम :————————

संलग्नक – 13

कॉल सेन्टर सूचना पर रिटर्निंग अधिकारी की दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट

तारीख :

निर्वाचन क्षेत्र :

क्रम सं0	शिकायत की प्रकृति	किसी भी विधि जैसे फोन/फैक्स/ईमेल/एस एम एस या विशेष संवाहक द्वारा शिकायत/सूचना प्राप्त करने का समय	की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण	क्या लेखा टीम को भेजा गया ?

(तिथि सहित हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम)

संलग्नक – 14

(भाग – क)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख–रखाव के लिए रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम :–

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो : –

निर्वाचन क्षेत्र जहां से निर्वाचन लड़ा गया :–

परिणाम की घोषणा की तारीख :–

निर्वाचन एजेन्ट का नाम एवं पता :–

उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :–

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनो तारीखें सम्मिलित)

1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
व्यय/ घटना की तारीख	व्यय की प्रकृति			कुल राशि रू0 में (भुगतान किया गया + बकाया)	आदाता का नाम और पता	बिल सं0/वाउचर सं0 और तारीख	अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि	राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम	अन्य व्यक्ति/संस्था /निकाय/ किसी अन्य द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि (पूरा नाम और पता लिखे	टिप्पणी, यदि कोई हो
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर							

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे /मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :–

1. इस रजिस्टर का रख–रखाव दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए एवं यह निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर अथवा उनकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के अध्यधीन होगा ।

2. यह रजिस्टर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन व्यय की विवरणी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को मूल रूप में सौपा जाएगा । इसके साथ विहित आरूपों में निर्वाचन व्ययों के सार विवरण और समर्थक शपथ–पत्र अवश्य भेजे जाने चाहिए । कोई भी व्यय की विवरणी निर्वाचन व्ययों के सार विवरण एवं शपथ पत्र के बिना पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी ।

3. केवल उन मदों के वाउचर संलग्न नहीं किए जा सकते हैं जो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 86 (2) में सूचीबद्ध हैं, जैसे डाक व्यय, हवाई यात्रा । यदि इस नियम के द्वारा कोई वाउचर संलग्न नहीं किया जाता है तो विहित रजिस्टर में इस प्रभाव से यह स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाना चाहिए कि अपेक्षित वाउचर प्राप्त करना व्यवहार्य क्यों नहीं था ।

4. लेखा तथा सार विवरण यदि उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दाखिल किया जाता है तो उसे अभ्यर्थी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तथा अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि रखे गए लेखा की सही प्रति है ।

5. अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा सीधे उपगत अथवा प्राधिकृत व्ययों के अलावा, अभ्यर्थी के निर्वाचन से संबंधित राजनीतिक दल, अन्य संगठन, व्यक्तियों के निकायों, व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत सभी व्यय को लेखा में शामिल किया जाना अपेक्षित है । इसका एकमात्र अपवाद पार्टी के कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के लिए राजनैतिक दल के नेताओं की यात्रा के संबंध में किया गया व्यय है । (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) का स्पष्टीकरण 1 एवं 2 देखें)

6. यदि उपर्युक्त स्तम्भ 2 और 3 में प्रदर्शित किसी मद पर व्यय किसी राजनैतिक दल/संगठन/व्यक्तियों के निकाय/कोई व्यक्ति (अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त) द्वारा उपगत/ प्राधिकृत है तो स्तम्भ 7 और 8 में उसका नाम एवं पूरा पता प्रदर्शित किया जाना चाहिए ।

7. उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ 2 और 3 में निर्दिष्ट कुल व्यय में, सभी नकद व्यय और अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी वस्तुओं और अन्य प्रकार से प्राप्त सेवाओं की कीमत भी शामिल होनी चाहिए ।

8. इस रजिस्टर में निर्धारित आरूपों के अनुसार गुलाबी पृष्ठों में भाग–ख में उल्लिखित नकद रजिस्टर तथा पीले पृष्ठों में भाग–ग में उल्लिखित बैंक रजिस्टर भी शामिल होना चाहिए ।

(भाग – ख)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के लेखे के रख–रखाव के लिए नकद रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम : राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :

निर्वाचन क्षेत्र जहॉ से निर्वाचन लड़ा :

परिणाम की घोषणा की तिथि :

निर्वाचन एजेन्ट का नाम और पता :

(नामांकन की तिथि से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि तक, दोनो तिथियों सहित)

प्राप्ति				भुगतान				शेष राशि	टिप्पणी, यदि कोई हो
तिथि	व्यक्ति / दल / संस्था / निकाय / किसी अन्य का नाम तथा जिससे राशि प्राप्त की गई	रसीद संख्या	राशि	बिल संख्या / वाउचर संख्या तथा तिथि	प्राप्तकर्ता का नाम	व्यय की प्रकृति	राशि	वह स्थान जहॉ पर या जिस व्यक्ति के पास शेष राशि रखी गई है (यदि नकद एक से अधिक स्थान / व्यक्ति के पास रखा गया है, तो नाम तथा शेष राशि का उल्लेख करें	कोई व्यय जो इस सारणी के स्तम्भ 7 में उल्लिखित है तथा जो भाग–I के सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित नहीं है, उसे यहॉ स्पष्ट किया जाना चाहिए ।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन यह मेरे द्वारा / मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखी गयी सही प्रति है(परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए ।)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(भाग – ग)
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के लेखे के रख–रखाव के लिए बैंक रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम : राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :

निर्वाचन क्षेत्र जहॉ से निर्वाचन लड़ा था :

परिणाम घोषणा की तिथि :

निर्वाचन एजेन्ट का नाम और पता :

बैंक का पता :

खाता सं0 :

(नामांकन की तिथि से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि तक, दोनो तिथियों सहित)

जमा				भुगतान				शेष	टिप्पणी, यदि कोई हो
तिथि	व्यक्ति/दल/संस्था/निकाय/किसी अन्य का नाम तथा पता जिससे राशि प्राप्त की गई /बैंक में जमा की गई	नकद/चैक संख्या, बैंक का नाम तथा शाखा	राशि	चैक संख्या	प्राप्तकर्ता का नाम	व्यय की प्रकृति	राशि		कोई व्यय जो इस सारणी के स्तम्भ 7 में उल्लिखित है तथा जो भाग–I के सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित नहीं है, उसे यहॉ स्पष्ट किया जाना चाहिए ।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन यह मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखी गयी सही प्रति है(परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए ।)

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

संलग्नक – 15

निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

भाग–।

अभ्यर्थी का नाम :

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम :–

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम :–

निर्वाचन का स्वरूप :– उप निर्वाचन/साधारण निर्वाचन

परिणाम घोषणा की तारीख :–

निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता :–

भाग–।।

I. क्या आप राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी थे ? : हॉ/नहीं

II. यदि हॉ, तो दल का नाम :–..

III. क्या राजनीतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है ? : हॉ/नहीं

IV. यदि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है तो राष्ट्रीय दल है या राज्यीय दल है : राष्ट्रीय/राज्यीय दल

V.. क्या आपके दल ने आपके निर्वाचन में व्ययों को उपगत/प्राधिकृत किया है ? : हॉ/नहीं

VI क्या किसी अन्य संस्था/व्यक्तियों के निकाय/व्यक्ति ने आपके निर्वाचन में व्ययों को उपगत प्राधिकृत किया है ? : हॉ/नही

VII. यदि हॉ, तो उसका/उनका नाम एवं पूरा पता लिखें : (1)...

(2)...

(3)...

भाग– III

अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन व्यय का सार विवरण

व्यय की मद		निम्न द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय			उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय (स्तम्भ 2,3, एंव 4 का जोड़)
		अभ्यर्थी/उस के निर्वाचन अभिकर्ता	राजनैतिक दल जिसने उसे खड़ा किया है	कोई अन्य संस्था/व्यक्तियों के निकाय/ व्यक्ति	
	1.	2.	3.	4.	5.
		रू0	रू0	रू0	रू0
1.	जन सभाएं, जुलूस इत्यादि				
2.	प्रचार सामग्री जैसे हैडंबिल, पोस्टर, वीडियो एवं आडियो कैसेट, लाउडस्पीकर इत्यादि				
3.	इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार (केबिल नेटवर्क सहित)				
4.	इस्तेमाल की गयी गाड़ियों एवं उन गाड़ियों के ईधंन पर हुआ व्यय				
5.	द्वार/मेहराब, कटआउट, बैनर इत्यादि बनाना				
6.	निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं का दौरा (नेताओं की यात्रा पर हुए व्यय के अलावा पार्टी के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए धारा 77 (I) के अधीन स्पष्टीकरण 2 में यथा परिभाषित)				

7.	अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं का दौरा				
8.	प्रचार कार्यकर्ताओं पर व्यय				
9.	अन्य विविध व्यय				
		कुल जोड़			

प्राप्त की गई एकमुश्त राशि, यदि कोई इनमें से हो :–

1.	राजनीतिक दल	
2.	कोई अन्य संस्था/निकाय (उनके नाम एवं पता सहित)	
3.	कोई व्यक्ति (नाम एवं पता सहित)	

भाग–IV

प्रयोग में लाये गए वाहनों पर व्यय का ब्यौरा

अपने राजनैतिक दल या किसी अन्य संघ/संगठन/निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को आपूर्ति किए गए वाहनों सहित निर्वाचन में प्रयुक्त सभी वाहनों, पर किए गए व्यय का विवरण प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है । (इसका एकमात्र अपवाद धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 और 2 के अन्तर्गत आने वाले राजनैतिक दल के कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार के लिए राजनैतिक दल के नेताओं की यात्रा के संबंध में किया गया व्यय है ।)

वाहन की रजिस्ट्रेशन सं0	वाहन का प्रकार	आर ओ द्वारा जारी वाहन की परमिट सं0	भाड़े की दर			दिनों की सं0 जिनके लिए प्रयोग किए गए	उपगत कुल राशि	कॉलम 6 के कुल व्यय का पृथक विवरण		
			वाहन भाड़े/अनुरक्षण की दरें	ईधन प्रभार (यदि भाड़े के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है)	ड्राइवर का प्रभार (यदि भाड़े के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है)			अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा खर्च की गई राशि	राजनैतिक दल द्वारा खर्च की गई राशि	किसी अन्य संस्था/व्यक्तियों के निकाय/व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि
1.	2.	3.	4क	4ख	4ग	5.	6.	7.	8.	9.

कॉलम 6 का कुल योग : रू0

नोट :

1. उन सभी वाहनों, जिनके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी किया गया, की सूची वाले आदेश की प्रति संलग्न की जाए ।
2. उपर्युक्त सारणी में जन सभाओं/रैलियों/जुलूसों के लिए प्रयुक्त सभी वाहनों को भी शामिल किया जाना चाहिए ।
3. यदि अभ्यर्थी/उसके रिश्तेदार/अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के उद्देश्य से अपने वाहनों का प्रयोग किया गया है, तो केवल अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए प्रयुक्त वाहन को छोड़कर ऐसे सभी वाहनों के भाड़े की नेशनल लागत को उपर्युक्त सारणी में व्यय की कुल राशि में शामिल किया जाएगा ।

भाग–V

जन सभा/रैलियों इत्यादि पर व्यय का ब्यौरा

(अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता/ उसकी राजनीतिक पार्टी/किसी अन्य संस्था/संगठन/निकाय/अभ्यर्थी की ओर से अन्य किसी व्यक्ति द्वारा आयोजित जनसभा/रैली/जुलूस/इत्यादि का उल्लेख इस फार्मेट में किया जाए)

जन सभाओं/रैलियों/जुलूसों की कुल संख्या :

कुल व्यय ....रू0

1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.
जनसभा/रैली की तारीख	स्थान का पता	प्राधिकारी का नाम, जिससे अनुमति ली गई	जन सभाओं/रैलियों/जुलूसों पर खर्च				अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत राशि	राजनीतिक पार्टी द्वारा उपगत राशि और पार्टी का नाम	किसी अन्य संस्था/निकाय/व्यक्ति द्वारा उपगत राशि और ऐसे व्यक्तियों का नाम
	स्टार प्रचारक/बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति (यदि कोई है) का नाम	संदर्भ सं0 और अनुमति की तारीख	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर	कुल राशि			
			पंडाल एवं फिक्सचर						
			तोरण और बैरिकेडिंग						
			किराए पर लिया गया फर्नीचर						
			किराए पर लिये गए लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन						

			पोस्टर						
			बैनर						
			कट– आउट						
			डिजिटल बोर्ड						
			प्रकाश की मदें जैसे पंक्तिबद्ध लाइट इत्यादि						
			विद्युत बोर्ड आदि का भुगतान किए गए/ देय विद्युत प्रभार						
			स्थान का किराया						
			अन्य विविध व्यय						
			कुल						

दिनांक : .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

भाग–VI

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अधीन स्पष्टीकरण (2) के निबंधनों के अनुसार नामनिर्दिष्ट दल के नेता (नेताओं) की यात्रा पर व्यय का ब्यौरा

			आगमन का ब्यौरा		ठहरने का ब्यौरा		प्रस्थान का ब्यौरा				
क्रम.संख्या	नेता का नाम	निर्वाचन क्षेत्र में आगमन की तारीख	यात्रा का माध्यम	भुगतान किए गए भाड़े पर व्यय (यदि ज्ञात हो)	निर्वाचन क्षेत्र मे ठहरने की अवधि	स्थानीय यात्रा पर व्यय	निर्वाचन क्षेत्र से प्रस्थान की तारीख	यात्रा का माध्यम	भुगतान किए गए भाड़े पर व्यय (यदि ज्ञात हो)	क्या अभ्यर्थी ने राजनैतिक दल अथवा अन्य द्वारा मद सं0 (5) (7) एवं (10) पर व्यय विनिर्दिष्ट किया है	अभ्यर्थी द्वारा मद 5) (7) एवं (10) पर व्यय यदि कोई हो
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.											
2.											
3.											
कुल व्यय											

स्थानः
दिनाक :

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम

शपथ पत्र का प्रारूप

....जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (जिला, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

श्री ....सुपुत्र ....का शपथ पत्र मैं .... सुपुत्र/पत्नी/पुत्री ....आयु............ ....वर्ष का निवासी एतद्द्वारा ईमानदारी एंव सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूॅ :–

(1) कि मैं ....संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से ....की लोक सभा/विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन/उप–निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, जिनका परिणाम .... को घोषित किया गया था ।

(2) कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक .... (वह तारीख जब मुझे नामांकित किया गया था) एवं इसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने और मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने उपगत/प्राधिकृत सभी व्यय का पृथक एवं सही लेखा रखा है ।

(3) कि उक्त लेखा रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर में ही उक्त लेखा में उल्लिखित वाउचर/बिल के साथ इनमें संलग्न है ।

(4) कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकाय एंव अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें भी इसमें शामिल है एवं उनमें से (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 एंव 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के संबंध में किए गए व्यय को छोड़ कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है ।

(5) कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के संलग्नक–।। में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/ अन्य संगठन/ मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकाय एंव अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं ।

(6) कि पूर्व पैरा (1) से (5) में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एंव विश्वास के अनुसार सत्य हैं तथा कोई गलती नहीं है एवं किसी भी सामग्री को छिपाया नहीं गया है ।

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष 2001 .... के इस .... दिन में .... द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ ली गई)

(साक्ष्यांकन प्राधिकारी, अर्थात प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक_के हस्ताक्षर तथा मुहर)

<u>पावती प्रपत्र</u>

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर

....

....

महोदय,

मैं अपने निर्वाचन व्ययों के लेखों के रख–रखाव के लिए अन्य दस्तावेजों के बीच...
......क्रम सं0 वाले रजिस्टर तथा इसके संलग्नकों सहित आपके दिनांक ....के पत्र सं0 ....
............................की पावती देता हूॅ ।

2. मैनें निर्वाचन व्ययों के लेखे के रख–रखाव और उस लेखे की सही प्रति और निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल करने संबंधी विधि की अपेक्षाओं को नोट कर लिया है ।

भवदीय,

जे लागू न हो, उसे काट दे :– अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और तारीख

<u>पावती</u>

..................निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम, जो ....(तिथि) को घोषित किया गया था, के संबंध में निर्वाचन व्ययों का लेखा..................(.तिथि) को उसकी ओर से उसके द्वारा दाखिल किया गया था, मैं आज ....(वर्ष) के.......
..........(महीने) के ....(दिन) प्राप्त किया ।

जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला ....

संलग्नक–16

जनसभाओं/रैलियों इत्यादि पर व्यय का ब्यौरा

(अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जनसभा/रैली इत्यादि आयोजित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला आवेदन)

जिले का नाम : निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम.........

अभ्यर्थी का नाम : राजनैतिक दल, यदि कोई हो......

जनसभा/रैली इत्यादि की तारीख, समय एवं अवधिः

जनसभा/रैली इत्यादि का स्थान :

क्र. सं.	व्यय की मद	अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रस्ताव		राजनीतिक दल द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रस्ताव		अन्य संगठनों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रस्ताव		प्रभारी अधिकारी के अनुसार रिपोर्ट	
		यूनिटों की सं0	लागत	यूनिटों की सं0	लागत	यूनिटों की संख्या	लागत	यूनिटों की संख्या	लागत
1.	पंडाल एंव फिक्सचर								
2.	बैरिकेडिंग और तोरण								
2.	मेजें								
3.	कुर्सियॉ								
4.	अन्य फर्नीचर								
5.	लाउड स्पीकर एवं माइक्रो फोन								
6.	पोस्टर								
7.	बैनर								
8.	कट आउट								
9.	डिजीटल बोर्ड								
10.	प्रकाश की								

	मदें जैसे पंक्तिबद्ध लाइट इत्यादि								
11.	विद्युत बोर्ड को भुगतान किए गए/देय विद्युत कनेक्शन प्रभार इत्यादि								
12.	अन्य मदें								
13.	....								
योग :									

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/का नाम और हस्ताक्षर तथा

राजनैतिक पार्टी/अन्य किसी संघ अधिकारी

प्रभारी का नाम और हस्ताक्षर

तारीख :

संलग्नक–17

सभी संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचक अधिकारियों को संबोंधित दिनांक 15.4.2004 का निर्वाचन आयोग का पत्र सं0 509/75/2004/जे.एस.–।

विषयः– टी वी चैनल और केबल नेटवर्क में राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का दिनांक 13 अप्रैल, 2004 का आदेश ।

1. मुझे एतदद्वारा एस एल पी 2004 की संख्या 6679 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम एम एस जेमिनी टी वी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनॉक 13 अप्रैल, 2004 के आदेश के अनुसरण में आयोग द्वारा पारित दिनॉक 15 अप्रैल, 2004 के आदेश को संलग्न करने का निदेश हुआ है ।

2. इस बात पर ध्यान दिया जाए कि आयोग ने निदेश दिए हैं कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल या किसी समूह या संगठन, संस्था, जिसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हो, द्वारा टी वी चैनल या केबल नेटवर्क में प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के पूर्वदर्शन, संवीक्षण और प्रमाणन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली को आदेश के अनुच्छेद 6 (i) के निदेशानुसार एक समिति गठित करनी होगी । इसी प्रकार अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुच्छेद 6 (iii) के अनुसार जिस राजनीतिक दल या अन्य संस्थाओं/समूहों का मुख्यालय उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, उनके आवेदनों पर विचार करने के लिए समितियॉ गठित करेगी । आदेश के अनुच्छेद 6 (iv) के द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों को भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विज्ञापन के पूर्वदर्शन, संवीक्षण और प्रमाणन के लिए पदाभिहित अधिकारी घोषित किया है । आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और सिक्किम के चालू साधारण निर्वाचन और कुछ राज्यों में उप निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी जिसमें संसदीय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं, विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए आवेदन स्वीकार करेगा ।

3. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विज्ञापनों के प्रमाणन के आवेदनों पर समिति के पदाभिहित अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णय के सम्बन्ध में शिकायतों पर ध्यान देने के लिए इसके आगे एक और समिति के गठन की भी आवश्यकता है ।

4. प्रमाणन के लिए प्रत्येक आवेदन को आदेश से संलग्न संलग्नक 'क' में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार एक विवरण में, सम्बन्धित समिति या सम्बन्धित पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । विज्ञापन के प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र समिति/पदाभिहित अधिकारी द्वारा आदेश से संलग्न संलग्नक 'ख' में दिए गए प्रोफार्मा में दिया जाना होगा । आवेदकों से प्रस्तावित विज्ञापन की सत्यापित प्रतिलेख के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

5. प्रमाणन के लिए प्राप्त सभी आवेदनों के समुचित रिकॉर्ड को एक रजिस्टर में व्यवस्थित रखना होगा । प्रत्येक आवेदन में क्रम संख्या दी जानी चाहिए और क्रम संख्या को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दो प्रतियों में इंगित किया जाना चाहिए तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रति में प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए । प्रमाण–पत्र जारी करने के बाद प्रसारण के लिए प्रमाणित विज्ञापन की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति समिति पदाभिहित अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखी जानी चाहिए ।

6. सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी अविलम्ब टी वी, वी सी आर, वी सी डी इत्यादि आवश्यक आधारभूत उपकरण जिनकी आवश्यकता समितियों और नामित अधिकारियों को उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विज्ञापनों के पूर्वदर्शन और संवीक्षण के लिए पड़ सकती है, उपलब्ध करवांएगे । किसी भी तरह की खरीद राज्य सरकार द्वारा उन्ही वस्तुओं की खरीद के लिए अनुमोदित दर और प्रक्रिया के अनुसार होगी ।

7. आयोग के आदेश का व्यापक प्रचार किया जाना होगा और इसे विशेष रूप से राज्य संघ/ राज्य क्षेत्र में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर, टी वी चैनल, केबल ऑपरेटर और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों के ध्यान में लाना होगा ।

कृपया पावती भेजें ।

सं0 509/75/2004/न्या0अनु0–I, दिनांक 15 अप्रैल, 2004

आदेश

1. यतः केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 6 में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण या पुनः प्रसारण नहीं करेगा जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो : एवं

2. यतः केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) नियम, 1994 के नियम 7 के उप–नियम (3) ऊपर लिखित धारा–6 के निबंधनों के अनुसार विज्ञापन संहिता का निर्धारण करते हुए यह उपबंधित करता है कि कोई विज्ञापन जिसकी विषय वस्तु मुख्य रूप से धार्मिक या राजनैतिक प्रकृति की हो और जो धार्मिक या राजनीति की ओर प्रेरित हो, ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाएगी और

3. यतः आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, दिनांक 23.3.2004 के आदेश के डब्ल्यू पी.एम.पी सं0 5214/2004(जेमिनी टी.वी प्राईवेट लिमिटेड बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य) एवं अपने निर्णय द्वारा केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियम) नियम, 1994 के नियम 7 (3) के ऊपर लिखित उपबंधों को आस्थगित कर दिया है : एवं

4. यतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती के अधीन आदेश, के प्रतिस्थापन में एस.एल.पी (सिविल) सं0 6679/2007 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम मैसर्स जेमिनी टी.वी एवं अन्य) में दिनांक 2.4.2004 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा निम्न निदेश दिए हैं :–

(I) कोई भी केबल ऑपरेटर या दूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश की विधि के अनुरूप न हो एवं जो नैतिकता, मर्यादा एंव भावनाओं या विचारों को ठेस पहॅुचाता हो अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाला है ।

(II) भारत निर्वाचन आयुक्त द्वारा प्रसारण को मानीटर किया जाएगा

(III) यह प्रश्न कि क्या अभ्यर्थी द्वारा ऐसे विज्ञापन के अंतः स्थापन करने पर उपगत व्यय को शामिल किया जाना चहिए अथवा नहीं, इस पर 5 अप्रैल 2004 को विचार किया जाएगा एवं

(iv) वह रीति कि क्या ऐसे विज्ञापन विधि के अनुरूप हैं, भारत के निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

5. यतः माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. (सिविल) सं0 6679/2004 में दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के अपने अगले आदेश द्वारा निम्न निदेश दिए हैं :–

इससे पहले कि हम आदेश पारित करें, समय–समय पर यथा संशोधित केबल टेलविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (संक्षेप में अधिनियम) तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों पर ध्यान दिया जाना उपयुक्त होगा । इस अधिनियम का उद्देश्य देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन को विनियमित करना है । इस अधिनियम की धारा 6 में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा के माध्यम से ऐसे किसी विज्ञापन को प्रसारित अथवा पुनः प्रसारित नहीं करेगा, जब तक वह निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो । अधिनियम की धारा 11 में यह उपबंध है कि यदि किसी प्राधिकृत अधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि किसी केबल ऑपरेटर द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है अथवा किया जा रहा है, तो वह केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिए ऐसे केबल ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरण को जब्त कर सकता है । अधिनियम के उपबंधों के किसी भी प्रकार से उल्लंघन की दशा में, इस अधिनियम की धारा 12 में उपकरण की जब्ती का उपबंध हैं । इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 में भी उपकरण के अभिग्रहण अथवा जब्ती और दंड का उपबंध है । पुनः, धारा 16 अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध करती हैं । धारा 19 यह अधिकथित करती है कि यदि कोई प्राधिकारी लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समाचीन समझता है कि वह आदेश द्वारा किसी भी केबल ऑपरेटर को ऐसे किसी विज्ञापन का प्रसारण या पुनः प्रसारण करने से निषेध कर सकता है, जो निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुरूप नहीं है तथा जिससे विभिन्न धर्म, प्रजाति, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों जातियों या समुदायों के मध्य धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या किसी भी अन्य आधार पर शत्रुता या सामंजस्य या शत्रुता की भावना, घृणा या द्वेष उत्पन्न होने की संभावना हो, जिससे लोक शांति भंग हो । अधिनियम की धारा 22, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्र सरकार को सशक्त बनाती है । अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार नियम बनाने में समर्थ है, जिन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (संक्षिप्त में नियमों) कहा जाता है । नियमों के नियम 7 में यह उपबंध

है कि जब कोई विज्ञापन किसी केबल सर्विस द्वारा प्रसारित किया जाता है तो वह इस प्रकार अभिकल्पित होना चाहिए कि वह देश के कानून के अनुरूप हो तथा उसे ग्राहकों की नैतिकता शालीनता और धार्मिक संवेदनशीलता को आघात नहीं पहुॅचाना चाहिए । इसके साथ–साथ, उप नियम (2) यह उपबंध करता है कि ऐसे किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कि किसी प्रजाति, जाति, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का उपहास करता हो, जो भारत के संविधान के किसी उपबंध के विरूद्ध हो और किसी भी प्रकार के लोगों को अपराध करने के लिए भड़काए, अव्यवस्था और हिंसा का कारण बने या कानून का उल्लंघन करे या हिंसा या अश्लीलता को महिमामंडित करे । पुनः उप नियम (3) में यह उपबंध है कि ऐसे किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका विषय पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति का है, विज्ञापनों को किसी धार्मिक या राजनीतिक लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट नहीं होना चाहिए । इस पृष्ठभूमि में अब हम निम्नलिखित आदेश पारित करने का प्रस्ताव करते हैं :–

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल और/या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व निर्वाचन आयोग अभिहित अधिकारी (निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अभिहित) के पास आवेदन करना होगा । किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें प्रसारण की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन करना होगा । ऐसे आवेदन के साथ, प्रस्तावित विज्ञापन की इलैक्ट्रानिक फार्म में दो प्रतियों के साथ उसके विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाएगा । प्रथम चरण के निर्वाचनों के मामले में आवेदन का निपटान उसकी प्राप्ति के दो दिन के भीतर किया जाएगा और जब तक उस पर निर्णय नहीं ले लिया जाता, 2 अप्रैल, 2004 का हमारा आदेश लागू रहेगा । बाद के चरण के निर्वाचन के मामले में आवेदन का निपटान उसकी प्राप्ति के तीन दिन के भीतर किया जाएगा और जब तक उस पर निर्णय नहीं ले लिया जाता, 2 अप्रैल, 2004 का हमारा आदेश लागू होगा । ऐसे आवेदनों का निपटान करते समय निर्वाचन आयोग/पदाभिहित अधिकारी विज्ञापन के किसी भी भाग को हटाने/संशोधित करने का निदेश देने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।

प्रमाणन के लिए आवेदन में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे :

(क) विज्ञापन बनाने की लागत :

(ख) विज्ञापनों के अन्तर्वेशनों की संख्या के अंतराल और ऐसे प्रत्येक अन्तर्वेशन के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत ।

(ग) इसके साथ यह कथन भी संलग्न होगा कि शामिल किया गया विज्ञापन अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों)/दलों के निर्वाचन की संभावनाओं को लाभ पहुॅचाने के लिए है ।

(घ) यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है तथा यह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गया नहीं है, और

(ड.) एक कथन कि सभी भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे ।

हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 21 (क) 'प्राधिकृत अधिकारी' को अधिकारिता क्षेत्र की उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर (क) जिला मजिस्ट्रेट, (ख) उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, या (ग) पुलिस आयुक्त के रूप में परिभाषित करता है । इसी प्रकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनयम, 1951 की धारा 28 क में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचन के संचालन के लिए इस भाग के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी तथा राज्य सरकार अस्थाई रूप से अभिहित पुलिस अधिकारी, ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तिथि से प्रांरभ होने वाली तथा ऐसे निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तिथि को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे, और तद्नुसार ऐसे अधिकारी इस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन रहेंगे ।

चूंकि,विभिन्न केबल नेटवर्क और टेलीविजन चैनलों पर सभी विज्ञापनों को पहले से ही नियंत्रित (सेंसर) करना निर्वाचन आयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है, अतः यह आवश्यक हो गया है कि निर्वाचन आयोग को यह प्राधिकार दिया जाए कि वह इस संबंध में अपनी शक्तियों को सभी राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों के सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट या राज्य प्रांतीय सिविल सेवा के सदस्य से कम श्रेणी के न हों । यह निर्वाचन आयोग द्वारा एक सामान्य आदेश जारी करके किया जा सकता है । ये अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन कार्य करेंगे । निर्वाचन आयोग अपनी और से अपनी शक्तियों को प्रत्येक राज्य या संघ राज्य–क्षेत्रों, जो भी मामला हो, के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

प्रत्येक राज्य या संघ राज्य–क्षेत्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, किसी विज्ञापन को प्रमाणन प्रदान करने या न करने से सम्बन्धित किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति के परिवार या शिकायतों का निपटान करने के लिए एक समिति नियुक्त कर सकते हैं । इस प्रकार नियुक्त समिति अपने निर्णय की सूचना निर्वाचन आयोग को देगी ।

इस प्रकार गठित समिति, भारत निर्वाचन आयोग के पूर्ण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगी । समिति द्वारा दिया गया निर्णय, उपरोक्त कथन के अध्यधीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के लिए आवेदन करने वाले राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होगा और उनके द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा ।

विलोपन या संशोधन, जो भी मामला हो, के लिए की गई टिप्पणियॉ और समुक्तियॉ, ऐसी संसूचना की प्राप्ति के 24 घण्टों के भीतर सम्बन्धित राजनीतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बाध्यकारी रहेगा और उनके द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा तथा इस प्रकार संशोधित विज्ञापन समीक्षा और प्रमाणन के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा ।

हम स्पष्ट करते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के उपबंध, इस आदेश के अधीन शामिल विज्ञापन के लिए लागू होंगे ।

यदि कोई राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या कोई अन्य व्यक्ति समिति या अभिहित अधिकारी/निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय से यह समझता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वे इसके लिए स्वतंत्र

होंगे कि वे स्पष्टीकरण या उपयुक्त आदेश के लिए केवल इसी न्यायालय में आएं तथा कोई भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण ऐसे विज्ञापन के विरूद्ध शिकायत से सम्बन्धित किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा । यह आदेश 16 अप्रैल, 2004 से प्रवृत्त होगा और 10 मई, 2004 तक प्रवृत्त रहेगा ।

यह आदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है और यह उन सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह या ट्रस्ट को सम्मिलित करेगा, जो केबल आपरेटरों के साथ–साथ केबल नेटवर्क और/या टेलीविजन सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करते हैं ।

निर्वाचन आयोग ऐसे कर्मचारियों की मांग करने के लिए स्वतंत्र है जो ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण का अनुवीक्षण करने के लिए आवश्यक है । जहॉ निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि इस आदेश या अधिनियम के किसी उपबंध का अतिक्रमण किया गया है तो वह अतिक्रमण करने वाले को ऐसा अतिक्रमण तत्काल रोकने के लिए आदेश जारी करेगा और वह उपस्करों का प्रत्यक्ष अभिग्रहण करने के लिए भी स्वतंत्र होगा । ऐसे प्रत्येक व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा प्रत्येक आदेश का तत्काल अनुपालन किया जाएगा, जिनके लिए ऐसा आदेश पारित किया गया है ।

निर्वाचन आयोग को, विज्ञापनों के अनुवीक्षण की लागत की पूर्ति के लिए निधि भारत संघ द्वारा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए । इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारत संघ द्वारा इस आदेश का पर्याप्त प्रचार किया जाएगा ।

यह आदेश, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 2004 को पारित आदेश के क्रम में है तथा एक अतंरिम उपाय के रूप में 10 मई, 2004 तक प्रवर्तन में रहेगा ।

उपर्युक्त आदेश के अध्यधीन आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 23 मार्च, 2004 के निर्णय पर रोक लगी रहेगी । यह आदेश, अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों के अल्पीकरण के रूप में नहीं, बल्कि इसके अतिरिक्त पारित किया जा रहा है ।

6. अतः, अब माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग निम्नलिखित निदेश देता है :–

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली को एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को मिलाकर एक समिति गठित करें, जो इसमें पैरा (ii) में उल्लिखित राजनीतिक दलों और संगठनों के आवेदनों का निपटान करेंगे :–

(क) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी – अध्यक्ष ।

(ख) दिल्ली में किसी संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर ।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एक विशेषज्ञ मांगा जाए जो श्रेणी – I से कम स्तर का अधिकारी न हो ।

(ii) उपर्युक्त समिति किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क में प्रसारित किए जाने वाले किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए निम्नलिखित द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार करेगी :

(क) वे सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल, जिनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में है ।

(ख) वे सभी संगठन या संघ या व्यक्ति, जिनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली है ।

(iii) प्रत्येक अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकारी को एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे नीचे पैरा (iv) में उल्लिखित राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा दिए गए आवेदनों के निपटान के लिए निम्नलिखित समिति गठित करें :–

(क) अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी – अध्यक्ष

(ख) राज्य की राजधानी में स्थित किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर

(ग) एक विशेषज्ञ के रूप में कम से कम प्रथम श्रेणी के एक अधिकारी को सूचना व प्रसारण मंत्रालय से मांगा जाएगा।

(iv) उपर्युक्त पैरा (iii) में गठित समिति निम्नलिखित द्वारा टेलीविजन चैनल तथा केबल नेटवर्क पर विज्ञापन के लिए प्रमाणन हेतु आवेदनों पर विचार करेगी :–

(क) उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यालयों वाले सभी पंजीकृत राजनीतिक दल

(ख) उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालयों वाले सभी संगठन या व्यक्तियों के समूह या संघ

(v) देश में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को एतद्द्वारा उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से ,जहाँ ऐसे पदाभिहित अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी जो उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं द्वारा केबल नेटवर्क या टेलीविजन चैनल पर जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से पदाभिहित् अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाता है। कथित रिटर्निंग ऑफिसर आवेदनों के प्रमाणन के कार्य में अपनी सहायता के लिए राज्य प्रांतीय सिविल सेवा से संबंधित कम से कम उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट श्रेणी के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सहयोजित कर सकता है।

7. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसी विज्ञापन को प्रमाणीकरण प्रदान करने या अस्वीकार करने के निर्णय के संबंध में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति की शिकायतों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन करेगा :

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी – अध्यक्ष

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात प्रेक्षक

(i) उपर्युक्त पैरा 6(i) व 6(iii) में उल्लिखित विशेषज्ञ के अलावा समिति द्वारा एक अन्य विशेषज्ञ को सहयोजित किया जाएगा।

8. पंजीकृत राजनीतिक दलों तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन ऐसे विज्ञापन का प्रसारण प्रारंभ करने की तिथि से कम से कम तीन दिन पहले , उक्त पैरा

6(i) तथा 6(iii) में उल्लिखित समिति का पैरा 6(iv) में यथा उल्लिखित पदाभिहित अधिकारी को यथा स्थिति प्रस्तुत किया जाएगा। निर्वाचन के प्रथम चरण के मामले में ऐसे आवेदनों का निपटान उनकी प्राप्ति के दो दिनों के भीतर किया जाएगा तथा यदि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 02–04–2004 का आदेश लागू होगा।

9. जब किसी अन्य व्यक्ति या गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापन के प्रमाणन के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो इसे प्रसारण की तिथि से सात दिन पूर्व दिया जाना चाहिए।

10. ऐसा प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संलग्नक 'क' में विहित आरूप में प्रस्तुत किया जाएः–

(i) इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रतियाँ उसके विधिवत् अनुप्रमाणित लिप्यंकन सहित

(ii) प्रमाणन के लिए आवेदन में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए :–

(क) विज्ञापन की निर्माण लागत

(ख) टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत दिखाए जाने की अवधि के विवरण तथा प्रत्येक सन्निवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दर सहित ।

(ग) इसके साथ यह वक्तव्य दिया जाएगा कि क्या यह विज्ञापन अभ्यर्थियों/दलों के निर्वाचन की संभावना के हितों के लिए दिखाया गया है।

(घ) यदि यह विज्ञापन अभ्यर्थी या राजनीतिक दल को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी कराया गया है, तो वह व्यक्ति यह शपथ लेगा कि यह राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के हित लाभ के लिए नहीं है तथा यह कि कथित विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा प्रायोजित या जारी या भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) एक वक्तव्य कि सारा भुगतान चैक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।

11. किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय पैरा 6(i) तथा 6(iii) में यथागठित समिति या उक्त पैरा 6(v) में पदाभिहित अधिकारी या उपर्युक्त पैरा 7 में यथागठित पुनरीक्षण समिति, उस विज्ञापन के किसी भाग के सीधे विलोपन/संशोधन का निदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा। विलोपन तथा संशोधन के लिए टिप्पणियां व प्रेक्षण करने वाला ऐसा प्रत्येक आदेश बाध्यकर होगा और इसकी प्राप्ति के 24 घण्टों के भीतर संबंधित राजनीतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति को इसका अनुपालन करना होगा। इस प्रकार संशोधित किया गया विज्ञापन पुनरीक्षण तथा प्रमाणन के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

12. जहां उक्त पैरा 6(i) तथा 6(iii) में गठित समितियाँ या पदाभिहित् अधिकारी या उपर्युक्त पैरा 7 में गठित पुनरीक्षण समिति , जैसा भी मामला हो , संतुष्ट है कि वह विज्ञापन विधि की अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा उपर्युक्त पैरा 4 व 5 में यथा कथित सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार है, तो इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए कि संबंधित विज्ञापन प्रसारण के लिए उपयुक्त है । इस प्रमाण प्रत्र का आरूप संलग्नक 'ख' में दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13 अप्रैल , 2004 के आदेश में समाहित निदेशों का प्रत्येक संबंधित को सख्ती से पालन करना चाहिए तथा यह 10 मई , 2004 तक लागू रहेंगे और सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों के समूह या ट्रस्ट, जो केबल नेटवर्क तथा/या टेलीविजन चैनलों व साथ ही केबल संचालकों सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वह विज्ञापन दिखाए जाने का प्रस्ताव करते हैं, इससे बंधे होंगे।

संलग्नक–18

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0 3/9/(इ.एस.008)/94–जे0एस0–।। दिनांक : 2 सितम्बर, 1994

आदेश

विषयः पैम्फलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध

निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है । उक्त धारा 127क निम्नलिखित उपबंध करता है :–

127 क पैम्फलेट, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध :–

(1) कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो ।

(2) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा :–

जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा

जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए ।

(i) जहॉ यह उस राज्य की राजधानी में मुद्रित हुआ है, उसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, तथा

(ii) किसी अन्य मामले में, जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहॉ यह मुद्रित हुआ है –

(3) इस भाग के प्रयोजनार्थः–

(क) हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढाने के लिए किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा तथा वाक्यांश 'मुद्रण' को तदनुसार समझा जाएगा तथा

(ख) निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर से तात्पर्य है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के समूह के निर्वाचन के प्रचार या पूर्वधारणा के बिना वितरित किए गए हैण्ड बिल अथवा दस्तावेज या कोई इश्तहार जो निर्वाचन के संदर्भ में हो परन्तु जिसमें केवल निर्वाचन एजेन्टों अथवा कार्यकर्ताओं के लिए निर्वाचन सभा अथवा नेमी अनुदेशों की तिथि, समय, स्थान तथा अन्य विवरण की घोषणा से जुड़े कोई हैंडबिल, विज्ञापन अथवा पोस्टर शामिल न हों ।

4. कोई व्यक्ति जो उप–धारा (1) अथवा उप धारा (2) के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे दो हजार रूपये तक बढाया जा सकता है अथवा दोनो ।

2. निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर उक्त प्रतिबंध, इन दस्तावेजों के प्रकाशकों एवं मुद्रकों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किए गए हैं ताकि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले या सामग्री शामिल हों, जो अवैध या आपत्तिजनक हों तो संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्रवाई की जा सकती है । ये प्रतिबंध राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर हुए अनधिकृत निर्वाचन व्ययों पर रोक लगाने के उदेश्यों में सहायक होते हैं ।

3. आयोग ने यह सूचित किया है कि निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन से जुड़े कानून के उक्त उपबंधों का अनुपालन करने की बजाय उनको भंग करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । निर्वाचन के समय बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेजों को मुद्रित, प्रकाशित, परिचालित कर निजी तथा सरकारी भवनों की दीवारों पर चिपकाया जाता है, जिनके संबंध में ऊपर वर्णित विधि की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया

है । मुद्रणालय प्रकाशक द्वारा 127क (2) के अधीन अपेक्षित घोषणा सहित मुद्रित दस्तावेजों को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों या जैसी स्थिति हो संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को बिरले ही भेजते हैं । कई बार धारा 127क (1) का उल्लंघन करते हुए निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक तथा/अथवा उसके प्रकाशक का नाम एवं पता नहीं लिखा होता है ।

4. आगे, आयोग से यह शिकायत की जाती है कि उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध समय से कोई कार्यवाही नहीं की जाती, परिणामस्वरूप आपत्तिजनक सामग्री निर्बाध रूप से प्रकाशित तथा परिचालित होती रहती है । इस संबंध में रहीम खान बनाम खुर्शीद अहमद तथा अन्यों (ए आइ आर 1975 एस सी 290) में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टीका–टिप्पणियों की और ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

यहॉ तक कि इस स्थिति में भी हम यह पाते हैं कि प्रश्नगत हैंडबिल में मुद्रक और प्रकाशक का नाम नहीं हैं, यद्यपि निर्वाचन विधि द्वारा यह अपेक्षित है । दुर्भाग्यवश जब इस प्रकार मुद्रित सामग्री परिचालित की जाती है तो विधि की ऐसी कोई एजेन्सी नहीं है जो विधिवत जॉच के पश्चात् त्वरित कार्रवाई करे जिसके परिणामस्वरूप कोई भी मुद्रक या अभ्यर्थी या प्रचारक विधि की चिन्ता नहीं करता और वह बिना स्त्रोत की जानकारी दिए सफलतापूर्वक अफवाह फैलाता है क्योंकि वह जानता है कि निर्वाचन के पश्चात् कुछ भी नहीं होगा । विधि के नियमों को सही समय पर प्रवर्तित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विधान बनाना ।

5. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त विषय पर विधि के ऊपर लिखित उपबंधों की अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में अन्य सभी शक्तियों को समर्थ करते हुए तथा उक्त विषय पर इसके सभी पूर्व अनुदेशों का अतिक्रमण करते हुए आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप से निदेशित करता है :–

(1) जैसे ही निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय, विधान सभा अथवा परिषद् निर्वाचन क्षेत्र से किसी निर्वाचन की घोषणा की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट ऐसे निर्वाचन की घोषणा के तीन दिनों के अन्दर उक्त घोषणा के संबंध में अपने जिले के सभी मुद्रणालयों को सूचित करेंगे (लिखेंगे) ।

(क) उपर्युक्त धारा 127 (क) की अपेक्षाओं की तरफ उनका ध्यान दिलाते हुए विशेष रूप से अनुदेश दिए जाते हैं कि किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा ।

(ख) प्रिंटिग प्रेसों से धारा 127 क (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजने को कहा जाएगा ।

(ग) स्पष्ट शब्दों में उन्हें यह बता दिया जाए कि धारा 127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों में प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकती है ।

(2) राज्य राजधानियों में स्थित प्रिंटिंग प्रेसों के संबंध में मुख्य निर्वाचक अधिकारी भी वही कार्रवाई करेंगे ।

(3) किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित इसके साथ संलग्न अनुबंध 'क' में धारा 127 क (2) के अनुसरण में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा । यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी । मुख्य निर्वाचक अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, को अग्रेषित करते समय यह प्रिंटर द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए ।

(4) उपर्युक्त निदेशानुसार, मुद्रक, मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अंदर इसकी चार प्रतियां तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत करेगा । इस प्रकार की मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ प्रिंटर कागजातों की प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा, जो कि इसके साथ अनुबंध 'ख' के रूप में संलग्न है, में इस संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा । प्रत्येक निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के संबध में, जो कि ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की प्रिंटिंग के तीन दिनों के अंदर मुद्रित किये जाते हैं, प्रिंटर द्वारा इस प्रकार की सूचना अलग–अलग न देकर सामूहिक रूप से दी जाएगी ।

(5) जैसे ही जिला मजिस्ट्रेट प्रिंटिंग प्रेस से कोई निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि प्राप्त करते हैं वे इस बात की जांच करेंगे कि क्या प्रकाशक या प्रिंटर ने कानून की अपेक्षाओं तथा आयोग के उपर्युक्त अनुदेशों का

पालन किया है । वे इसकी एक प्रति अपने कार्यालय के किसी मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेंगे ताकि सभी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी तथा अन्य इच्छुक व्यक्ति ये जांच लें कि क्या ऐसे दस्तावेजों के संबंध में कानून की अपेक्षाओं का विधिवत रूप से पालन हुआ है या अन्य निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के उन मामलों, जिनमें कानून की उपरोक्त अपेक्षाओं का उल्लंघन हुआ है, को संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए ।

(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त पैम्फलेटों तथा पोस्टरों इत्यादि के संबंध में उपरोक्त उप–पैरा (5) में उल्लिखित के अनुसार वही अनुवर्ती कार्रवाई करेगा ।

(7) यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्वाचन पैम्फलेटस, पोस्टर इत्यादि के संबध में ऊपर लिखित धारा 127 'क' के कथित प्रावधानों और/या आयोग के अनुदेशों का उल्लंघन हो या ऐसा उनके ध्यान में लाया जाए तो वे इसकी जांच के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर देंगे । ऐसे सभी मामलों में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शीघ्रातिशीघ्र अभियोजन आरंभ कर देना चाहिए तथा इन मामलों में संबंधित अदालतों में गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए ।

4. आयोग एतद्द्वारा सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा अन्य संबधितों को चेतावनी देते है कि उपर्युक्त विषय पर आयोग के निदेशों तथा कानून के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

5. यदि कानून के उपर्युक्त प्रावधानों तथा आयोग के निदेशों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार अधिकारी इस संबंध में अपने कार्यो के निष्पादन में असफल रहता है तो उसके विरूद्ध पदीय कर्तव्य भंग करने के लिए शास्तिक कार्रवाई के साथ–साथ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी ।

भारत निर्वाचन आयोग के
आदेश से तथा उसके नाम से
(एस0 के0 मेंदीरत्ता)
सचिव

सेवा में,
1. सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
2. सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

परिशिष्ट–क

निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि के प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा का प्रोफार्मा

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127–क देखें)

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी..(नाम) निवासी..........................(गांव/टाउन)........................(जिला)..(राज्य), एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं ....(निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि का विस्तृत ब्यौरा दें) का प्रकाशक हूँ

.... द्वारा प्रिंट किए गए हैं ।

(मुद्रण प्रेस का नाम) (प्रकाशक के हस्ताक्षर)

स्थान..........................

दिनांक ....

पूरा पता......................

द्वारा अनुप्रमाणित किए गए (प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले)

हस्ताक्षर (नाम तथा पता)

हस्ताक्षर (प्रतिहस्ताक्षर करने वाले का नाम तथा पता)

हस्ताक्षर (मुद्रक का नाम तथा पता)

परिशिष्ट–ख

निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेटों इत्यादि के मुद्रण के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

1. मुद्रक का नाम तथा पता :..

2. प्रकाशक का नाम तथा पता :.......................................

3. प्रकाशक के मुद्रण आदेश की तारीख :...........................

4. प्रकाशक की घोषणा की तारीख :.......................................

5. निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेटों इत्यादि का संक्षिप्त विवरण :.........................

6. उपर्युक्त मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या :.....................................

7. मुद्रण की तारीख ....

8. उपर्युक्त दस्तावेजों के संबंध में प्रकाशक से लिए जा रहे

   मुद्रण प्रभार (कागज की लागत सहित)...

स्थान........................

तारीख.....................

(मुद्रक के हस्ताक्षर)
तथा मुद्रक की सील

परिशिष्ट – 19

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखों में राजनीतिक दलों द्वारा किए गए व्यय के दावों का विवरण

प्रत्येक (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनीतिक दल) मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी से आयोग को अलग से प्रस्तुत किया जाए ।

जिले का नाम

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम

राजनीतिक पार्टी का नाम

क्र0सं0	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तथा नाम	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों में राजनीतिक दल द्वारा किए गए व्यय के दावे
	जिला/राज्य का कुल योग		

जिला निर्वाचन अधिकारी/
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

संलग्नक–20

निर्वाचन आयोग का दिनांक 10.4.1995 का आदेश सं0 76/95/न्या0अनु0–।।

आदेश

विषयः– वह भाषा जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जा सकता है ।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का लेखा जिस भाषा में दाखिल कर सकता है, इस प्रश्न का आयोग द्वारा परीक्षण किया गया ।

2. निर्वाचन विधि के अधीन सभी सांविधिक दस्तावेजों एवं फॉर्मों को स्थानीय स्वीकृत भाषाओं में प्रिन्ट करके उपलब्ध कराया जाता है । अभ्यर्थी एवं अन्य व्यक्तियों की विविध याचिकाओं एवं प्रत्यावेदनों को स्थानीय भाषाओं में दाखिल करने की अनुमति दी गई है । इन दस्तावेजों को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया गया है कि वे हिन्दी या अंग्रेजी में नहीं हैं ।

3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जो अभ्यर्थी इन भाषाओं में दक्ष नहीं है वे वंचित महसूस करेंगे तथा अभ्यर्थी द्वारा दाखिल निर्वाचन व्ययों का लेखा इस आधार पर अस्वीकृत करना कि यह अंग्रेजी या हिन्दी में नहीं है, न्यायोचित नहीं होगा । यदि निर्वाचन व्ययों के लेखे में कोई गलतियां पाई जाती हैं तो उस पर हिंदी या अंग्रेजी के ज्ञान की कमी का आरोप लगाया जा सकता है ।

4. सभी सांविधिक दस्तावेज और फॉर्म स्थानीय स्वीकृत भाषाओं में तैयार किए जाएंगे इस आदेशात्मक उपबन्ध के अलावा आयोग अपने प्रमुख आदेशों एवं अनुदेशों में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश देता है कि यदि वे आदेश और अनुदेश राज्य की राजनीतिक पार्टियों, अभ्यर्थियों और जनता के मध्य व्यापक प्रचार और परिचालन के लिए हैं तो उनका स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करवा लिया जाए ।

5. इस प्रकार विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की निष्पक्षता के लिए उन्हें निर्वाचन व्ययों का लेखा हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा जिसमें निर्वाचक नामावली मुद्रित है, दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी । यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला

निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचक नामावली के लिए अनुमोदित स्थानीय भाषाओं, निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने से सम्बन्धित फॉर्म/रजिस्टर/नियमों का उद्धरण इत्यादि स्वीकृत क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध हो जाएं जिससे कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी यह शिकायत न कर पाए कि उन्हें निर्वाचन व्ययों की विवरणी दाखिल करने से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं की जानकारी नहीं है और वह तद्नुसार समुचित रूप से अपने लेखे का रख रखाव कर सकता है ।

संलग्नक 21

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या : ——————————————————

जिले का नाम :

लोक सभा या राज्य विधान सभा को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत निर्वाचन व्यय दाखिल करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अभ्यर्थीवार संवीक्षा रिपोर्ट			
(अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लेखे तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर में कोई विसंगति होने पर सभी रजिस्टरों तथा एकत्रित साक्ष्यों की सभी प्रतियां इस रिपोर्ट के साथ भेज देनी चाहिए ।			
क्र0सं0	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए	
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता		
2.	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है		
3.	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं0 तथा नाम		
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम		
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख		
6.	लेखे दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख		
7.	अभ्यर्थी द्वारा लेखे दाखिल करने की तारीख		
8. (क)	क्या अभ्यर्थी द्वारा दाखिल लेखे निर्धारित फार्मेट में हैं (हां या नहीं)		
(ख)	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा फार्मेट में पाई गई विसंगतियां	पंक्ति के सामने चिन्हित करें	विसंगतियों के ब्यौरों पर संक्षिप्त नोट
(i)	सार विवरण (भाग । से भाग vi) विधिवत रूप से नहीं भरा गया/हस्ताक्षर किया गया		
(ii)	अभ्यर्थी के शपथपत्र में विधिवत रूप से शपथ दाखिल		

	नहीं की गई					
(iii)	अभ्यर्थी के बैंक रजिस्टर तथा रोकड़ रजिस्टर सहित दैनिक लेखे के रजिस्टर पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए ।					
(iv)	निर्वाचन व्यय की मदों के संबंध में वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए/अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे ।					
(v)	निर्वाचन व्यय के लिए बैंक लेखों के विवरण की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई					
(vi)	उपरोक्त बैंक खाते में निर्वाचन व्यय के लिए सभी रसीदें जमा नहीं कराई गईं तथा छुटकर व्ययों के अतिरिक्त सभी भुगतान चेक द्वारा नहीं किए गए ।					
9.	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल सार विवरण के भाग–III में यथा उल्लिखित अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का कुल योग					
10 (क)	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित व्यय की मदें छाया प्रेक्षण रजिस्टर तथा साक्ष्यों के फोल्डर में दिखाए व्ययों से मेल खाती हैं (हां या नहीं)					
(ख)	यदि नहीं, तो ऐसे ब्यौरे भरें जहां अभ्यर्थी द्वारा व्यय कम बताया/उल्लेख नहीं किया गया ।					
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	साक्ष्य के छाया प्रेक्षण रजिस्टर के अनुसार राशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लेखे के अनुसार	अभ्यर्थी द्वारा कम बताई गई राशि

	योग					
11. (क)	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रचार अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण के लिए निर्वाचन व्यय का रजिस्टर प्रस्तुत किया है (हां या नहीं)					
(ख)	क्या प्रेक्षक द्वारा रजिस्टर के निरीक्षण के समय अभ्यर्थी को विसंगति इंगित की गई थी ? यदि हां तो विसंगति का उल्लेख करें ।					
(ग)	क्या अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा व्यय में विसंगति के संबंध में नोटिस जारी किया गया था ? कृपया विसंगति की तारीख और प्रकृति का उल्लेख करें ।					
(घ)	क्या अभ्यर्थी ने नोटिस का कोई जवाब दिया (कृपया नोटिस तथा प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न करें)					
12.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात से सहमत है कि अभ्यर्थी द्वारा व्यय सही रूप से बताया गया है (हां या नहीं)					
13.	सार विवरण के भाग–।।। में उल्लिखित राजनैतिक पार्टी द्वारा अभ्यर्थी को नकद या चेक में दी गयी एकमुश्त राशि तथा पार्टी के नाम का भी उल्लेख करें ।					
14.	अभ्यर्थी को किसी अन्य व्यक्ति/हस्ती द्वारा दी गई एकमुश्त राशि/पार्टी के नाम का भी उल्लेख करें ।					
15.	क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट या उसके पार्टी कार्यकर्ता या अभ्यर्थी से संबंधित अन्य किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में धन, अन्न या अन्य मदों के वितरण का मामला सामने आया है । कृपया तारीख तथा व्यक्ति के नाम का उल्लेख करें ।					
	मोहर : तारीख :			हस्ताक्षर (जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम)		

मद संख्या 10 (ख) के लिए नोट :

1. कृपया उन महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करें जहां छाया प्रेक्षण रजिस्टर की तुलना में निर्वाचन व्यय कम बताया गया है ।
2. यदि व्यवहार्य हो तो कृपया व्यय के मदवार ब्यौरे के लिए अलग संलग्नक लगाएं ।

व्यय प्रेक्षक द्वारा टिप्पणी, यदि कोई है,

तारीख :	व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा टिप्पणी सहित (यदि कोई है) भारत निर्वाचन आयोग को अग्रेषित	
तारीख :	मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

*यदि व्यय प्रेक्षक के पास ऐसे कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया तो वह इस संबंध में अलग नोट संलग्न करें ।

अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट

(क) विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम :

(ख) निर्वाचन लड़ने वालों की कुल संख्या :

(ग) राज्य और जिला :

(घ) निर्वाचन/उप निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख

(ड) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख :

(च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम :

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11.
क0 सं0	अभ्यर्थी और सम्बद्ध पार्टी का नाम	लेखा दाखिल करने की निर्धारित तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित प्रपत्र में दाखिल किया गया है (हां या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल किया गया है (हां या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेन्ट द्वारा प्राधिकृत/उपगत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग–।।। में उल्लिखित है)	क्या अभ्यर्थी द्वारा व्यय की सभी मदों के सम्मुख दिखाई गई राशि से जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत है ?	पार्टी द्वारा उपगत कुल व्यय (जैसा कि सार–विवरण के भाग–।।। में उल्लिखित है)		अभ्यर्थी/हस्तियों द्वारा किये गए व्यय का योग (जैसा कि सार–विवरण के भाग–।।। में रिपोर्ट किया गया है		व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी
								प्रत्येक पार्टी द्वारा अभ्यर्थी को दिया गया नकद या चैक की एकमुश्त	राजनीतिक पार्टी द्वारा इसी प्रकार के अन्य व्ययों का योग	अभ्यर्थी को दी गई नगद /चैक की एकमुश्त राशि और नाम का उल्लेख	अभ्यर्थी के लिए उपगत इस प्रकार के अन्य व्ययों का कुल योग	

								राशि		करें ।		

व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई हो :– जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

———

—————————————————————————

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

दिनॉक :

संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

संलग्नक–22

<table>
<tr><td colspan="5">राज्य/जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा वैकल्पिक दिवस पर आई एम एफ एल/बीयर/देसी शराब की रिपोर्ट
(आई एम एफ एल, बीयर और देसी शराब पर पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए)</td></tr>
<tr><td colspan="3">जिले का नाम/राज्य का नाम</td><td colspan="2">रिपोर्ट की तारीख</td></tr>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>विवरण</td><td>दिन के दौरान (इस वर्ष)</td><td>दिन के दौरान (पिछले वर्ष)</td><td>यदि अधिक हो, तो उस पर टिप्पणी</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>अधिक परिमाण में निर्माताओं के पास प्रारंभिक स्टॉक</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बहुत अधिक लीटर में उत्पादन/बौटलिंग</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>लीटर के परिमाण में निर्माताओं के गोदाम से भेजा गया कुल स्टॉक</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>लीटर के परिमाण में निर्माताओं के पास अंतिम स्टॉक 1+ 2 = 3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>निर्माताओं के गोदाम से स्टॉकिस्ट को बहुत अधिक लीटर में भेजा गया</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>अधिक मात्रा में रिटेलर के पास प्रारम्भिक स्टॉक</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>अधिक मात्रा में रिटेलर द्वारा खरीद</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>अधिक मात्रा में रिटेलर द्वारा बेचा जाना</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>अधिक मात्रा में रिटेलर के पास अंतिम स्टॉक</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>अधिक मात्रा में अन्यों द्वारा बेचा जाना</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

11.	चैक पोस्टों की संख्या			
12.	चैक पोस्टों द्वारा अधिक मात्रा में जब्त की गई अवैध शराब की मात्रा			
13.	मारे गए छापों की संख्या			
14.	छापों के दौरान अधिक परिमाण में जब्त की गई अवैध शराब की मात्रा			
15.	निषेध मामलों की संख्या			
16.	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या			
17.	लगाए गए जुर्माने की राशि			

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

नोट :–

1. आई एम एफ एल, बीयर या देशी शराब के लिए उपरोक्त प्रोफार्मा में अलग रिपोर्ट उत्पाद विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को भेजी जानी है, एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जानी है ।

2. उत्पाद विभाग का राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी उसी प्रोफार्मा में जिला स्तरीय रिपोर्टो का अनुवीक्षण करेगा और संकलित करेगा तथा उसी प्रोफार्मा में राज्य की संयुक्त रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । एक प्रति भारत निर्वाचन आयोग को भी देगा ।

संलग्नक–23

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मासिक रिपोर्ट (भाग–क)

राज्य का नाम –

जिले का नाम –

क्रम सं0	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	अभ्यर्थियों की कुल संख्या	लेखा दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	लेखा दाखिल नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	विनिर्दिष्ट रीति से लेखा दाखिल नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लेखों की संवीक्षा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्ण कर ली गई है	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लिए अभ्यर्थी रजिस्टर और छाया प्रेक्षण रजिस्टर में विसंगति पायी गई है	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है	उन अभ्यथियों की संख्या जिन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लेखे आयोग द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं ।	निरर्हित अभ्यर्थियों की संख्या

जिला निर्वाचन अधिकारी का हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मासिक रिपोर्ट (भाग–ख)

राज्य का नाम –

जिले का नाम –

क्र0 सं0	निर्वाचन क्षेत्र की सं0 और नाम	अभ्यर्थी का नाम	राजनीतिक /निर्दलीय दल का नाम	लेखा विवरण की स्थिति

नोटः स्थिति के स्तंभ में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा प्रस्तुत किया है, यदि प्रस्तुत किया है तो क्या प्रस्तुत करने की तारीख को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संवीक्षा पूर्ण कर ली गई थी । क्या अभ्यर्थी के लेखा और छाया प्रेक्षण रजिस्टर के मध्य कोई विसंगति पायी गई, क्या जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी, क्या आयोग द्वारा लेखा स्वीकृत किया गया था, क्या नोटिस दिया गया था, यदि आयोग द्वारा लेखा स्वीकृत नहीं किया गया, तो क्या मामला लंबित है या अभ्यर्थी को निरर्हित कर दिया गया था, यदि निरर्हित कर दिया गया था तो निरर्हता आदेश की तारीख ।

जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

संलग्नक 24

अन्वेषण निदेशालय द्वारा गतिविधि रिपोर्ट का फार्मेट
(एकांतर दिवस पर प्रस्तुत किया जाए)

दिनांक ....

संदर्भ संख्या :..

रिपोर्ट की तारीख : ....

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : ....

जिला : ....

राज्य ....

क. सं.	उस एजेंसी का नाम जिससे सूचना/शिकायत प्राप्त हुई है	जिन व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जानी है उनका नाम तथा पता	पैन सं0	निर्वाचन क्षेत्र तथा जिले का नाम	पाई गई नकद राशि	क्या स्पष्टीकरण दिया है	चालान द्वारा जमा कराया गया टैक्स	जब्त की गई नकदी	जब्त की गई अन्य मदें	अभ्युक्तियां (कृपया अभ्यर्थी के नाम/उसके संबंध, निर्वाचन क्षेत्र और राजनैतिक पार्टी यदि कोई है, का उल्लेख करें)।
1.										
2										
3										
योग										
निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से रिपोर्टिंग दिवस की समाप्ति तक के प्रगामी आंकड़े										
जमा कराए गए कर का प्रगामी योग										
नकदी का प्रगामी योग										
अन्य मदों की जब्ती का प्रगामी योग										

हस्ताक्षर

नोडल अधिकारी

डी जी आई टी (अन्वे) का कार्यालय/उप निदेशक

जिला प्रभारी

नोट :

1. जिले के प्रभारी अधिकारी आयकर महानिदेशक (अन्वे) को इस फार्मेट में प्रत्येक जिले की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी तथा व्यय प्रेक्षक को दी जाएगी ।

2. राज्य आयकर विभाग के नोडल अधिकारी पूरे राज्य के लिए आंकड़े एकत्रित करेंगे तथा आयोग को रिपोर्ट भेजेंगे और इसकी एक प्रति राज्य के जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे ।

<u>संलग्नक–25</u>

भारत सरकार के मंत्रिमण्डल सचिव, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन आयोग का दिनांक 24 अक्टूबर, 2004 का पत्र सं0 437/6/1/2008–सी सी तथा बी ई.

विषयः मुख्य प्रचारकों द्वारा यात्रा पर निर्वाचन व्यय, निर्वाचन अभियान के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग इत्यादि

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 की उप–धारा (I) के अनुसार यह उपबंधित है कि निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेन्ट के द्वारा उस तिथि जिस दिन उसे नामांकित किया गया है तथा उसके परिणाम की घोषणा की तिथि के मध्य दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए उसके अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन से संबंधित सभी व्यय का पृथक एवं सही लेखा रखेंगे । उपधारा (2) के अधीन यह उपबंधित है कि लेखा में वैसे विवरण शामिल होगें जैसा कि उप–धारा (3) के अधीन निर्धारित है कि कुल उक्त व्यय निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए ।

2. धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण (1) में यह उपबंधित है कि राजनीतिक दलों के कार्यक्रम के प्रचार के लिए नेताओं (सामान्यता हमारे द्वारा स्टार प्रचारक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है)के द्वारा हवाई अथवा परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा यात्रा पर होने वाले व्यय को निर्वाचन के लिए उस राजनीतिक दल के अभ्यर्थी द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा ।

3. धारा 77 (1) के उपबंधों तथा उसके अधीन स्पष्टीकरण (1) को इस प्रकार सामंजस्यपूर्ण पढ़ा जाए कि वे धारा 77 (1) के उपबंधों के मुख्य उद्देश्य को निष्प्रभाव न करें । धारा 77 (1) स्पष्ट रूप से यह अनुबंधित करता है कि अभ्यर्थी को उसके अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत सभी निर्वाचन व्ययो का लेखा देना होगा । स्पष्टीकरण (1) ऐसे व्यय लेखे से छूट प्राप्ति की प्रकृति है जो राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों के निर्वाचन में व्यय होता है ताकि उसके राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा उसके निर्वाचन–क्षेत्र में निर्वाचन प्रचार किया जा सके तथा उनके द्वारा हवाई अथवा परिवहन के अन्य किसी साधनों पर उपगत किसी व्यय को अभ्यर्थी के कुल व्यय का हिस्सा नहीं माना जाएगा । अतः यह कि वैसे अभ्यर्थी

जिन्हें धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से राजनीतिक दल के द्वारा नेता घोषित किया गया है, उन्हें धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण (1) के अर्थ के अन्तर्गत उसके अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने राजनीतिक दल का नेता नहीं समझा जा सकता है, चाहे अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में उसकी पार्टी के अन्य अभ्यर्थियों के साथ स्थिति कैसी भी हो । अपने निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों में प्रथमतः वह एक अभ्यर्थी है । अतः वह अपने निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों में अपनी यात्रा चाहे हेलीकॉप्टर/हवाई जहाज अथवा परिवहन के किसी अन्य साधनों पर व्यय उपगत करता हो, उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित अधिकतम व्यय की कुल सीमा के लिए लेखा देना होगा । जब वह स्टार प्रचारक के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में जाता है, तो उसके निर्वाचन क्षेत्र से अन्य निर्वाचन क्षेत्र में की गई यात्रा पर व्यय छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आएगी तथा इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र से अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने अभियान के लिए की गई यात्रा व्यय पर छूट प्राप्त होगी । परन्तु एक बार वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहॅुच जाता है तथा उक्त निर्वाचन क्षेत्र के भीतर ही यात्रा करता है तो उसे उसके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर ऐसी यात्रा पर व्यय का लेखा देना होगा । ऊपर लिखित उपबंधों की कोई अन्य व्याख्या करना धारा 77 (1) में निर्धारित उदे्श्य को विफल करना होगाा । उप निर्वाचनों के मामले में यह अधिक स्पष्ट होगा जहॉ राजनीतिक दल अपने अभ्यर्थी का नाम स्टार प्रचारक के रूप में शामिल करते हैं तथा उसे संचार के किसी अन्य साधनों को अपनाते हुए तथा इसके लिए बिना लेखे के अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर यात्रा करने का लाइसेंस प्राप्त होगा ।

प्रतिलिपिः—मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनीतिक दल ।

संलग्नक–26

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 21 नवम्बर, 2008 का पत्र संख्या 509/75/2004/जे0एस0–I/वॉल्यूम–II/आर.सी.सी

विषयः रेडियो पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन के संबंध में

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के पत्र सं0 1/04/2004–बी.सी/iv/द्वारा यह सूचित किया है कि रेडियो पर भी स्पॉट एवं जिंगल के रूप में राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों/व्यक्तियों द्वारा विज्ञापन देने के लिए व्यवसायिक विज्ञापन की संहिता में संशोधन किया गया है । इसके परिणामस्वरूप आयोग ने इस प्रभाव से आदेश जारी किया है कि दूरदर्शन चैनलों/केबल नेटवर्को पर राजनीतिक विज्ञापन की जॉच के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में गठित समितियां, ऐसे निर्वाचनों से संबंधित आदर्श आचार संहिता के लागू रहने की अवधि के दौरान लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों से जुड़े राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों/अन्य व्यक्तियों के विज्ञापनों की पूर्व प्रसारण संवीक्षा के लिए आवेदनों का निपटान भी करेगी ।

आदेश की प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राज्य इकाइयों सहित प्रत्येक राजनीतिक दल को भेजी जानी चाहिए जिनका मुख्यालय आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में हो । अन्य संबद्ध प्राधिकारियों तथा साधारण जनता को सूचना के लिए इसका व्यापक प्रचार किया जाए ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

ऊपरनिर्दिष्ट आदेश की प्रति सहित प्रति सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनीतिक दलों को सूचनार्थ ।

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 21 नवम्बर, 2008 का पत्र सं0 509/75/2004/जे0एस0–I/वाल्यूम–II/आर.सी.सी

<u>आदेश</u>

विषयः टी.वी. चैनलों एवं केबल टी.वी. नेटवर्कों पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन रेडियो तक विस्तार, के संबंध में आयोग का दिनांक 15 अप्रैल, 2004 का आदेश

1. एस.एल.पी (सिविल) सं0 6679/2004 (सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय बनाम मे0 जेमिनी टी.वी एंव अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.04.2004 के आदेश के अनुसरण में, आयोग ने दिनांक 15 अप्रैल, 2004 को अपने आदेश सं0 509/75/2004/जे0एस0–I द्वारा टी.वी. चैनलों तथा केबल टी.वी. नेटवर्कों पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों से संबंधित निदेश जारी किया था ।

2. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के अपने पत्र संख्या 1/04/2004–बी.सी.–iv द्वारा यह सूचित किया है कि आकाशवाणी पर व्यवसायिक विज्ञापन के लिए कोड का खण्ड–II (4)में निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ते हुए संशोधन किया गया है –

परंन्तु राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों/किसी अन्य व्यक्ति से निर्धारित शुल्क की अदायगी पर स्पॉट एवं जिंगल के रूप में विज्ञापनों को केवल लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचनों/राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन/स्थानीय निकायों के लिए साधारण निर्वाचन के संबंध में उस अवधि में स्वीकार किया जाएगा जब आदर्श आचार संहिता लागू हो । लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के संबंध में ऐसे विज्ञापन प्रसारण से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग/निर्वाचन आयोग के अधीन प्राधिकरणों तथा स्थानीय निकायों के मामले में राज्य निर्वाचन आयोगों की संवीक्षा के अध्यधीन होंगे ।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह निदेश दिया है कि टी.वी. चैनलों तथा केबल टी.वी. नेटवर्को पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन से संबंधित दिनांक 15 अप्रैल 2004 का उनका आदेश किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लोकसभा अथवा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन से जुड़ी उस अवधि के दौरान जब आदर्श आचार संहिता लागू हो, तब निजी एफ.एम. चैनलों सहित रेडियों के विज्ञापनों पर

भी लागू होगा । तद्नुसार रेडियो पर राजनीतिक प्रकृति के किसी विज्ञापन के प्रसारण के लिए, प्रसारण के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन, प्रसारण से पूर्व संवीक्षा एवं विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति देने के लिए संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में गठित किसी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा । आवेदन उसी फार्मेट में प्रस्तुत किया जाएगा जो टेप/सी.डी. एवं प्रस्तावित विज्ञापन की सत्यापित प्रतिलेख सहित टी.वी. चैनल/केबल नेटवक पर विज्ञापन के लिए दिनांक 15.4.2004 के आदेश में निर्धारित हैं । विज्ञापन के प्रमाणीकरण का फार्मेट भी वही होगा जो दिनांक 15.4.2004 के आदेश में निर्धारित हैं, इन आरूपों में दूरदर्शन प्रसारण को रेडियो पर विज्ञापनो के प्रयोजन के लिए प्रसारण के रूप में पढ़ा जाएगा ।

2. इसे स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य सभी निदेश तथा शर्ते एंव विषय पर उत्तरवर्ती अनुदेश रेडियो पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रसारण पर लागू होंगे ।

संलग्नक–27

विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन

I

(i) आवेदक का नाम और पूरा पता

(ii) क्या यह विज्ञापन किसी राजनीतिक दल से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/संघ/संगठन/न्यास द्वारा दिया गया है (नाम लिखें)

(iii) (क) यदि राजनीतिक दल है, तो उसकी स्थिति (क्या यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य/गैर मान्यता प्राप्त दल है)।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी है, तो उस संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जहाँ से निर्वाचन लड़ा है।

(iv) राजनीतिक दल समूह या व्यक्तियों के निकाय, संघ/संगठन/न्यास के मुख्यालयों का पता।

(v) चैनलों/केबल नेटवर्कों के नाम, जिन पर इस विज्ञापन का प्रसारण प्रस्तावित है।

(vi) (क) क्या यह विज्ञापन किसी अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के संभावित निर्वाचन लाभ के लिए है।

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम, पूरा पता तथा निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) के नाम (नामों) के साथ प्रदान करें।

(vii) इस विज्ञापन के प्रस्तुतीकरण की तिथि।

(viii) इस विज्ञापन की भाषा (भाषाएं) (विधिवत् अनुप्रमाणित लिप्यंतरण के साथ विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक रूप में दो प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा)।

(i) विज्ञापन का शीर्षक

(ii) विज्ञापन निर्माण की लागत

(iii) प्रसारित किए जाने की बारंबारता का विवरण व प्रत्येक बार दिखाए जाने की प्रस्तावित दर के साथ प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत

(iv) संपूर्ण व्यय (रूपए में)

II

मैं श्री/श्रीमती .... सुपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....(पूरा पता) .... वचन देता/देती हूँ कि इस विज्ञापन के निर्माण तथा प्रसारण से संबंधित सारे भुगतान चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे।

स्थान :

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

III

(किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को छोड़कर किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन के लिए लागू)

मैं श्री/श्रीमती .... सुपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....(पूरा पता) .... एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि इसके साथ प्रस्तुत विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है तथा यह विज्ञापन किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा प्रायोजित, कमीशन प्राप्त या प्रदत्त नहीं है।

स्थान :

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक–28

दूरदर्शन प्रसारण के लिए विज्ञापन का प्रमाणीकरण

(I)

(i) आवेदक / राजनीतिक दल / अभ्यर्थी / व्यक्ति / व्यक्तियों का समूह / संस्था / संघ / ट्रस्ट का नाम और पता :

(ii) विज्ञापन का शीर्षक:

(iii) विज्ञापन की अवधि :

(iv) विज्ञापन में प्रयोग की गई भाषा / भाषाएं :

(v) विज्ञापन के प्रस्तुतीकरण की तिथि :

(vi) दूरदर्शन प्रसारण के लिए प्रमाणीकरण की तिथि :

(II)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विज्ञापन माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा – निर्देशों के अनुसार दूरदर्शन प्रसारण के लिए उपयुक्त है ।

स्थान :

दिनांक:

अध्यक्ष / समिति के सदस्य / पदाभिहित

अधिकारी के हस्ताक्षर

संलग्नक–29 क

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली–110001

सं0 491/मीडिया/2010 दिनांकः 08 जून, 2010

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ–राज्य क्षेत्रों के

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः निर्वाचन के दौरान खरीदी गई खबरों पर रोक लगाने के उपाय अर्थात मीडिया में खबरों के रूप में विज्ञापन ।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय तथा हाल ही में खरीदी गई खबरों की घटनाओं, जिन्होंने गंभीर निर्वाचन अनाचार के रूप में चौंकाने वाले परिणाम ग्रहण कर लिए हैं तथा जो स्वतंत्र एंव निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के संदर्भ में आयोग के लिए चिंता का विषय बन गया है, पर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है । विभिन्न राजनीतिक दलों तथा मीडिया समूहों ने भी आयोग को इसी प्रकार की चिंता व्यक्त की है । आयोग के साथ विभिन्न दावा धारकों के भिन्न–भिन्न स्तरों पर हुई वार्तालाप में इस प्रकार के अनाचार, जो कि मतदाताओं की स्वतंत्र इच्छाओं को अनुचित रूप में प्रभावित करने, धन के दुरूपयोग को बढ़ावा देने तथा निर्वाचनों के संतुलन को भंग करने के संबंध में है, उन पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सर्वसम्मति दी है । खरीदी गई खबरों की इस प्रक्रिया को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 तथा 123 (6) के प्रावधानों को, जो कि निर्वाचन व्ययों के लेखों की सीमा निर्धारित करते हैं और इस निर्धारित सीमा से अधिक व्यय को निर्वाचनों में भ्रष्ट आचरण बनाते हैं, मात देने का प्रयत्न करते हुए देखा जा सकता है ।

आयोग ने विद्यमान प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अधिकतम निगरानी रखने के निदेश दिए हैं ताकि निर्वाचनों के संबंध में प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में खरीदी गई खबरों या सेरोगेट विज्ञापन की घटनाओं को रोका जा सके । खरीदी गई खबरों की घटना सामान्यतः किसी पार्टी या अभ्यर्थी विशेष की प्रशस्ति करते हुए अन्यथा विपक्षी दलों की निंदा करते हुए, न्यूज आर्टिकल अथवा रिपोर्ट के रूप में व्यक्त की जाती है किंतु दोनों ही प्रकार से यह मतदाताओं को प्रभावित करने के अभिप्राय से किया जाता है । एक से अधिक अखबारों/पत्रिकाओं में इसी प्रकार के न्यूज आर्टिकल/रिपोर्टिंग सामने आने पर परिस्थितिक साक्ष्य के रूप में इसे और अधिक समर्थन मिलेगा चूंकि इस प्रकार के समाचार प्रकाशन अभ्यर्थी/पार्टी के समाचार–पत्र के संपादक, प्रकाशक, वित्तपोषक इत्यादि के अधीन सांठ–गांठ के लिए हुई सौदेबाजी के नकद या अन्य किसी तरह के भुगतान के कोई सबूत नहीं होते ।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 (क) के अधीन कानूनी प्रावधान किसी भी निर्वाचन विज्ञापन, पैम्फलेट इत्यादि के प्रकाशक के लिए प्रकाशक या मुद्रक का नाम व पता छापना आवश्यक होता है तथा ऐसा न करने पर 2000/–रू0 तक का जुर्माना और दो वर्ष की सजा हो सकती है । भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना, विज्ञापनों पर किया जाने वाला व्यय निषेध है । इस संबंध में (आयोग के विस्तृत अनुदेश) दिनांक 16 अक्तूबर 2007 के (आयोग के विस्तृत अनुदेश) संख्या 3/9/2007/जे0एस0–।। देखे जाएं (प्रति संलग्न) । कथित अनुदेश अखबारों इत्यादि में सन्निविष्ट विज्ञापन के रूप में घोषित या विशिष्ट विज्ञापन कवर करते हैं तथा इस प्रकार के प्रकाशनों के लिए अदा की गई राशि का उल्लेख भी करते हैं परंतु खरीदी गई खबरों/सरोगेट खबरों के संबंध में इसका छदावरण खबर के रूप में किया जाता हैं चाहे यह विज्ञापन का प्रयोजन पूरा कर रहा हो तथा इस प्रकार के भुगतानों का मुश्किल से ही उल्लेख किया जाता है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क (1) के प्रयोजनार्थ, निर्वाचन पैंफलेट या पोस्टर का अर्थ किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को प्रोत्साहित करने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के प्रयोजनार्थ वितरित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के प्रिंटेड पैंफ्लेट, हैंड बिल या अन्य दस्तावेज होते हैं । इस प्रकार से खरीदी गई खबरे भी अन्य दस्तावेजों की श्रेणी में आती हैं तथा निर्वाचन पैंफ्लेट और पोस्टर में शामिल किए जाने के अधीन है तथा इस पर तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए । अतः प्रिंट मीडिया में न्यूज रिपोर्टिंग के प्रत्यक्ष मामले में किसी विशेष अभ्यर्थी या

पार्टी को समर्पित होने/लाभ पहुँचाने या अन्य अभ्यर्थी/पार्टियों को अनदेखा करने/पक्षपात करने के मामले में जांच किया जाना अपेक्षित हैं ।

4. उपर्युक्त जांच के प्रयोजनार्थ आयोग ने निदेश दिए है कि निर्वाचनों की घोषणा होते ही सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाए ताकि वे उन सभी प्रकाशित या जिले में परिचालित सभी समाचार पत्रों की ध्यानपूर्वक संवीक्षा कर सकें और निर्वाचन अवधि के दौरान छपने वाले न्यूज कवरेज के रूप में राजनीतिक विज्ञापनों का पता लगा सके । जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रिंट मीडिया में किसी भी रूप में प्रकाशित विज्ञापनों, जिसमें खबरो के रूप में सरोगेट विज्ञापन भी शामिल हैं, का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण करना चाहिए तथा जहॉ कही भी आवश्यकता हो, अभ्यर्थियों/राजनीतिक पार्टियों को नोटिस दिए जाएं ताकि उन पर किए गए व्यय को संबंधित अभ्यर्थी/पार्टी के लेखों में विधिवत रूप से दिखाया जा सके ।

5. इसी प्रकार से जिला समिति को जिला में इलेक्ट्रॅानिक मीडिया पर आने वाली निर्वाचन खबरों/विशिष्टताओं इत्यादि पर नजर रखनी चाहिए । जब टेलीविजन/रेडियों चैनलों पर अभ्यर्थी के भाषण/गतिविधियों की असंगत कवरेज की जाती है तथा जो मतदाताओं को प्रभावित कर किसी विशेष अभ्यर्थी को निर्वाचक लाभ दिला सकती है ।

6. निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापनों को इलैक्ट्रॅानिक मीडिया में दिए जाने से पूर्व इन सभी विज्ञापनों की समीक्षा, संवीक्षा और सत्यापन करने के लिए एस एल पी सी सं0 6679/2004 (सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम जेमिनी टी वी प्राईवेट लिमिटेड और अन्य) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप , आयोग ने पहले ही आदेश सं0 509/75/2004/न्या0अनु0–I, दिनांक 15 अप्रैल, 2009 जारी कर दिया है ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इलैक्ट्रॅानिक मीडिया के उन न्यूज रिपोर्टो, जिनकी प्रकृति राजनीतिक है, परन्तु जिन्हें राजनीतिक घोषित नहीं किया गया है, की भी संवीक्षा करने के लिए इन समितियों को सुदृढ़ कर सकते हैं । ऐसी समितियों की संस्तुति के आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों/दलों को नोटिस जारी किया जा सकता हे ।

7. आयोग को ऐसे सभी मामलों की सूचना दी जानी चाहिए जहॉ दलों/अभ्यर्थियों को पूर्वोक्त नोटिस जारी किए जाते हैं ।

8. इस पत्र की पावती भेज दी जाए तथा की गई कार्रवाई की सूचना आयोग को दी जाए ।

भवदीय,

(तपस कुमार)

प्रधान सचिव

<u>संलग्नक 29 ख</u>

भारत निर्वाचन आयोग

<u>निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001</u>

सं0 491/मीडिया/2009 दिनांक' 18 मार्च, 2011

सेवा में,

सभी राज्य एवं संघ

राज्य क्षेत्रों के (मुख्य निर्वाचन अधिकारी)

(कृपया ध्यान दें – असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल)

विषयः निर्वाचनों के दौरान 'पेड न्यूज' की जांच के उपाय अर्थात् मीडिया में खबरों के रूप में विज्ञापन ।

महोदय,

मुझे उक्त विषय पर आयोग के क्रमशः दिनांक 8 जून, 2010 और 23 सितम्बर, 2010 के पत्र सं0 491/मीडिया/2009 का संदर्भ लेने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि नीचे (ग) में दिए गए सदस्य के अतिरिक्त भारत सरकार के पृथक मीडिया विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात भारतीय सूचना सेवा के एक अधिकारी को, पेड न्यूज पर जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के आदेशों के विरूद्ध अपीलों से संबंधित मामलों के निपटान के लिए राज्य स्तरीय समिति का सदस्य बनाया जाए ।

वैसे भी, राज्य स्तरीय समिति (टेलीविजन चैनल और केबल नेटवर्क पर विज्ञापन के प्रमाणन के लिए राजनीतिक पार्टियों और संगठनों द्वारा किए गए आवेदन पर विचार के लिए) अब से निम्नलिखित संयोजन/गठन के साथ राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति कहलाएगी ।

(क) अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचक अधिकारी – अध्यक्ष

(ख) राज्य की राजधानी में स्थित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का कोई रिटर्निंग अधिकारी

(ग) एक विशेषज्ञ, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अधिगृहीत कोई अधिकारी हो ।

(घ) ऊपर (ग) के विशेषज्ञ के अलावा भारत सरकार के मीडिया विभाग का प्रतिनिधित्व करता हुआ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात भारतीय सूचना सेवा का एक अधिकारी (अवर सचिव/उप सचिव के स्तर का) ।

भवदीय,

(यशवीर सिंह)

निदेशक

संलग्नक 29 ग

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0 491/मीडिया/2011(विज्ञापन) दिनांक' 16 अगस्त, 2011

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ

राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः निर्वाचनों के दौरान राजनीतिक पार्टियों या उनके कार्यकर्ता/कार्यालय धारकों के स्वामित्व वाले टी वी/केबल चैनलों पर अभ्यर्थी के विज्ञापनों की समस्या को सुलझाने के लिए दिशा–निर्देश ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग को राजनीतिक पार्टियों या उनके कार्यकर्ताओं/कार्यालय धारकों के स्वामित्व वाले टी वी/केबल चैनल नेटवर्क पर पेड–न्यूज या विज्ञापनों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रसंग प्राप्त हुए हैं । ये शिकायतें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, जर्नलिस्टों या अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त हुई है । ऐसे दृष्टान्तों को निपटाने में एकरूपता लाने के लिए आयोग ने निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी करने के अनुदेश दिए हैं :–

1. लोक सभा या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, विधान सभा की समाप्ति से छः महीने पहले, जैसा भी मामला हो, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रसारित/परिचालित टी वी चैनलों/रेडियों चैनलों/समाचार पत्रों की सूची और उनके मानक दर कार्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाने चाहिंए और आयोग को अग्रेषित किये जाने चाहिंए ।

2. जिला और राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति अभ्यर्थी से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी राजनीतिक विज्ञापनों का अनुवीक्षण करेगी और रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगी, जिससे वे अपने निर्वाचन व्यय के लेखों में मानक दर कार्ड पर आधारित अनुमानित व्यय शामिल करने के लिए अभ्यर्थी को नोटिस जारी करे, भले ही उन्होंने वास्तव में चैनल/समाचार पत्रों को किसी राशि का भुगतान न किया हो अर्थात् अन्यथा मामला पेड–न्यूज का हो । इसमें उसकी निर्वाचकीय संभावना को प्रभावित करने के लिए अभ्यर्थी की ओर से किसी स्टार अभियानकर्ता या अन्यों द्वारा प्रचार भी शामिल है । नोटिस की एक प्रति निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को भी निर्देशित की जाएगी ।

3. संसदीय या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप–निर्वाचन होने पर उप निर्वाचनों की घोषणा होते ही संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मानक दर कार्ड प्राप्त किया जाएगा और उसके तुरन्त बाद मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति द्वारा समुचित कार्यवाही की जाएगी ।

4. 'पेड न्यूज' के मामले की तरह मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अभियान प्रारम्भ होने से पहले राजनीतिक दलों और मीडिया सदनों को उपरोक्त दिशा–निर्देशों के विषय में जानकारी देंगे ।

5. मानक दर कार्ड के उपयोग से संबंधित कोई तकनीकी संदेह होने पर मामले को सलाह के लिए डी ए वी पी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा ।

इन अनुदेशों को पेड–न्यूज के दिनॉक 8 जून, 2010, 23 सितम्बर, 2010 और 18 मार्च, 2011 के आयोग के पहले के परिपत्रों के साथ पढ़ा जाना चाहिए ।

इसे शीघ्र सभी सम्बन्धित लोगों की जानकारी में लाया जाना चाहिए ।

भवदीय,

(यशवीर सिंह)

निदेशक

संलग्नक–30

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य राजनीतिक दलों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं0 576/3/2005/न्या0अनु0–II, दिनांक 29.12.2005

विषयः– राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार अभियान–अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के संबंध में ।

मुझे आपका ध्यान निर्वाचन व्ययों के लेखों के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 की उपधारा (1) के उपबंधों की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है । उक्त उपधारा के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1(क) के अनुसार राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा अपने राजनीतिक दल के प्रचार कार्यक्रम के लिए वायुमार्ग से या अन्य किसी से की गई यात्रा पर उपगत व्यय, कथित धारा के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा । यहॉ यह नोट किया जाए कि उक्त स्पष्टीकरण 1(क) के अधीन प्रदान किया गया लाभ केवल तब ही उपलब्ध होगा, जब नेताओं के नामों (गैर मान्यता प्राप्त दल के मामले में अधिकतम 20 तथा मान्यता प्राप्त दल के मामले में अधिकतम 40) की सूचना, उप धारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत यथापेक्षित निर्वाचन के लिए अधिसूचना की तिथि से 7 दिनों के भीतर आयोग को तथा संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जाए ।

2. ऊपर लिखित उपबंध पहले भी राजनीतिक दलों के संज्ञान में लाए गए हैं । राजनीतिक दलों को ऊपर स्पष्ट की गई धारा 77 (1) के उपबंधों को ध्यान में रखने का परामर्श दिया जाता है । इस क्रम में यदि कोई राजनीतिक दल उक्त उल्लिखित स्पष्टीकरण 2 की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है, तो उस पार्टी को स्पष्टीकरण 1 के अधीन दिए जाने वाले लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे, तथा ऐसे दलों के मामले में सभी नेताओं के यात्रा व्यय संबंधित अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखा में सम्मिलित किए जाएंगे ।

3. आपका ध्यान आयोग के पत्र सं0 437/6/97/योजना–III, दिनांक 18.3.1997 (प्रति संलग्न) में निहित अनुदेशों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है । उक्त पत्र के अनुदेशों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए उपयोग किए गए सभी वाहनों का विवरण संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दर्ज कराया जाना अपेक्षित है । इस संदर्भ में यह नोट किया जाए कि दुपहिया वाहन जैसे मोटर

साइकल, स्कूटर, मोपेड इत्यादि भी उक्त पत्र के अनुदेशों के अंतर्गत आते हैं, तथा ऐसे वाहनों से संबंधित सूचना भी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दर्ज की जानी अपेक्षित है ।

जहॉ राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार अभियान में विमान/हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है, वहां संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसकी पूर्व–सूचना दी जानी चाहिए । ऐसी सूचना देते समय भाड़े पर लिए जाने वाले वायुयानों/हेलीकॉप्टरों की संख्या, उस कंपनी का नाम, जहॉ से वायुयान/हेलीकॉप्टर किराए पर लिए गए हैं, स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए । आगे किसी भी वायुयान/हेलीकॉप्टर को निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए उपयोग किए जाने के तीन दिनों के भीतर कवर किए जाने वाले क्षेत्रों की पूर्ण जानकारी, उड़ानों की संख्या तथा भुगतान किए गए/किए जाने वाले किराए भाड़े के साथ यात्रियों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

5. कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

संलग्नक–31

सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित आयोग का पत्र सं0 437/6/97–योजना–।।।, दिनांक 18 मार्च, 1997

विषयः– लोकसभा व राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन/उप निर्वाचन – निर्वाचनों के दौरान वाहनों के दुरूपयोग संबंधी अनुदेशों के संबंध में ।

आयोग निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों के दुरूपयोग संबंधी प्रतिबन्धों का पालन करने तथा उनको लागू करने के विषय पर निदेश जारी करता रहा है । निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता के परीक्षण के लिए तथा लोगों के सही चयन में भी इसे प्रतिबिम्बित करने के लिए अब आयोग ने निदेश दिया है कि लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं के सभी साधारण तथा उप निर्वाचनों में निम्नलिखित अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए । ये अनुदेश संविधान के अनुच्छेद 324 तथा इस विषय में आयोग को प्रदान की गई शक्तियों के अधीन जारी किए गए हैं ।

2. निर्वाचन कार्य के लिए उपयोग किए गए कारों/वाहनों को, किसी भी स्थिति में, किसी निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना की तिथि से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तक तीन वाहनों से अधिक के समूह में चलाए जाने की अनुमति नहीं होगी । किसी केंद्रीय या राज्य सरकार के मंत्री के बड़े काफिलों को भी छोटे समूहों में विभाजित किया जाएगा । तथापि, यह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में सुरक्षा कारणों के अध्यधीन हो । दूसरे शब्दों में ऐसा काफिला किसी व्यक्ति के तीन वाहनों और उस व्यक्ति की सुरक्षा श्रेणी को ध्यान में रखकर अनुज्ञेय सुरक्षा वाहनों की संख्या से अधिक नहीं होगा ।

3. किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक जिला प्रशासन, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ के लोगों तथा दल के अन्य नेताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर निगाह रखेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि आयोग के अनुदेशों की अवहेलना न हो ।

4. यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त सीमाओं से अधिक वाहन समूह में गमन करता है तो समूह के विभाजन के बाद भी यह सुनिश्चित करना स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य होगा कि इन वाहनों को आयोग के निदेशों का पालन न करने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को जिला निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास इस संबंध में प्रचार प्रारंभ होने से पूर्व, इसमें प्रयोग किए जाने वाले सभी वाहनों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए । किसी अतिरिक्त वाहन को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा वाहन के वास्तविक नियोजन के पर्याप्त पहले लगाए जाने का नोटिस दिए जाने के बाद ही लगाया जा सकता है । निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए लगाए गए वाहनों का विवरण प्रदान करते समय उन स्थानों, तहसील (तहसीलों) का भी विवरण प्रदान किया जाना चाहिए जहां ये वाहन चलाए जाएंगे । इस प्रकार प्राप्त विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को दिया जाना चाहिए ।

6. इस प्रकार प्राप्त विवरण को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों को भेजा जाना चाहिए ।

7. अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जिला प्रशासन को दी गई जानकारी के अनुसार निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए लगाए गए वाहनों को प्रशासन द्वारा अधिगृहीत नहीं किया जाना चाहिए ।

8. यदि कोई ऐसा वाहन जो निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए जिला प्रशासन के पास रजिस्टर्ड नहीं है, प्रचार अभियान के लिए उपयोग किया पाया जाता है तो उसे उक्त अभ्यर्थी के लिए अप्राधिकृत प्रचार माना जाएगा तथा उस पर भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय – ix के दण्डिक उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी तथा उसे तत्काल प्रचार अभियान से हटा लिया जाएगा ।

इस पत्र की पावती भेजें ।

संलग्नक–32

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 10.4. 2004 का पत्र सं0 76/2004/जे0एस0–।।

विषयः बैरीकेडों तथा मंच इत्यादि पर उपगत किए जाने वाला व्यय ।

आयोग के दिनॉक 21 अक्टूबर, 1994 के आदेश संख्या 437/6/ई एस/0025/94/एम सी एस के साथ पठित (अनुदेश 2004 के अनुदेशों का सार–संग्रह की मद संख्या 133 के रूप में पुनः प्रस्तुत) दिनांक 29 मार्च, 1996 के आयोग के पत्र सं0 437/6/ओ आर/95/एम सी एस/1158 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी राजनीतिक नेता या अभ्यर्थी द्वारा प्रचार अभियान के संबंध में सुरक्षा व्यवस्थाओं यथा बैरीकेडिंग/मंच इत्यादि पर उपगत व्यय संबंधित राजनैतिक दल द्वारा किया जाएगा। आयोग में इस संबंध में शंकाए प्राप्त हुई हैं कि क्या मंचों/बैरीकेड्स के निर्माण पर व्यय राजनैतिक दल से लिया जाएगा या राजनैतिक दल से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के समूह या उस विशेष अभ्यर्थी, जो कि बैठक के उस अवसर पर उपस्थित थे, जहॉ राजनैतिक दलों के नेता भाग लेते हैं, के खाते में डाला जाएगा ।

2. राजनीतिक दलों द्वारा उपगत व्यय तथा अभ्यर्थियों द्वारा उपगत व्यय में अंतर दिखाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (ए आई आर 1975 एस सी 308) में मार्गदर्शी सिद्धांत निरूपित किए हैं जहां शीर्ष न्यायालय ने अवलोकन किया है कि 'किसी अभ्यर्थी को समर्थन देने वाले राजनीतिक दल जब सामान्य दलीय प्रचार से हटकर उसके निर्वाचन के संबंध में व्यय करता है तथा वह अभ्यर्थी जानबूझ कर उसका लाभ उठाता है और कार्यक्रम या गतिविधि में भाग लेता है और उस पर हुए व्यय या स्वीकृति या मौन सहमति को अस्वीकार कर देता है तब कुछ विशेष परिस्थितियों में यह अनुमान लगाना उचित ही होगा कि उसी ने राजनैतिक दलों को ऐसा व्यय करने के लिए प्राधिकृत किया है और वह यह कहकर कि उपगत व्यय उसके द्वारा नहीं बल्कि उसकी पार्टी द्वारा किया गया है, उच्चतम सीमा की सख्ती से नहीं बच सकता ।

3. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 में संशोधन करने पर धारा 77 के स्पष्टीकरण 2 के अधीन आने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा यात्रा पर किए गए व्यय ही केवल अभ्यर्थी के

निर्वाचन व्यय के खाते में शामिल होने के कारण छूट प्राप्त करेंगे । राजनीतिक दलों द्वारा किए गए अन्य उपगत/प्राधिकृत खर्चे, अन्य संघ व्यक्ति निकाय/व्यष्टि निकायों को भी अभ्यर्थी के खाते में समाविष्ट किया जाना अपेक्षित है ।

4. आयोग ने मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया तथा कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्दिष्ट किया है ।:—

(i) दलों/आयोजकों की ओर से सुरक्षा प्रबंधक के मद्देनजर सरकारी एजेंसियों द्वारा शुरू में बनाए गए बैरीकेड्स / मंचों पर व्यय उस अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में बैठक होती है या जब राजनीतिक दल के नेता ऐसी किसी बैठक को संबोधित करते हैं, तो उस समय उपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के समूह के खर्चे में डाल दिया जाएगा । जब किसी मामले में 'नेता' की ऐसी कथित बैठक के समय किसी राजनीतिक दल के एक से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हैं, तो व्यय को सभी के मध्य विभाजित कर दिया जाएगा तथा जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी, जहॉ ऐसी बैठक होती है, बैठक के तीन दिनों के अंदर संबंधित सरकारी एजेंसी से अंतिम खर्चा प्राप्त कर अभ्यर्थी को उसके व्यय की हिस्से की जानकारी देंगे । यह जानकारी अन्य अभ्यर्थियों से संबंधित जिलों के रिटर्निगं आफिसर/निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दी जाएगी ।

जहॉ अभ्यर्थियों अथवा राजनीतिक दल अथवा आयोजकों द्वारा सुरक्षा मामलों के कारण उनकी अपनी निधि से मंच/बैरीकेड का निर्माण किया जाता है, वहॉ यह राशि नेता की सभा में उपस्थित संबंधित अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थियों के दल के लेखों में दर्शायी जाएगी । इन लेखों को निर्वाचन प्रेक्षक या लेखे की संवीक्षा के लिए नियुक्त नामित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा ।

5. आयोग ने आगे यह निदेश दिया है कि उन सभी मामलों में, जहॉ सरकारी एजेन्सियों द्वारा अवरोधों/मंचों का निर्माण किया जाता है, अभ्यर्थी/राजनीतिक दल/आयोजक पहले ही अवरोधों/मंच की अनुमानित लागत जमा करेंगे ।

6. चालू साधारण निर्वाचन के प्रथम एंव द्वितीय चरण के लिए जारी की गई अधिसूचना की तिथि के मध्य उन मदों पर पहले से उपगत व्यय के लिए संबंद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी उपर्युक्त पैरा 4 के अनुसार तत्काल कार्रवाई करेंगे तथा सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित करेंगे ।

संलग्नक–33

भारत निर्वाचन आयोग की निर्देश सं0 76/81, दिनांक 18.09.1981

विषयः– निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना ।

निदेश

अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियों और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1971 के नियम 89 के अनुसरण में और इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों के अधीन तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किसी साधारण निर्वाचन या उप–निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखा से संबंधित कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए, आयोग यह निदेश देता हैः–

(I) निर्वाचन व्ययों के लेखों के साथ दाखिल प्रत्येक वाउचर पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता, यदि कोई हो, के पूर्ण हस्ताक्षर होंगे :

(II) जब निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी, जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करता है, तब जिला निर्वाचन अधिकारी तत्काल एक पावती जारी करेगा । यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लेखा प्रस्तुत करता है तो संबंधित व्यक्ति को पावती जारी की जाएगी और यदि लेखा डाक के माध्यम से प्राप्त होता है तो पावती डाक द्वारा भेजी जाएगी । पावती निर्वाचन व्ययों के लेखो के रख–रखाव के लिए प्रपत्र के अनुसार होगी ।

(iii) जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 में यथा अपेक्षित भारत निर्वाचन आयोग को 30 दिन की समाप्ति के 10 दिनों के अंदर, जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना अपेक्षित होता है, अपनी रिपोर्ट भेजेगा ।

(iv) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अधीन जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के अंदर तथा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों के अपने लेखे दाखिल करने में असफल रहता है, उसे पंजीकृत ए.डी. पावती डाक से केवल एक ही 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया जाएगा ।

(v) जब पंजीकृत डाक से नोटिस जारी किया जाता है तो जब तक कि पत्र उचित अवधि या कहीं एक महीने के अंदर अवितरित ही वापिस न आ जाए तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी को नोटिस दे दिया गया है । नोटिस जारी होने की तारीख के बाद एक महीने की समाप्ति पर मामले को निपटा दिया जाएगा ।

(vi) अभ्यर्थी के साथ सभी पत्राचार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दिए उसके पते पर ही किया जाएगा । यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन हुआ है तो पत्राचार के लिए वह उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में देगा । जिला निर्वाचन अधिकारी अविलंब इस परिवर्तन के संबंध में निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा ।

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग की पत्र संख्या 76/98/जे.एस.–।। दिनांक 30.10.1998

विषय: निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विहित रजिस्टर में निर्वाचन व्यय के दिन–प्रतिदिन के लेखे का रख–रखाव करने – जॉच के लिए अधिकारियों/व्यय प्रेक्षकों को प्रस्तुत करने – अनुपालन करने के संबंध में ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन से संबंधित कार्यो में अत्यधिक व्यय की प्रवृति पर नियंत्रण करने तथा रोक लगाने के उपायों के रूप में, आयोग ने विस्तृत प्रोफार्मा वाला एक रजिस्टर तैयार किया है जो निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा उनके निर्वाचन से संबंधित प्रचारों पर निरंतर दिन–प्रतिदिन के आधार पर भरकर रखा जाएगा । आयोग के पत्र संख्या 76/98/जे.एस.–।। दिनांक 19.1. 1998 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी को जिले के अन्दर स्थित अधिकारियों को नामनिर्दिष्ट/पदाभिहीत करना चाहिए, जिनके समक्ष निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी अपने दिन–प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय–लेखा रजिस्टर का निरीक्षण तथा जॉच के प्रयोजन से समय–समय पर प्रस्तुत करें । कुछ राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतिक्रिया में आयोग ने उपर्युक्त पत्र द्वारा आगे अनुदेश जारी किए थे कि यघपि निर्वाचन व्ययों के लेखे का दैनिक आधार पर रख–रखाव किया जाएगा इसे निरीक्षण तथा जॉच के प्रयोजन से तीन दिनों में केवल एक बार पदाभिहित अधिकारी के पास प्रस्तुत करना जरूरी है ।

2. आयोग को यह पता चला है कि कुछ मामलों में कुछ अभ्यर्थी अपने दिन–प्रतिदिन के निर्वाचन व्ययों के रजिस्टर को मॉगे जाने के बावजूद पदाभिहित अधिकारियों तथा यहॉ तक कि आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्रेक्षकों को भी दिखाने की परवाह नहीं करते है ।

3. स्पष्ट रूप से यह एक युक्तियुक्त धारणा को सामने लाता है कि इस मामले में व्ययों का लेखा, विधि द्वारा अपेक्षित दिन–प्रतिदिन के आधार पर नहीं रखा जा रहा है, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ऐसी रीति से तैयार किया जा रहा है, जो वस्तुतः अभ्यर्थी द्वारा उपगत किये गए व्ययों का सही लेखा प्रस्तुत नहीं करता । अतः आयोग निदेश देता है कि जहॉ अभ्यर्थी को नोटिस दिए जाने के बावजूद वह अपने निर्वाचन

व्ययों के दिन–प्रतिदिन के लेखे वाला रजिस्टर पदाभिहीत अधिकारी/प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी दोषी अभ्यर्थियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171–झ के अधीन शिकायत दर्ज कराएगा ।

4. इसके अलावा, यह तथ्य कि क्या अभ्यर्थी ने अपने व्यय के दिन–प्रतिदिन के लेखे वाले रजिस्टर को पदाभिहित अधिकारी/व्यय प्रेक्षक को समय से जॉच करने के लिए प्रस्तुत किया है तथा क्या इस संबंध में अनुपालन न करने के लिए किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई की गई है, जिसका रिपोर्ट के टिप्पणी कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 (1) (रिटर्निंग ऑफिसर पुस्तिका का संलग्नक–49) के अधीन आयोग को इस आशय से भेजता है कि क्या अभ्यर्थियों ने निर्वाचनों पर अपने व्यय का विवरण दाखिल किया है या नही ।

इसे सभी सम्बन्धितों, विशेष रूप से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के ध्यान में लाया जाए ताकि उन्हें दण्डरूवरूप परिणामों के बारे में अच्छी तरह से पता चले कि यदि वे पदाभिहीत अधिकारी/प्रेक्षकों को अपने निर्वाचन व्ययों वाले रजिस्टरों को उचित समय से प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उन्हें भुगतना पड़ सकता है ।

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित भारत निर्वाचन आयोग का दिनांक 12.3.2004 का पत्र संख्या 76/2004/जे.एस.–II

विषयः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के मार्ग दर्शन के लिए अनुदेश – अतिरिक्त उपाय के रूप में निर्वाचन व्यय के लेखों के निरीक्षण के सम्बन्ध में ।

मुझे उक्त विषय में आयोग के दिनॉक 29.10.2003 के परिपत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है । आयोग ने (पैरा–5 में) निदेश दिया है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित रजिस्टर में अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों सहित दैनिक लेखे को जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी/निर्वाचन प्रेक्षक या इस कार्य के लिए विशिष्ट रूप से पदाभिहित अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान तीन दिन में एक बार निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाना होगा ।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कई पार्टियों ने इन अनुदेशों के पुनरीक्षण का निवेदन किया है क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में हर तीसरे दिन जाना बहुत बार अभ्यर्थी के लिए असुविधाजनक हो जाता है । आयोग ने इस मामले पर विचार किया है और इस संबंध में अपने निदेशों का पुनरीक्षण किया है और अब निदेश दिया है कि पूरे निर्वाचनों के दौरान लेखों की संवीक्षा केवल तीन अवसरों पर की जाए । तद्नसार, अभ्यर्थी को अपने व्यय के लेखों से सम्बन्धित दस्तावेज जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी/निर्वाचक प्रेक्षक को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कम से कम तीन बार निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने होंगे । तथापि, यह सुनिश्चित किया जायगा कि प्रत्येक निरीक्षण के मध्य लगभग 4 दिन का अन्तराल होगा और प्रथम निरीक्षण अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख के बाद से तीसरे दिन या उसके बाद होगा ।

आयोग के दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के पत्र में निहित निदेश केवल ऊपर उल्लिखित निरीक्षण अनुसूची के सम्बन्ध में संशोधित माने जा सकते हैं । इसमें निहित अन्य सभी अनुदेश लागू और प्रभावी रहेंगे । इन्हें, विद्यमान संशोधित निरीक्षण अनुसूची के साथ सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और लोक सभा के साधारण निर्वाचन के संबंध में आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षकों को सूचित किया जाएगा ।

संलग्नक–36

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित आयोग का दिनांक 29.10.2003 का पत्र सं0 76/2003/न्या0अनु0–।।

विषयः– साधारण निर्वाचन/उप निर्वाचन–निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश – अतिरिक्त उपाय के रूप में निर्वाचन व्ययों के लेखों के निरीक्षण के सम्बन्ध में ।

मुझे उपरोक्त विषय में आयोग के दिनांक 19.01.1998 के पत्र सं0 76/98/न्या0अनु0–।। की ओर ध्यान दिलाने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा दिन–प्रतिदिन के आधार पर अपने निर्वाचन व्यय के लेखों का निर्धारित रजिस्टर में रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है । साथ ही उन्हें इस रजिस्टर को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय निरीक्षण के लिए समर्थक दस्तावेजों सहित जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षकों या आयोग द्वारा नामित ऐसे किसी अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मॉगे जाने पर रजिस्टर उपलब्ध करवाने में असफलता को बहुत बडी त्रुटि के रूप में माना जाएगा । निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा समर्थक दस्तावेजों सहित यह रजिस्टर केवल तीन दिन में एक बार उपलब्ध करवाना होगा ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 और 78 के अधीन दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 के पत्र सं0 76/2003/न्या0अनु0–।। द्वारा आयोग ने अब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन लेखे के अनुरक्षण के लिए संशोधित प्रपत्र निर्धारित किया है जो अब आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है । धारा 77 (1) के अधीन (निर्वाचन एवं अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2003, पहले ही आपको भेज दिया गया है। देखे) स्पष्टीकरण 2 के अधीन समावेशित राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के यात्रा व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखे में सम्मिलित करने से छूट दी जाएगी । राजनीतिक दलों, अन्य संस्थाओं, व्यक्तियों के समूह या व्यक्तिगत रूप से उपगत/प्राधिकृत अन्य सभी व्यय अभ्यर्थी के लेखे में शामिल किए जाएंगे ।

अभ्यर्थियों द्वारा अनुरक्षित लेखों की संवीक्षा को सरल एंव कारगर बनाने के लिए आयोग ने निम्नलिखित निदेश दिए हैं :

1. जैसा कि आयोग के दिनांक 24.10.2003 के पत्र सं0 76/2003/न्या0अनु0–।। द्वारा पहले ही निर्धारित किया गया है, मानक फार्म में एक रजिस्टर, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके नामांकन के तत्काल बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को, उसके दिन–प्रतिदिन के व्यय के लेख को रखने के लिए जारी कर दिया जाना चाहिए ।
2. रजिस्टर में विधिवत पृष्ठ सं0 डाली जानी चाहिए और जारी किए जाते समय जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए ।
3. अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा सभी दिन–प्रतिदिन के लेखों को इस रजिस्टर में ईमानदारी से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य दस्तावेज में ।
4. उपगत या प्राधिकृत व्यय के समर्थन में सभी दस्तावेज जैसे–वाउचर, पावतियां बिल इत्यादि दैनिक आधार पर व्यय और प्राधिकृत किए जाते समय ही प्राप्त कर लिए जाने चाहिएं, उपरोक्त रजिस्टर में अनुरक्षित किया जाना चाहिए जैसा कि निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 86 के अधीन निर्धारित है ।
5. उपरोक्त रजिस्टर में समर्थक दस्तावेजों सहित अनुरक्षित दैनिक लेखों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी/आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षक या आयोग द्वारा इस विषय में नामित किसी अन्य प्राधिकारी को तीन दिन में एक बार निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवा दिया जाना चाहिए ।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन प्रेक्षक द्वारा निरीक्षण की एक अनुसूची तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी का लेखा प्रस्तुत करने का तीन दिन का चक्र इस तरह तैयार किया जाएगा कि प्रत्येक दिन संबंधित अधिकारी को एक या अधिक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लेखों की संवीक्षा करनी होगी । अन्य शब्दों में नाम दाखिल करने से परिणाम घोषित किए जाने के बीच की अवधि के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी की लेखा संवीक्षा के लिए दाखिल करने की बारी हर तीसरे दिन पड़ेगी ।
7. अभ्यर्थियों के लेखों की संवीक्षा, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी और या निर्वाचन प्रेक्षक या नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी और वे रजिस्टर के संबधित पृष्ठों की दो फोटो प्रतियॉ रखेंगे ।

रजिस्टर से संबंधित पृष्ठ की एक कॉपी रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड में लगाई जाएगी और दूसरी कॉपी रिटर्निंग अधिकारी के रिकार्ड के प्रमाण के रूप में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की अलग फाइल में रहेगी और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी ।

8. यदि कोई व्यक्ति इन दिन–प्रतिदिन के लेखों की प्रतिलिपि चाहता है तो सामान्य प्रतिलिपि शुल्क के भुगतान किए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इसकी प्रतिलिपि दी जाएगी ।

9. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल किए जाते समय अभ्यर्थी को निर्धारित रजिस्टर निर्वाचन व्ययों के सार विवरण तथा आयोग के दिनांक 24.10.2003 के आदेश सं0 76/2003/न्या0अनु0 द्वारा निर्धारित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

आयोग ने दोहराया है कि उपरोक्त अनुदेश स्पष्ट किए जाएं और सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षकों की जानकारी में लाए जाएं और यह जिला निर्वाचन अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस विषय में आयोग के अनुदेशों का उचित रूप से पालन किया जाता है ।

कृपया पावती भेजें ।

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 3.4.2004 का पत्र सं0 3/1/2004/न्या0अनु0–।।

विषयः– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के प्रयोजन के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नाम ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण–2 के अधीन मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजनीतिक पार्टियों को उक्त धारा के अधीन स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (1) का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नेताओं के नाम आयोग और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संचारित करने अपेक्षित हैं ।

आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में राजनीतिक पार्टियों से प्राप्त प्रत्येक सूची की प्रतिलिपि, राज्य में सभी प्रेक्षकों एवं सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को भेजी जाए ।

संलग्नक–38

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 06.08. 2004 का पंत्राक 76/2004/न्या0अनु0–।।

विषय: निर्वाचन व्ययों के लेखों के स्पष्टीकरण के संबंध में ।

मुझे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किए गए निर्वाचन व्ययों के लेखों के अनुरक्षण संबंधी प्रावधानों की ओर आपका ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है । आयोग के ध्यान में यह लाया गया कि कुछ मामलों में नामांकन दाखिल करने से पहले ही भावी अभ्यर्थी को पहले से तैयार की गई प्रचार सामग्री प्राप्त हो जाती हैं । इस प्रकार के व्ययों के लेखे संबंधी प्रश्न उठाए गए हैं । पूर्व में, कुछ अभ्यर्थियों ने अपने निर्वाचन व्ययों के लेखों से उन मदों पर उपगत व्यय को इस बहाने से हटा दिया कि केवल नामांकन दाखिल करने के दिन उपगत व्यय के लिए ही लेखा देना होता है ।

इसे स्पष्ट किया गया कि अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय लेखों के रजिस्टर का रख–रखाव करते हुए उन सभी व्ययों के लिए भी उतरदायी होगा, जो नामांकन की तिथि से पहले सामग्रियों इत्यादि को तैयार करने में उपगत व्यय, जिसका वास्तविक उपयोग निर्वाचन के संबंध में नामांकन अवधि के समाप्त होने पर किया जाता है ।

उपर्युक्त निदेशों को आगामी निर्वाचनों में सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए ।

कृपया पावती भेजें ।

संलग्नक–39

भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष / महासचिव को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 06.10.2005 का पत्र सं0 76 / ई ई / 2005 / जे0एस0।।।

प्रतिलिपि :– भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (लिबरेशन), राष्ट्रीय जनता दल तथा लोक जन शक्ति पार्टी तथा इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि इसकी सूचना सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसरों के साथ–साथ उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों के प्रेक्षकों को भी दे दी जाए, जहॉ से उपरोक्त दलों के अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहे थे । (मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह भी अनुरोध किया गया कि वे रिटर्निगं ऑफिसरों को यह अनुदेश दे कि वे निम्नलिखित स्थिति की सूचना ऐसे सभी अभ्यर्थियों को भी दें ।)

विषयः निर्वाचन अभियान में दल के नेताओं द्वारा उपगत व्यय

मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के उपबंधों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है । उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित स्पष्टीकरण 1 (क) के अनुसार दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए की गई यात्रा के कारण राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा उपगत व्यय, अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं समझा जाएगा बशर्ते इस प्रयोजन के लिए नेताओं के नाम निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से सात दिनों की अवधि के भीतर आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संसूचित कर दिया गया हो । बिहार में चालू साधारण निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रथम चरण के निर्वाचन में होने वाले मतदान में अधिसूचना दिनांक 23.09.2005 को प्रकाशित की गई तथा द्वितीय चरण में निर्वाचन क्षेत्रो के लिए अधिसूचना दिनांक 28.09.2005 को प्रकाशित की गई । चूॅकि आपके दल ने धारा 77 (1) के अधीन उपर लिखित स्पष्टीकरण 1 (क) तथा 2 के प्रयोजन से अपने दल के नेताओं की सूची नहीं भेजी है, अतः इस पर ध्यान दिया जाए कि प्रथम दो चरणों के निर्वाचन में आपके दल के सभी नेताओं के द्वारा उपगत यात्रा व्यय सहित उनके द्वारा किए गए दौरे में उपगत सभी व्यय को संबंधित अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखे में आवश्यक रूप से दर्शाया जाएगा जिनके निर्वाचन के संबंध

में दौरा किया गया है । यदि यह दौरा अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन के संबंध में किया गया है तो व्यय को उन सभी अभ्यर्थियों के बीच समान रूप से विभजित कर दिया जाएगा ।

उपयुर्क्त विधायी स्थिति को नोट किया जाए तथा बिहार में प्रथम तथा द्वितीय चरणों के निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले अपनी पार्टी के सभी अभ्यर्थियों के ध्यान में भी लाया जाए ।

संलग्नक–40

जनता दल (युनाइटेड) के अध्यक्ष को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 07.10.2005 का पत्र सं0 76/ईई/2005/जे0एस0–।।। तथा इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि इसकी सूचना सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसरों के साथ–साथ उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों के प्रेक्षकों को भी दे दी जाए, जहॉ से ऊपर उपरोक्त दलों के अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहे थे । (मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निम्नलिखित स्थिति की सूचना ऐसे सभी अभ्यर्थियों को भी दे दें ।

विषयः निर्वाचन अभियान में दल के नेताओं द्वारा उपगत व्यय ।

मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के उपबंधों का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है । उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित स्पष्टीकरण 1 (क) के अनुसार दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए, की गई यात्रा के कारण राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा उपगत व्यय, अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं समझा जाएगा, बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए नेताओं के नाम निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से सात दिनों की अवधि के भीतर आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संसूचित कर दिए गए हों । बिहार के चालू साधारण निर्वाचन के प्रथम चरण में मतदान होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 23.9.2005 को प्रकाशित की गई थी । चूँकि आपके दल ने धारा 77 (1) के अधीन निर्वाचन के प्रथम चरण में 61 निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में ऊपर लिखित स्पष्टीकरण 1 (क) तथा 2 के उददेश्यों से अपने दल के नेताओं की सूची नहीं भेजी है, अतः इस पर ध्यान दिया जाए कि प्रथम चरण के निर्वाचन में अपने दल के सभी नेताओं द्वारा उपगत यात्रा व्यय सहित उनके द्वारा किए गए दौरे के संबंध में उपगत सभी व्यय को संबंधित अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखे में आवश्यक रूप से इस आशय से दर्शाया जाएगा कि किए गए दौरे किसके निर्वाचन से संबंधित है। यदि अभ्यर्थियों के दल के निर्वाचन संबंधी दौरे साधारण प्रकार के हैं तो व्यय को समान रूप से ऐसे सभी अभ्यर्थियों के मध्य विभाजित किया जाएगा ।

संलग्नक–41

सभी राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं0 76/2007/न्या0अनु0–।।, दिनांक 29 मार्च, 2007

विषयः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77–अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के सन्दर्भ में ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी उस सारे व्यय का, जो स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, सही लेखा रखेगा । धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन यथा अपेक्षित, राजनीतिक दल के उन नेताओं, जिनके नाम आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संसूचित कर दिए गए हैं, द्वारा की गई यात्रा पर व्यय, उक्त धारा के प्रयोजन के लिए उस राजनीतिक दल के अभ्यर्थी द्वारा उपगत या प्राधिकृत नहीं समझा जाएगा ।

2. कुछ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापनों पर उपगत व्यय का, अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण माँगा हैं ।

3. इस सन्दर्भ में, निर्वाचन रैलियों इत्यादि के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों द्वारा उपगत व्यय के मामले में निर्वाचन आयोग के पत्र सं0 76/2004/न्या0अनु0–।।, दिनांक 10 अप्रैल, 2004 (प्रति संलग्न) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

4. उपर उल्लिखित दिनांक 10.4.04 के पत्र में कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (ए.आई.आर. 1975 एस सी 308) में सन्दर्भित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि सामान्य दलीय प्रचार को छोड़कर किसी राजनीतिक दल द्वारा उपगत वह व्यय, जिसका सम्बन्ध किसी दिए गए अभ्यर्थी के निर्वाचन से हो, वह उस अभ्यर्थी के व्यय में जोड़े जाने का दायी होगा जो अभ्यर्थी द्वारा सकल रूप से प्राधिकृत किया जा रहा है । शीर्ष न्यायालय ने पुनः यह व्यवस्था की है कि उस मामले में, जब अभ्यर्थी अपने राजनीतिक दल से अलग रहकर निर्वाचन में खड़ा नहीं होता और यदि वह राजनीतिक दल यह नहीं चाहता कि वह अभ्यर्थी निरर्हित हो, तो उसे चाहिए कि वह उस व्यय पर नियंत्रण रखे, जो अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपगत किया जाए ।

5. किसी भी निर्वाचन के संबंध में विज्ञापनों पर राजनैतिक दल द्वारा उपगत व्यय को निम्नलिखित रूप से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है :

(i) पार्टी तथा सामान्य रूप से उसके अभ्यर्थियों के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए दल के सामान्य प्रचार पर उपगत व्यय, परन्तु यह किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के किसी विशेष वर्ग/समूह के सन्दर्भ में न हो।

(ii) किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के लिए प्रत्यक्ष रूप से समर्थन और/या मत प्राप्त करने के लिए विज्ञापनों इत्यादि पर दल द्वारा उपगत व्यय ।

(iii) दल द्वारा उपगत वह व्यय जिसे किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के पक्ष में प्रचार के लिए व्यय से जोड़ा जा सकता है ।

6. कंवर लाल गुप्ता के मामले में निर्णय के कुछ हिस्से को लागू करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर वर्ग (i) के अंतर्गत आने वाले राजनीतिक दलों द्वारा किसी विज्ञापन, चाहे वह प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया में किया गया हो, के मामले में, जिसे किसी अभ्यर्थी या दिए गए अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन से न जोड़ा जा सके, उस व्यय को सामान्य पार्टी प्रचार पर राजनीतिक दल का व्यय समझा जाए । ऊपर (ii) और (iii) वर्गो के अंतर्गत आने वाले व्यय के मामले में अर्थात उन मामलो में, जहॉ व्यय किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन से सम्बन्धित हो, तब यह व्यय सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा प्राधिकृत उपगत व्यय समझा जाएगा और ऐसे व्यय की गणना सम्बन्धित अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखे में की जाएगी । ऐसे मामलों में, जहॉ दल द्वारा उपगत व्यय, दिए गए अभ्यर्थियों के किसी समूह के लाभ के लिए हो, तो व्यय को अभ्यर्थियों के मध्य समान रूप से विभाजित किया जाएगा ।

7. इस पत्र की विषय–वस्तु को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों, निर्वाचन प्रेक्षकों और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए । मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की राज्यीय इकाइयों सहित राज्य में सभी राजनीतिक दलों के भी ध्यान में इसे लाया जाए ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

सभी राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सम्बोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं0 76/2007/न्या0अनु0–।।, दिनांक 4 अप्रैल, 2007

विषयः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखे के संबंध में।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) यह अधिदेश देता है कि किसी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन के सम्बन्ध में उपगत/प्राधिकृत व्यय का सही लेखा रखेगा । धारा 77 (।) के स्पष्टीकरण 1 का खण्ड (क) यह उपबंधित करता है कि किसी राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा उस दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए की गई यात्रा पर उपगत व्यय, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए उस राजनीतिक दल के अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में उपगत/प्राधिकृत नहीं माना जाएगा । धारा 77 (।) के स्पष्टीकरण 2 में यह उपबंधित है कि स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (क) का लाभ उठाने के लिए राजनीतिक दल के नेताओं (मान्यता प्राप्त दलों के मामले में 40 और रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के मामले में 20) की सूची, अधिसूचना जारी होने के 7 दिन के भीतर आयोग और सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

जब ऐसा नेता स्वयं अभ्यर्थी भी है, तो धारा 77 (।) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन शामिल राजनीतिक दल के नेता की यात्रा व्यय की गणना करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं । इस निष्कर्ष पर पहुॅचना ही तर्कसंगत है कि निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा उस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना, जहॉ से वह स्वयं निर्वाचन लड़ रहा है, वह केवल उसके निर्वाचन की संभावना का प्रचार करने के प्रयोजन से है । जब कोई अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा करता है तो इस यात्रा के सम्बन्ध में उपगत व्यय, उसके निर्वाचन व्यय का हिस्सा समझा जाए । इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे नेता द्वारा वह निर्वाचन क्षेत्र, जहॉ से वह निर्वाचन लड़ रहा है, के भीतर की गई यात्रा (यात्राओं) के कारण उपगत व्यय को उस व्यक्ति के निर्वाचन व्यय लेखा से छूट नहीं दी जा सकती ।

2. यह पाया गया है कि कुछ मामलों में, राजनीतिक दलों ने धारा 77 (।) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन उस दल के नेताओं के नाम संसूचित करते समय उन व्यक्तियों के नाम भी शामिल कर दिए हैं जो अन्य राजनीतिक दलों के नेता हैं या जो उस राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है ।

दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति पार्टी का सदस्य नहीं है, उसे धारा 77 (1) के प्रयोजनों के लिए पार्टी के नेता के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं किया जा सकता ।

पहले यह भी देखा गया है कि आयोग को नेताओं की सूची प्रस्तुत कर देने के बाद, राजनीतिक दल उसमें नामों के प्रतिस्थापन के लिए आयोग के पास आते हैं । इस संदर्भ में यह भी बताया जाता है कि स्पष्टीकरण 2 के उपबंध के अनुसार विधि के अधीन सूची से नाम प्रतिस्थापन की अनुमति केवल तभी मिल सकती है, जब कि सूची में उल्लिखित किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या किसी व्यक्ति की संबंधित राजनीतिक दल की सदस्यता समाप्त कर दी जाए, अन्य किसी कारण से नहीं ।

इन अनुदेशों/स्पष्टीकरणों को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग ऑफिसरों तथा सभी निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए । इनको मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों की राज्य इकाईयों समेत राज्य में आधारित सभी राजनीतिक दलों के ध्यान में भी लाया जाए ।

कृपया पावती भेजें ।

प्रतिलिपिः सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूचना व अनुपालन के लिए ।

<u>संलग्नक–43</u>

सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं0 437/6/ओ आर/95/एम सी एस/1158, दिनांक 2.9.03. 1996 जिसकी प्रति सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पृष्ठांकित कर दी गई थी ।

विषयः निर्वाचन दौरों के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर व्यय ।

कृपया, निर्वाचनों के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री के दौरे के लिए बेरिकेड लगाने और मंच तैयार करने इत्यादि पर उपगत किए जाने वाले व्यय के संबंध में उड़ीसा सरकार द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में श्री वी के. मल्होत्रा, संयुक्त सचिव (सी एस) का दिनांक 21.2.96 के पत्र का संदर्भ लें ।

2. आयोग के दिनांक 21.10.94 के आदेश सं0 437/6/ई एस 0025/94/एम सी एस (प्रति संलग्न) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को, 1994 की रिट याचिका (सिविल) सं0 312 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29.4.94 के आदेश में दिए गए आदेश का दृढतापूर्वक पालन किया जाना चाहिए । आयोग के आदेश में आगे यह निदेश दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन कार्य और निर्वाचन व्यवस्था जैसे कि बैरीकेड लगाने/मंच तैयार करने इत्यादि कार्य के लिए राज्य/निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हैं, उसका खर्च सम्बन्धित राजनीतिक दल वहन करेंगे ।

3. इसलिए, पुनः एक बार यह निदेश दिया जाता है कि आयोग के दिनांक 21.10.1994 के आदेश में निहित अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना चाहिए ।

<u>संलग्नक</u> :–

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संबोधित पत्र सं0 437/6/ई एस 0025/94/एम सी एस, दिनांक 21 अक्टूबर, 1994

आदेश

आयोग ने अपने पत्र सं0 437/6/93 – यो0अनु.–II, दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 द्वारा पुनः यह दोहराया था कि निर्वाचनों के दौरान प्रचार, निर्वाचन सम्बन्धी कार्य या निर्वाचन से सम्बन्धित यात्रा के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग पूरी तरह और पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित है, और यह निदेश दिया था कि किसी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या निर्वाचन से सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन पर पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध रहेगा ।

2. आयोग ने अपने पत्र सं0 437/6/94, दिनांक 2 फरवरी, 1994 द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में मंत्रियों के दौरे के विषय में गृह मंत्रालय के परिपत्र सं0 10/17/89 – एम व जी, दिनांक 1 नवंबर, 1989 की ओर ध्यान आकर्षित किया था और यह पाया कि दण्ड के अभाव में उन अनुदेशों की अवज्ञा कर दी गई और इसलिए उपर संदर्भित गृह मंत्रालय के दिनांक 1 नवंबर, 1989 के अनुदेशों की बिना अवहेलना किए, उसे संशोधित या उसे प्रभावित किए बिना पुनः अनुदेश जारी किया गया था ।

3. सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं0 1994 का 312 में (तमिलनाडु राज्य बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के मामले में छूट की अपेक्षा करने पर निम्नलिखित निदेश दिया है :–

''जबकि हमें निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयास की जानकारी है, हमे संदेह है कि निर्वाचन आयोग ने, जैसा कि वह यहॉं अपेक्षा करता है, कुछ विशेष राजनीतिक व्यक्तियों की सुरक्षा अपेक्षाओं पर विचार नहीं किया है, जिन्हें उग्रवादी तथा आतंकवादी गतिविधियों के कारण जीवन का खतरा हो सकता है तथा जिनके लिए उच्च श्रेणी की सुरक्षा अपेक्षित है । निर्वाचन आयोग द्वारा केवल देश के प्रधानमंत्री तक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था सीमित करना तथा अन्य लोगों के लिए सुरक्षा, जैसा कि दिनांक 31 मार्च, 1994 के पत्राचार में मॉग की गई थी, को अस्वीकार करना इस समस्या का समुचित बोध व मूल्यांकन नहीं करता है । सभी मामलों में भारत निर्वाचन आयोग को सांविधिक उपबंधों को ध्यान में रखना होगा । तथापि, हमे एक पहलू स्पष्ट कर देना चाहिए । निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित करने के उतरदायित्व व बाध्यता को ध्यान में रखते

हुए, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है कि यदि इसमें किसी भी प्रकार का संदेह है कि निदेशक, तमिलनाडु, विशेष सुरक्षा समूह द्वारा स्थिति के अंतर्गत की गई सुरक्षा अपेक्षाओं का आकलन, स्पष्ट व अनापेक्षित रूप से बहुत ज्यादा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के हितों को अत्यधिक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है तो उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने के लिए ऐसे मामलों को राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जाए ।''

4. मंत्रिमंडल सचिवालय ने अपने पत्र सं0 10/22/094 ई एस दिनांक 3/5 मई, 1994 में ये निदेश जारी किए हैं कि विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों की समीपस्थ सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है :–

(i) प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार के मौजूदा सदस्य

(ii) किसी पूर्व प्रधानमंत्री या उनके परिवार के मौजूदा सदस्यों को उस तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए ,जब से उस पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय से अपना पद छोड़ा हो ।

5. सर्वोच्य न्यायालय के उक्त आदेश के प्रकाश में आयोग ने अपने पत्र सं0 437/6/93/पी एस–II, दिनांक 3 मई, 1994 के समसंख्यक पत्र के पैरा 6 द्वारा यह कहते हुए प्रतिस्थापित कर लिया था कि आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उसके उक्त संदर्भित परिपत्र सं0 437/6/93–II, दिनांक 13/12/1993 के पैरा 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

3(क) उक्त पैरा 2 में उल्लिखित निषेधों में केवल एक ही अपवाद होगा कि प्रधानमंत्री व अन्य राजनीतिक व्यक्तियों, जो अतिवादी तथा आतंकवादी गतिविधियों के कारण उनके जीवन में जोखिम के कारण उनके लिए उच्च श्रेणी की सुरक्षा अपेक्षित है तथा जिनकी सुरक्षा अपेक्षाएं इस संबंध में संसद या राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनाए गए किन्ही भी सांविधिक उपबंधों द्वारा नियंत्रित होती है ।

3 (ख) आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि निर्वाचन प्रक्रियाओं की शुद्धता को सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारियों तथा बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए आयोग, यदि उसे कोई संशय है कि प्राधिकारियों द्वारा उक्त संदर्भित विशेष अधिनियमों या सरकार के किसी विशेष अनुदेशों के अधीन की गई सुरक्षा अपेक्षाओं का आकलन समर्थकों के हितों का इस प्रकार स्पष्टतः पक्षपात रूप से समर्थन कर रहे हैं, तो उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने के लिए ऐसे मामलों को केन्द्रीय सरकार और/या यथास्थिति राज्य सरकार के संज्ञान में लाएं ।

3 (ग) ऐसा करने के लिए आयोग ऐसे किसी भी व्यक्ति के संबंध में की जाने वाली सुरक्षा अपेक्षाओं के निर्धारण संबंधी सूचना संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मॉग सकता है । संबंधित सरकार द्वारा ऐसी सूचना आयोग को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी ।

6. आगे आयोग द्वारा अपने पत्र सं0 437/6/94, दिनांक 14 मई, 1994 में यह भी स्पष्ट किया गया था कि सभी राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से सर्वोच्य न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया जाता है । साथ ही सांविधिक शक्तियों या अन्य शक्तियों के अधीन जारी किए गए व्यक्तिगत सुरक्षा के आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए ।

7. आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि जब भी ऐसे व्यक्ति निर्वाचन प्रचार अभियानों और निर्वाचन कार्यों के संबंध में राज्य/निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करें तो सुरक्षा प्रबंधों जैसे अवरोधकों/मंचों आदि पर उपगत व्यय का वहन संबंधित राजनीतिक दल द्वारा किया जाएगा ।

संलग्नक–44

गुजरात सरकार के केंद्रीय सचिव को संबोधित आयोग का पत्र सं0 437/6/गुजरात/96–योजना अनु0–III दिनांक 16.01.1998

विषयः– **आदर्श आचार संहिता के संबंध में**

मुझे प्रधान सचिव, गृह विभाग के दिनांक 13 जनवरी, 1998 के पत्र सं0 डी ओ सं0 एस वी आई/एस एस ए/1 098/409, के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ व राज्य के सभी मंत्री तथा राजनीतिक दलों के अन्य सभी नेताओं को शासकीय एजेंसियों तथा अन्य व्यवसायिक एजेंसियों द्वारा निर्धारित किए गए आशंका बोध के अनुसार सुरक्षा की अनुमति दी जाएगी । इन व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली बुलेट प्रूफ कारों तथा अन्य सभी कारों पर व्यय, संबंधित व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाएगा । तथापि, सुरक्षा कार्मिकों पर व्यय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा ।

संलग्नक–45

सभी राज्यों एंव संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 17.3.2004 की पत्र सं0 76/2004/न्या0अनु0–।।

विषयः– निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना – रेट चार्ट तैयार करना ।

मुझे उक्त विषय में इन राज्यों में विधान सभा के साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित आयोग के दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 के पत्र सं0 76/2003/न्या0अनु0–।। की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है ।

उपर संदर्भित पत्र में यह निदेश दिया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबोधित जिले में प्रचलित दरों के आधार पर उक्त पत्र के साथ संलग्न सूची में दर्शाई गई वस्तुओं के मूल्य चार्टो का संकलन करना होगा और मूल्य सूची जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त सभी प्रेक्षकों और नामनिर्दिष्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी ।

उपरोक्त दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 के पत्र में निहित अनुदेशों का लोक सभा और विधान सभा के चालू साधारण निर्वाचनों और भविष्य के सभी निर्वाचनों में सख्ती से पालन किया जाएगा ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

पत्र सं0 76/2003/न्या0अनु0–।। दिनांक : 30 अक्टूबर, 2003

सेवा में,

1. मध्य प्रदेश, भोपाल
2. छत्तीसगढ, रायपुर
3. राजस्थान, जयपुर
4. मिजोरम, ऐजवाल
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली

के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः–निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना – रेट चार्ट तैयार करना

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने अपने दिनांक 14.10.2003 के पत्र सं0 76/2003/न्या0अनु0–।। द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के नये संशोधन के कारण अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखों के रख रखाव के प्रोफार्मा में हाल ही में संशोधन किया है ।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में दैनिक आधार पर रख रखाव किए जाने वाले व्यय की संवीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोग ने निदेश दिया है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को संलग्न सूची में दिए वस्तुओं के रेट चार्ट को संबंधित जिले में प्रचलित दरों के आधार पर संकलित करना होगा । निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इन रेट लिस्टों को लेखों की संवीक्षा के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त सभी नामनिर्दिष्ट अधिकारियों और सभी प्रेक्षकों को जैसे ही वे संबंधित जिले में पहुॅचते हैं तुरन्त भेज दिया जाएगा । इस अनुदेश की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेक्षकों को उनके पहुॅचने पर दी जा सकती है ।

रेट चार्ट

1. एम्पलिफायर एवं माइक्रोफोन सहित लाउडस्पीकर का भाडा शुल्क
2. पोडियम/पंडाल का निर्माण (4–5 व्यक्तियों के लिए मानक आकार)
3. कपड़े का बैनर
4. कपड़े का झंडा
5. प्लास्टिक के झंडे
6. हैण्डबिल (मूल्य का आकलन किया जाए तथा मुदण आदेश की जानकारी प्रिंटर से ली जाए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 127 क देखें)
7. पोस्टर
8. होर्डिग
9. कट आउट (लकड़ी के)
10. कट आउट (कपडे के/प्लास्टिक)

11. वीडियो कैसेट

12. ऑडियो कैसेट

13. गेट का निर्माण

14. तोरण का निर्माण

15. वाहनों का प्रतिदिन भाड़ा शुल्क

    1. जीप/टैम्पो/ट्रक इत्यादि
    2. सूमो/क्वालिस
    3. कार
    4. थ्री व्हीलर
    5. साइकिल, रिक्शा

16. होटल के कमरों/गेस्ट हाउस इत्यादि का भाड़ा शुल्क

17. ड्राइवर का वेतन शुल्क

18. फर्नीचर एवं उससे जुड़ी वस्तुओ का भाड़ा शुल्क (कुर्सी, सोफा इत्यादि)

19. नगर निगम प्राधिकारियों से होर्डिंग साइट का भाड़ा शुल्क

20. अन्य ऐसी वस्तुएं, जो सामान्य रूप से जिले में प्रयोग की जाती है ।

    (ऐसी मदों की रेट लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को तैयार करनी होगी ।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली – 110001

सं. 491/मीडिया पॉलिसी/2010 दिनांक 23 सितम्बर, 2010

सेवा में,

सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः– निर्वाचनों के दौरान 'पेड न्यूज' अर्थात मीडिया में खबरों के रूप में विज्ञापन पर रोक लगाने के उपाय

*****

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग के दिनांक 08 जून 2010 के पत्र सं0 491/मीडिया / 2009 के क्रम में, मैं दिनांक 30 जुलाई, 2010 के प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया संख्या पी आर / 2 / 1011 की रिपोर्ट की प्रति एतद् द्वारा भेज रहा हूँ ।

2. रिपोर्ट के निम्नलिखित अंशों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा आवश्यक कार्रवाई की जाए :

(क) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 'पेड न्यूज़ ' को '' प्रतिफल के रूप में नकदी या किसी वस्तु के रूप में मूल्य चुकाने के लिए किसी मीडिया (प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक) में आने वाली कोई खबर या विश्लेषण'' के रूप में परिभाषित किया है ।

(ख) कांउसिल ने इस पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट के पृष्ठ 8 से 10 पर 1996 के अपने दिशा–निर्देशों पर विशेष बल दिया है । दिशा–निर्देशों के पैरा – 1 में उल्लेख है कि '' समाचार पत्रों से दूषित निर्वाचन प्रचार में शामिल होने, निर्वाचनों के दौरान किसी अभ्यर्थी/ पार्टी या घटना के बारे में अतिश्योक्तिपूर्ण रिपोर्टों की अपेक्षा

नहीं की जाती है । समाचार पत्र को, वास्तविक प्रचार पर रिपोर्ट करते समय किसी भी अभ्यर्थी द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ना नहीं चाहिए और उसके या उसके प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार से पैरा –5 इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करता है कि प्रेस से किसी विशेष अभ्यर्थी / पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की अपेक्षा नहीं की जाती । यदि यह ऐसा करती है, तो वह अन्य अभ्यर्थी / पार्टी को जवाब देने के लिए उत्तरदायी होगी ।'' अतः उपर्युक्त दिशा – निर्देशों से विचलित होने से 'पेड खबरों ' की प्रथम दृष्टया जांच – पड़ताल का मामला बनना चाहिए ।

3. रिपोर्ट के अन्य अंश सूचनार्थ है । आयोग द्वारा विशेष कार्रवाई, यदि कोई है, की जा रही है ।

4. निर्वाचन अवधि के दौरान 'पेड खबरों ' की संवीक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति की संरचना की जा रही है, इस समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे :

(i) जिला निर्वाचन अधिकारी / उप–जिला निर्वाचन अधिकारी

(ii) डी पी आर ओ

(iii) केंद्रीय सरकार, सूचना एवं प्रसारण कर्मचारी (यदि जिले में कोई है तो)

(iv) प्रैस काउंसिल द्वारा अनुशंसित स्वतंत्र नागरिक / पत्रकार

5. उपर्युक्त को दिनांक 08 जून, 2010 द्वारा जारी अनुदेशों के क्रम में अतिरिक्त दिशा – निर्देश माना जाए तथा तदनुसार कार्रवाई की जाए ।

भवदीय

(तपस कुमार)

सचिव

संलग्नक 47

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली – 110001

फा0 सं. 76/2009/एस डी आर दिनांक 20 अगस्त, 2009

सेवा में,

सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः– निर्वाचन अभियान में हवाई जहाज /हेलीकॉप्टर इत्यादि के प्रयोग में पार्टी के नेताओं द्वारा उपगत व्यय के सम्बंध में ।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय में आयोग के दिनॉक 31 अक्टूबर 2008 की पत्र सं0 437/6/ आई एन एस टी/ 2008 – सी सी बी ई तथा 31 मार्च 2009 की पत्र संख्या 76/2009 / एस डी आर का संदर्भ लें । इन पत्रों के अनुदेशों के अनुसार यदि अभ्यर्थी या पार्टी / अभ्यर्थी के कार्यकर्ता भी स्टार अभियानकर्ता के वाहन (हवाई जहाज / हेलीकॉप्टर सहित) में यात्रा करते हैं, तो वाहन पर व्यय का 50% संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखों में दर्ज किया जाएगा।

2. उस स्थिति के लिए एक प्रश्न उठाया गया है कि जब कोई व्यक्ति, जो पार्टी या अभ्यर्थी से संबंधित नहीं है (जैसे – सहायक , सुरक्षा गार्ड आदि) स्टार अभियानकर्ता के साथ यात्रा करते हैं ।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई सहायक, सुरक्षागार्ड भी स्टार प्रचारकर्ता का चिकित्सा सहायक उसके साथ (स्टार प्रचारकर्ता) यात्रा करता है तो उसे अभ्यर्थी के व्यय के लेखों के किसी भाग में दर्ज नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि सहायक / चिकित्सा सहायक निर्वाचन अभियान में कोई भूमिका अदा नहीं करते हैं । लेकिन स्टार प्रचारकर्ता के साथ जाने वाले इलैक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का प्रतिनिधि उपरोक्त छूट में शामिल नहीं होगा और उनकी यात्रा पर व्यय उपर पैरा 1 में दिए गए स्पष्टीकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा।

इसे राज्य पर आधारित सभी राजनीतिक पार्टियों सहित सभी सम्बद्व व्यक्तियों के नोटिस में लाया जाए।

भवदीय
(के.एफ. विल्फ्रेड)
सचिव

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय
राजनीति पार्टियों को प्रतिलिपि

संलग्नक 48

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली – 110001

फा0 सं. 76/2009/एस डी आर | दिनांक 31 मार्च, 2009

सेवा में,

सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों

के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः– निर्वाचन अभियान में पार्टी के नेताओं द्वारा उपगत व्यय – वायुयान / हेलीकॉप्टर के प्रयोग के सबंध में ।

महोदय/महोदया,

कृपया अनुदेशों के सार–संग्रह के खंड – ।।। में भाग 43 में प्रतिरूपित आयोग के दिनॉक 31 अक्तूबर 2008 के पत्र सं0 437/6/अनु./2008 – सी सी तथा बी ई का संदर्भ लें । उपरोक्त पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा – 77 (1) के स्पष्टीकरण –2 के अंतर्गत समाविष्ट यदि किसी वाहन में राजनैतिक पार्टी के नेता (स्टार प्रचारक) सफर कर रहे हैं और उसी वाहन में यदि अभ्यर्थी या पार्टी / अभ्यर्थी के कार्यकर्ता भी सफर करते हैं, तो वाहन पर लगने वाला 50% व्यय संबंधित अभ्यर्थी (र्थियों) (अर्थात जिस अभ्यर्थी के भावी निर्वाचनों को प्रोत्साहन देने के लिए वह नेता सफर कर रहा है) के निर्वाचन व्यय में डाला जाएगा । इस संबंध मं कुछ पार्टियों द्वारा उठाई गई शंकाओं के निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जा रहा है कि दिनांक 31 अक्तूबर, 2008 के उपरोक्त पत्र में नेताओं (स्टार प्रचार) द्वारा प्रयुक्त वायुयान/ हेलीकॉप्टर या परिवहन के अन्य साधन शामिल हैं । इस स्पष्टीकरण को अपने राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में विद्यमान सभी राजनैतिक पार्टियों के ध्यान में लाया जाए ।

भवदीय,

(आर. के. श्रीवास्तव)

सचिव

सभी राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक पार्टियों को प्रति

संलग्नक 49

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिवों को संबोधित दिनांक 31 अक्तूबर 2008 का आयोग का पत्र संख्या 437/6/आई एन एस टी / 2008 – सी सी तथा बी ई

विषय :– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण के खण्ड (क) का लाभ उठाते हुए प्रचारकों द्वारा सड़क परिवहन के प्रयोग – के संबंध में ।

मुझे आयोग के दिनांक 16 अक्तूबर, 2007 के पत्र सं. 437/6/2007 / वोल्यूम – IV – पी एल एन ।।। द्वारा जारी आयोग के अनुदेशों और दिनांक 7 अक्तूबर, 2008 के पत्र सं. 3/7/2008/ जे एस – ।।। द्वारा जारी अनुदेशों का संदर्भ लेने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने पहले ही रक्षार्थ वाहनों के प्रयोग संबंधी दिशा – निर्देशों को संशोधित कर दिया है । परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (क) के अधीन दिए स्पष्टीकरण के खण्ड (क) का जिन नेताओं ने लाभ उठाया है, उनके द्वारा निर्वाचन अभियान के दौरान सड़क पर कारवॉ के साथ जाने वाले वाहनों की संख्या की अनुमति के संबंध में पहले का अनुदेश संशोधित किया गया है और उसके स्थान पर यह अनुदेश है ।

कारवॉ में वाहनों की संख्या पर प्रतिबन्ध वापस ले लिया गया है, तथापि कारवां के वाहनों को ऊपर संदर्भित नए अनुदेश के अनुसार उल्लिखित शर्त की पुष्टि करनी होगी । यदि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण के खण्ड (क) का लाभ उठाने वाले राजनीतिक दलों द्वारा सड़क परिवहन प्रणाली का प्रयोग किया जाना है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस बात की परवाह किए बिना, कि वही वाहन किसी नेता द्वारा पूरे राज्य में निर्वाचन अभियान के लिए प्रयोग किया जाना है या ऐसे पार्टी नेताओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वाहन प्रयोग किए जाने हैं, केन्द्र रूप से अनुमति जारी की जाएगी । परमिट उस सम्बद्व व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाएगा जो किसी भी क्षेत्र में उसके द्वारा प्रयोग किए जा रहे वाहन के विंडस्क्रीन में इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा । अभ्यर्थियों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रकार जारी किए गए परमिट का रंग, जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले परमिट के रंग से स्पष्ट रूप से भिन्न होगा ।

III. यदि इस तरह मद संख्या II में अनुमति प्राप्त वाहन मद सं. (II) में संदर्भित नेता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भी अधिकृत है तो ऐसे मामले में इसका 50% व्यय उस क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के लड़ने वाले अभ्यर्थी से सम्बद्व पार्टी के व्यय में दर्ज किया जाएगा ।

iv. यदि अभियान के लिए वीडियो वैन के प्रयोग की अनुमति दिए जाने से पहले किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा राज्य में अभियान के लिए वीडियो वैन का प्रयोग किया जाना है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन का इस तरह का प्रयोग, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हो । इस विषय में आपका ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2006 की दिनांक 23.6.2006और 14.2.2007 की रिट याचिका सं0 3648 (एम जी) के निर्णय की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है । संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि एसे वाहनों पर उपगत व्यय को जहॉ वैन / वाहन प्रयोग किए गए हैं, उस क्षेत्र / निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के व्यय के सम्मुख यथानुपात रूप में वितरित किया गया हो ।

इसे तुरन्त सभी राजनीतिक पार्टियों ओर सभी निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों के नोटिस में लाया जाए ।

<u>संलग्नक 50</u>

व्यय मामलों के लिए अतिरिक्त एजेन्टों की नियुक्ति हेतु प्रपत्र

(साधारण) उप –निर्वाचन के लिए .... (वर्ष का उल्लेख करें)

1. राज्य का नाम
2. निर्वाचन क्षेत्र का नाम
3. अभ्यर्थी का नाम और पता
4. संबद्व पार्टी, यदि कोई हो
5. अतिरिक्त एजेन्ट का नाम
6. अतिरिक्त एजेन्ट का पूरा डाक पता
7. सम्पर्क टेलीफोन सं.

मैं ....(अभ्यर्थी का नाम) एतद द्वारा, उपरोक्त निर्वाचन के लिए श्री / श्रीमती / .... को अपने अतिरिक्त एजेन्ट के रूप में नियुक्त करता हूॅ ! मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूॅ कि उन्हें विधि के अधीन संसद या राज्य विधान संभा का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित नहीं किया गया है और उक्त व्यक्ति कोई मंत्री / संसद सदस्य / विधान सभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य / निगम मेयर / नगरपालिका / जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं है और ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे राज्य द्वारा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांकः

संलग्नक 51क

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम																	संलग्नक क		
निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से मतदान के दिन तक नकद जब्ती के सम्बन्ध में सूचना																			
1.	1क	1ख	2	2क	2ख	3	3क	3ख	4	4क	4ख	5	5क	5ख	6	6क	6ख	7	7क
केवल उड़न दस्तों द्वारा की गई नकद जब्ती की राशि	उस प्राधिकरण का नाम, जिसे जब्ती के बाद नकद दिया गया है ।	जिस व्यक्ति से नकद जब्ती की गई है क्या उसे अगली कार्रवाई के बारे में और उस प्राधिकरण के बारे में जिसे यह सौंपा गया है, सूचित किया गया है	**केवल स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा की गई नकद जब्ती की राशि**	उस प्राधिकरण का नाम जिसे जब्ती के बाद नकद सौंपा गया है	जिस व्यक्ति से नकद जब्ती की गई है क्या उसे अगली कार्रवाई के बारे में और उस प्राधिकरण के बारे में, जिसे यह सौंपा गया है, सूचित किया गया है	**केवल पुलिस द्वारा की गई नकद जब्ती की राशि (उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी टीमों के अलावा)**	उस प्राधिकरण का नाम, जिसे जब्ती के बाद नकद सौंपा गया है	जिस व्यक्ति से नकद जब्ती की गई है क्या उसे अगली कार्रवाई के बारे में और उस प्राधिकरण के बारे में, जिसे यह सौंपा गया है, सूचित किया गया है	**उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी टीमों और/या पुलिस विभाग और या/आयकर विभाग इत्यादि द्वारा संयुक्त रूप से की गई नकद जब्ती की राशि । ऐसे मामले यदि कोई हो, का विवरण दिया जाय,**	उस प्राधिकरण का नाम जिसे जब्ती के बाद नकद सौंपा गया है	जिस व्यक्ति से नकद जब्ती की गई है क्या उसे अगली कार्रवाई के बारे में और उस प्राधिकरण के बारे में, जिसे यह सौंपा गया है, सूचित किया गया है	**किसी अन्य राज्य प्राधिकारी द्वारा की गई नकद की जब्ती, जिसे अन्य कॉलमों में शामिल नहीं किया गया है**	उस प्राधिकरण का नाम, जिसे जब्ती के बाद नकद सौंपा गया है	जिस व्यक्ति से नकद जब्ती की गई है, क्या उसे अगली कार्रवाई के बारे में और उस प्राधिकरण के बारे में, जिसे यह सौंपा गया है, सूचित किया गया है	**क्वेल आयकर विभाग द्वारा की गई जब्ती की राशि**	उस प्राधिकरण का नाम, जिसे जब्ती के बाद नकद सौंपा गया है	जिस व्यक्ति से नकद जब्ती की गई है क्या उसे अगली कार्रवाई के बारे में और उस प्राधिकरण के बारे में, जिसे यह सौंपा गया है, सूचित किया गया है	**आयकर विभाग द्वारा व्यक्ति के कराधान दायित्व के लिए चालान द्वारा जमा की गई नकद राशि**	क्या व्यक्ति को चालान की कॉपी दी गई है ? या अगली कार्रवाई के बारे में सूचित किया गया है ।
योग			योग			योग			योग			योग			योग			योग	
(1 से 7) की कॉलम का कुल योग																			

नोट–। उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी टीमों और पुलिस द्वारा जब्ती करके आयकर विभाग को सौंपे जाने को उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी टीमों, पुलिस द्वारा जब्ती के रूप में दिखाया जाएगा ।

नोट–2 प्रत्यक्ष रूप से आयकर विभाग द्वारा की गई जब्ती को आयकर विभाग द्वारा जब्ती के रूप में दिखाया जाएगा ।

नोट–3 स्तम्भ 5 में दिखाया जाने वाला विवरण स्तम्भ 1,2,3,4, और 6 में उल्लिखित विवरण से अलग होना चाहिए ।

संलग्नक 51ख

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम :																		
निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से मतदान के दिन तक वस्तुओं की जब्ती के सम्बन्ध में सूचना																		
क.सं.	1.	1क	1ख	2	2क	2ख	3	3क	3ख	4	4क	4ख	5	5क	5ख	6	6क	6ख
	केवल उड़न दस्तों द्वारा जब्त की गई वस्तुएं (कृपया वस्तुओं के नाम और संख्या का उल्लेख करें) ।	उस प्राधिकरण का नाम, जिसे, जब्ती के बाद वस्तुएं सौपी गई है ।	जिस व्यक्ति से नकद जब्ती की गई है, क्या उसे अगली कार्रवाई के बारे में और उस प्राधिकरण के बारे में, जिसे यह सौंपा गया है सूचित किया गया है ।	**केवल स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा जब्त की गई वस्तुएं (कृपया नाम का उल्लेख करें)**	उस प्राधिकरण का नाम, जिसे जब्ती के बाद वस्तुएं सौपी गई है ।	जिस व्यक्ति से नकद जब्ती की गई है, क्या उसे अगली कार्रवाई के बारे में और उस प्राधिकरण के बारे में जिसे यह सौंपा गया है, सूचित किया गया है ।	**उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी टीमों के अलावा केवल पुलिस द्वारा जब्त की गई वस्तुएं (कृपया नाम और संख्या का उल्लेख करें)**	उस प्राधिकरण का नाम, जिसे जब्ती के बाद वस्तुएं सौपी गई है ।	जिस व्यक्ति से नकद जब्ती की गई है, क्या उसे अगली कार्रवाई के बारे में और उस प्राधिकरण के बारे में, जिसे यह सौंपा गया है, सूचित किया गया है ।	**उड़न दस्तों/और/या स्थैतिक निगरानी टीमों और / या पुलिस प्राधिकरण और या आयकर विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की कोई जब्ती/ऐसे प्रत्येक मामले का विस्तृत उल्लेख करें**	उस प्राधिकरण का नाम, जिसे जब्ती के बाद वस्तुएं सौपी गई हैं ।	जिस व्यक्ति से नकद जब्ती की गई है, क्या उसे अगली कार्रवाई के बारे में और उस प्राधिकरण के बारे में, जिसे यह सौंपा गया है, सूचित किया गया है ।	**किसी अन्य राज्य प्राधिकारी द्वारा जब्त की गई वस्तुएं जिन्हें अन्य स्तम्भों में शामिल नहीं किया गया है। कृपया वस्तुओं का नाम और संख्या लिखें ।**	उस प्राधिकरण का नाम, जिसे जब्ती के बाद वस्तुएं सौंपी गई है ।	जिस व्यक्ति से नकद जब्ती की गई है क्या उसे अगली कार्रवाई के बारे में और उस प्राधिकरण के बारे में जिसे यह सौंपा गया है, सूचित किया गया है ।	**केवल आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई वस्तुएं (कृपया नाम और वस्तुओं की संख्या लिखें)**	उस प्राधिकरण का नाम, जिसे जब्ती के बाद वस्तुएं सौंपी गई हैं ।	जिस व्यक्ति से नकद जब्ती की गई है क्या उसे अगली कार्रवाई के बारे में और उस प्राधिकरण के बारे में, जिसे यह सौंपा गया है, सूचित किया गया है ।
योग				योग			योग			योग			योग			योग		
(1 से 7) की कॉलम का कुल योग																		

नोट–। उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी टीमों और पुलिस द्वारा जब्ती करके आयकर विभाग को सौंपे जाने को उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी टीमों, पुलिस द्वारा जब्ती के रूप में दिखाया जाएगा ।

नोट–2 प्रत्यक्ष रूप से आयकर विभाग द्वारा की गई जब्ती को आयकर विभाग द्वारा जब्ती के रूप में दिखाया जाएगा ।

नोट–3 स्तम्भ 5 में दिखाया जाने वाला विवरण स्तम्भ 1,2,3,4, और 6 में उल्लिखित विवरण से अलग होना चाहिए ।

संलग्नक–52

पुलिस प्रेक्षक रिपोर्ट–।

व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र के लिए पुलिस प्रेक्षक की प्रारंभिक रिपोर्ट

(व्यय संवेदनशील क्षेत्र में पहुँचने के बाद 24 घण्टे के अन्दर प्रस्तुत की जाए)

आगमन की तारीख और रिपोर्ट करने की तारीख		
पुलिस प्रेक्षक का नाम		
व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र का नाम		
जिलों का नाम		
राज्य		
तैनाती के दौरान टेलीफोन संख्या और मोबाईल संख्या	तैनाती के दौरान फैक्स संख्या और ई मेल आई डी	सामान्य तैनाती के स्थान पर फैक्स संख्या, टेलीफोन संख्या और मोबाइल संख्या

क0सं0	विवरण	हॉ	ना
(क)	क्या पुलिस प्रेक्षक को राज्य में पुलिस के नोडल अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में व्यय प्रेक्षक/साधारण प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक, उत्पाद विभाग, उड़न दस्तों और निगरानी टीमों के नामों की सूची और सम्पर्क संख्या दे दी गई है ।		
(ख)	क्या उड़न दस्ते और निगरानी टीमें, नकदी और सामानो की जब्ती के लिए अपेक्षित संभारतंत्र जैसे वाहनों, वीडियो कैमरा, मोबाइल फोन और आवश्यक पंचनामों से लैस है ।		
(ग)	क्या पुलिस प्रेक्षक ने व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र के चैक पोस्टों और उनमें कार्य करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण ले लिया है ।		

(यदि उपरोक्त में से किसी का भी जवाब नकारात्मक है, तो इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी/भारत निर्वाचन आयोग को सूचित करते हुए राज्य के जिला निर्वाचन अधिकारी/व्यय प्रेक्षक/पुलिस के नोडल अधिकारी के नोटिस में लाया जाना चाहिए ।

स्थान :   हस्ताक्षर
दिनांक :   पुलिस प्रेक्षक

संलग्नक–53

पुलिस–प्रेक्षक रिपोर्ट–2

(भारत निर्वाचन आयोग को मतदान/पुनर्मतदान के समापन के 24 घंटों के अंदर ई मेल/फैक्स, स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

प्रस्थान तथा रिपोर्ट करने की तारीख		
पुलिस प्रेक्षक का नाम		
व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों का नाम		
जिले का नाम		
राज्य का नाम		
तैनाती की अवधि के दौरान फैक्स सं0/दूरभाष सं0	तैनाती की अवधि के दौरान मोबाइल संख्या और ई मेल आई डी	सामान्य तैनाती के स्थान की फैक्स सं0/दूरभाष सं0/मोबाइल सं.

क0सं0	विवरण	
(क)	प्राप्त शिकायतों की संख्या	
(ख)	जांच की गई शिकायतों की संख्या तथा की गई कार्रवाई	
(ग)	जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या तथा सुधारक कार्रवाई	
(घ)	लंबित रहने के कारण	
(ड.)	शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रेक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किए गए स्थानों की संख्या	
(च)	तैनाती की अवधि के दौरान निरीक्षण किए गए चेक पोस्टों की संख्या	
(छ)	उड़न दस्तों द्वारा जब्त की गई कुल नकदी	
(ज)	निगरानी टीमों द्वारा जब्त की गई कुल नकदी	
(झ)	उड़न दस्तें तथा निगरानी टीमों द्वारा नकद के अलावा जब्त किया गया अन्य सामान	
(ञ)	सामान का लगभग मूल्य रू0 में	
(त)	जब्ती के बाद किसी अधिकारी को नकदी/सामान सौपा गया था	
(थ)	क्या जिन व्यक्तियों से सामान/नकदी पकड़ी गई थी, उन्हें अगली कार्रवाई के बारे में सूचित कर दिया गया था ।	
(द)	जिस व्यक्ति/व्यक्तियों से नकदी/सामान जब्त किए गए थे, क्या उनके विरूद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है (कृपया विवरण अलग से संलग्न करें)	
(ध)	अन्य कोई टिप्पणी/सुझाव : (कृपया प्राथमिकता के क्रम में उल्लेख करें ।)	

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पुलिस प्रेक्षक

संलग्नक 54

सी ए एस –7(15)/2011/प्रभाग –1(बहु)
भारत सरकार
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो
(नागर विमानन मंत्रालय)
'अ' खंड़ जनपत भवन
दि0: 08/4/2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः चुनाव प्रक्रिया के दौरान हवाई अड्डों से संदेहास्पद धन/बहुमूल्य धातुओं इत्यादि के परिवहन को रोकने हेतु मानक प्रचालन पद्धतिः– विषयक ।

ऐसी खबरें मिली हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान चार्टेड विमानों/ हेलीकॉप्टरों /वाणिज्यिक विमानन कम्पनियों के मालिकों के माध्यम से मतदान वाले राज्यों में अत्यधिक मात्रा में नकदी/बहुमूल्य धातुओं का परिवहन किया जा रहा है । भारत निर्वाचन आयोग ऐसी घटनाओं के प्रति चिंतित है, जो कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करती है ।

2 इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि मतदान वाले राज्यों के हवाई अड्डों में समान /यात्रियों पर अथवा मतदान वाले राज्यों में जाने वाले विमानों पर चढ़ने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही साथ तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कदम उठाए जायेंगे –

(i) चुनाव प्रक्रिया के समय यात्रियों व सामान की तलाशी तथा जांच संबंधी सभी नियमों व पद्धतियों का बिना किसी अपवाद के, कड़ाई के साथ पालन किया जाना चहिए ।

(ii) सुदूर/अनियंत्रित हवाई अड्डों में राज्यों/केंद्रशासित राज्यों के पुलिस अधिकारी पायलट के साथ समन्वय करके सामान की तलाशी/भौतिक जॉच–पड़ताल करेंगे । नियमानुसार, चार्टड विमानों/हेलीकॉप्टरों के यात्रियों के सामान की जॉच–पड़ताल के0औ0सु0 बल द्वारा अथवा राज्य/ केंद्रशासित राज्य की पुलिस द्वारा यथास्थिति, की जायेगी ।

(iii) एयर टैफिक कंट्रोल द्वारा मतदान वाले राज्यों में उतरने वाले सभी निजी विमानों/ हेलीकॉप्टरों की उड़ान योजना (फ्लाइट प्लान) की जानकारी 24 घंटे पूर्व इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जायेगी ।

हवाई अड्डा संचालक/प्राधिकारी द्वारा भी संबद्व राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यात्री सूची की सूचना तुरंत दी जायेगी, जो कि संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (सी ई ओ) और व्यय प्रेक्षक(कों)

को उपलब्ध कराई जायेगी ।

(iv) ऐसे सभी यात्रियों (जिन्हें नियमों के अंतर्गत छूट दी गई है) किन्तु जिन्हें वायुयान तक जाने हेतु गाड़ी का प्रयोग करने की सुविधा दी गई है , द्वारा हाथ में ले जाए जाने वाले सामान सहित पूरे सामान की जांच बिना किसी छूट के के0 ओ0 सु0 ब0/राज्य/केंद्र शसित राज्य की पुलिस द्वारा की जाएगी ।

(v) मतदान वाले राज्यों में स्थित किसी भी अपरिचालनात्मक अथवा नॉन स्अराइल हवाई अड्डों/हवाई पट्टी/क्षेत्र से/की संचालन की अनुमति दिये जाने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण– पत्र लेना आवश्यक होगा । स्थानीय पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्रियों (विशेष रूप से छूट प्राप्त व्यक्तियों के अलावा) की भली–भांति तलाशी की गई है तथा चल रही चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनके सामान की भी जॉच–पड़ताल/तलाशी की गई है, जैसा कि ऊपर दिये अनुदेश (i) मे दिया गया है।

(vi) के0 औ0 सु0 बल अथवा राज्य या केंद्रशासित राज्यों के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा रूपये दस लाख (10,00000) से अधिक की नगदी अथवा1किग्रा0 या इससे अधिक नगद की बहुमूल्य धातु पाई जाने पर राज्य के हवाई अडडे के आयकर विभाग को तुरंत सूचित किया जायेगा ।

(vii) सूचना प्राप्त होने पर आयकर विभाग द्वारा आयकर नियमों के अनुरूप आवश्यक सत्यापन किया जायेगा और संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिये जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । इस तरह की किसी नगदी/बहुमूल्य धातु की मुक्ति के पहले उनके द्वारा निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ संबद्व जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया जायेगा ।

(viii)   विधि प्रवर्तन एजेंसियों, जैसे के0 औ0 सु0 बल, राज्य पुलिस और आयकर विभाग अपनी आंतरिक मानक प्रचालन पद्धति का विकास इस प्रकार करेंगे कि हवाई अड्डे में खोज से लेकर जब्ती अथवा मुक्त करने तक का पूरा घटना क्रम क्लोज़ सरकिट टी वी वीडियो कैमरे में कैद हो रहा है । इस उद्धेश्य से सभी वाणिज्यिक हवाई अड्डों के ऐसे सभी स्थानो मे जहां नकदी/बहुमूल्य धातु का पता लगाया जाता है, गिना/जब्त किया जाता है तथा आयकर विभाग सहित सभी विधि प्रवर्तक एजेंसियों के पूछताछ के कमरों में क्लोज सरकिट टी वी लगाये जायेंगे। सी सी टी वी/ वीडियो कैमरे की यह रिकार्डिंग हवाई अड्डा संचालक/प्राधिकारी द्वारा संरक्षित रखी जायेगी तथा जरूरत पड़ने पर निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी ।

3   कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय को सूचित करते हुए उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से परिचालन किया जा रहा है।

कृपया पत्र की पावती भेजें ।

हस्ता0

(आर0 ढोके, भा0पु0से0)
अपर सुरक्षा आयुक्त (ना0 वि0)

संलग्नक–55

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0 464/आ0प्र0–लो0स0 तथा आ0प्र0–वि.स./बी.ई/2011/ई ई एम दिनांक : 3 जून, 2011

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः– निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के प्रचारकों द्वारा उपगत किए जाने वाले व्ययों को दाखिल करने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के उपबंधों का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है । उक्त धारा की उप–धारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित स्पष्टीकरण 1 (क) के अनुसार राजनीतिक दल के नेताओं, जो स्टार प्रचारक है, द्वारा दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए यात्रा पर उपगत व्यय को निर्वाचन से जुड़े अभ्यर्थी का व्यय नहीं माना जाएगा । स्टार प्रचारकों द्वारा या स्टार प्रचारकों के लिए निर्वाचन क्षेत्र में होटलों तथा लॉज के कमरे बुक करने के संबंध मे व्यय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन छूट प्राप्त नहीं है ।

2. आगे मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन क्षेत्र में स्टार प्रचारकों के रहने/खाने के व्ययों सहित सभी व्यय जिसे वे किसी भी अभ्यर्थी के लिए प्रचार करते हैं, उस अभ्यर्थी के व्यय लेखें में शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि

(क) स्टार प्रचारकों/प्रचारको ने वास्तव में अभ्यर्थी के लिए प्रचार किया है, तथा

(ख) स्टार प्रचारकों/प्रचारकों ने इस तथ्य का विचार किए बिना कि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किया गया है या नहीं, अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार के प्रयोजन से वाणिज्यिक होटल या लॉज में रहते हुए इस प्रकार के रहने एवं खाने का व्यय उपगत किया है ।

3. यद्यपि रहने एवं खाने की व्यवस्था मानार्थ की जाती है, इस प्रकार की वाणिज्यिक आवास तथा भोजन की व्यवस्था का बाजार मूल्य अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा । आगे यह स्पष्ट किया गया है कि यदि स्टार प्रचारक एक निर्वाचन क्षेत्र में आवास एवं भोजन व्यवस्था को प्राप्त करते हुए दूसरे अभ्यर्थियों का प्रचार करने के लिए अन्य निर्वाचन–क्षेत्र में यात्रा करते हैं, तो आवास तथा भोजन व्यवस्था पर व्यय उन अभ्यर्थियों के व्यय में समानुपातिक रूप से बॉटा जाएगा ।

4. इस प्रकार के सभी मामलों में तत्काल एक नोटिस जारी किया जाए तथा तद्नुसार इसे प्रक्रिया में लाया जाए ।

5. यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ऑध्र प्रदेश, पत्र सं0 1760/इलेक्स. डी/2011–7, दिनांक : 30.4.2011 का निपटान है ।

भवदीय

(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

संलग्नक–56

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0 76/अनुदेश/2011/ई. ई. एम   दिनांकः 7 अप्रैल, 2011

सेवा में,

असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा पश्चिम बंगाल के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण – अभ्यर्थी से संबंधित व्यय – नकद भुगतान – पर अनुदेश के संबंध में ।

महोदय,

समसंख्यक अनुदेश दिनांक 7 फरवरी, 2011 के संदर्भ में राजनीतिक दलों ने आगे स्पष्टीकरण मॉगा है । भारत निर्वाचन आयोग ने मामले की जॉच कर ली है तथा मुझे निम्नलिखित को स्पष्ट करने को निदेश हुआ है :–

1. आयोग के अनुदेश सं0 76/अनुदेश/2011/ई.ई.एम, दिनांक 7.2.2011 में उल्लिखित है कि अभ्यर्थी निर्वाचन के प्रयोजन से खोले गए बैंक खाते से पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा सभी निर्वाचन व्यय उपगत करेंगे, सिवाय छोटे व्ययों के जहॉ चैक जारी करना संभव नहीं है । कुछ राजनीतिक दलों ने इस प्रकार के नकद व्यय की सीमा का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण की मॉग की है । एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा किसी व्यक्ति/सत्ता को किसी मद के व्यय के लिए दी जानेवाली राशि यदि 20,000 रूपये से अधिक नहीं होती है, तो इस प्रकार का व्यय निर्वाचन के

प्रयोजन से खोले गए बैंक खाते से निकालकर नकद रूप में उपगत किया जा सकता है । अन्य सभी भुगतान उक्त बैंक खाते से पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा किया जाएगा ।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी उस तिथि से जिस दिन उसे नामांकित किया गया है तथा जिस दिन परिणाम की घोषणा की गई हैं (दोनों तिथि सहित), सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखेगा । एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी अभ्यर्थियों की उनके निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर का रख–रखाव करते समय नामांकन दाखिल करने के दिन (अर्थात उस दिन से) उपगत सभी व्यय तथा नामांकन की तिथि से पूर्व जैसे प्रचार सामग्रियों आदि पर उपगत सभी व्यय के लिए भी हिसाब देना होगा, जो नामांकन अवधि के बाद प्रयोग किया गया है । नामांकन दाखिल करते समय आयोजित रैली या जुलूस से संबंधित सभी व्यय, अभ्यर्थियों के लेखे में जोड़ा जाएगा । जब आम जनता किसी से भी किसी भुगतान या प्रतिपूर्ति प्राप्त किये बिना अपने व्यक्तिगत वाहन का प्रयोग करते हुए अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों की जन रैली/जुलूस/जन सभा में शामिल होती है, तो इसे अभ्यर्थी के व्यय में नहीं डाला जाएगा । यद्यपि, किसी अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के हित के लिए झण्डे या बैनर या पोस्टर लगाकर प्रचार के प्रयोजन से रैली या जन सभा में प्रयोग किए गए व्यक्तिगत वाहन अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के व्यय में डाला जाएगा । यदि वाणिज्यिक पंजीकरण संख्या वाले वाणिज्यिक वाहनों का प्रयोग किसी अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के रैली या जनसभा के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार के वाहनों पर व्यय को अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के खाते में डाला जाएगा ।

3. अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के प्रयोजन से लिए गए तथा प्रयोग किए गए व्यक्तिगत वाहन को प्रचार वाहन माना जाएगा तथा बाजार दर से ईंधन पर अनुमानित व्यय तथा चालक का वेतन अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के लेखे में डाला जाएगा । यदि अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए अन्य वाहनों का प्रयोग प्रचार के प्रयोजन से किया जाता है तो इस प्रकार के वाहनों को किराए पर लेने के लिए अधिसूचित दर के अनुसार अनुमानित व्यय का अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा हिसाब दिया जाएगा ।

4. दल प्रतीक में ध्वजों, कैम्पों, मफलरों के प्रयोग को आदर्श आचार संहिता पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के प्रश्न सं0 72 में स्पष्ट किया गया है । दल प्रतीक में ध्वजों, मफलरों या कैप जैसी मदों पर व्यय के लिए संबंधित दल द्वारा अपने निर्वाचन व्यय के रूप में हिसाब देना होगा । यदि वे अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों का नाम या फोटो लगाते हैं तो इसे अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा । यद्यपि दल/अभ्यर्थी द्वारा मुख्य वस्तु जैसे

साड़ी, कमीज, टी–शर्ट धोती इत्यादि की आपूर्ति तथा वितरण, मतदाताओं को रिश्वत की भॉति है, अतः इसकी अनुमति नहीं है ।

5. भारत निर्वाचन आयोग की अनुदेश सं0 464/अनुदेश/2011/ई.ई.एस, दिनांक 28.3.2011 में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के लिए जिला स्तर के पदाधिकारियों/नेताओं (स्टार प्रचारकों के अलावा) का जिले के भीतर विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने के प्रयोजन से वाहन पर व्यय को अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के खाते में नहीं डाला जाएगा । आगे यह स्पष्ट किया गया है कि यदि जिला कार्यकर्ता स्वयं उसी जिले से निर्वाचन लड़ रहा है तथा उस निर्वाचन क्षेत्र में, जहॉ से वह निर्वाचन लड़ रहा है ऐसे वाहन का प्रयोग अपने आने–जाने के लिए करता है या इस प्रकार के वाहन का प्रयोग किसी विशेष अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के प्रचार के लिए किया जाता है तो वाहन का भाड़ा प्रभार, प्रचार के प्रयोजन से वाहन का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के खाते में डाला जाएगा ।

6. आपसे अनुरोध है कि इसे सभी संबंधितों को सूचित किया जाए ।

आपका आज्ञाकारी,

(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

प्रतिलिपि :–

1. सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल
2. असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल तथा पुडुचेरी राज्यों के सभी राजनीतिक दल ।

(अविनाश कुमार)
अवर सचिव